Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का १६वां दिवस [संख्या ११

बृहस्पतिवार, दिनांक १० मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ११ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, आबकारी एवं कर, सिंचाई, कृषि, वन, सहकारिता, वित्त, जन-स्वास्थ्य, ग्रामोद्योग, आयुर्वेद, पंचायत, खाद्य एवं श्रम–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

(विराम)

श्री रामकरणसिंह ।

अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर, द्वारा हाउसिंग सोसाइटीज़ को जमीन देने हेतु प्रदत्त सर्टिफिकेट

२९९. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर. ने कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ को जमीन देने का सर्टिफिकेट दिया है ?

(ख) उनमें से किन २ को जमीन दे दी गई है और किनको देनी बाकी है ?

(ग) बाकी बची हुई सोसाइटीज़ को कब तक जमीन दे दी जावेगी ?

(घ) क्या अब नई बननेवाली सोसाइ-टीज़ को सरकार प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) नगर विकास मंडल ने अब तक निम्नलिखित हाउसिंग सोसाइटीज़ को जमीन देने का सर्टिफिकेट दिया है :—

१. श्री शिवा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ।

२. राजस्थान बैंक एम्प्लोईज़ यूनियन ।

३. रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसा-इटी–सर्टिफिकेट विशेषतया इसलिये दिये

(श्री सम्पतराम)

गये थे कि इन सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि सोसाइटी के पंजीकरण के लिये ऐसा सर्टिफिकेट आवश्यक समझते थे ।

(ख) इनमें से अभी तक किसी भी सोसाइटी को भूमि नहीं दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विचार किया जायेगा ।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जो सोसाइटीज़ रजिस्टर होती हैं उनके पहले सर्टिफिकेट अर्बन इम्प्रूवमेंट की तरफ से इसीलिये दिया जाता है कि रजिस्टर हो जाय ?

श्री सम्पतराम : I have already replied this question.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

पैसेन्जर टैक्स से हुई आमदनी एवं उस पर हुआ खर्चा

३००. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

पैसेंजर टैक्स कौनसी तारीख से लगा ? उस तारीख से तीन महीनों में इस टैक्स से सरकार को कितनी आमदनी हुई तथा कुल खर्चा कितना हुआ ?

आबकारी एवं कर मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : पैसेन्जर टैक्स १ मई, सन् १९५९ से लगा तथा इस टैक्स से सरकार को १ मई, ५९ से ३१ जुलाई, ५९ तक १२,२८,१२५ रु. की आमदनी हुई तथा इस अवधि में कुल खर्चा ८०७ रु. और ५६ नये पैसे हुआ है ।

श्री भीमसेन : खर्च के बारे में ८०७ बताया, तो क्या नया स्टाफ रिक्रूट नहीं करना पड़ा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शुरू में मई–जून तक कोई स्टाफ रिक्रूट नहीं हो सका, क्योंकि बजट नहीं बना था । अगस्त से नया स्टाफ हो गया ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बिना स्टाफ के इतनी आमदनी हुई तो फिर स्टाफ नियुक्त करने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले स्टाफ इधर-उधर से लगाया था ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सही है कि पैसेन्जर्स टैक्स के कारण बसेज़ के मालिकों ने कन्डक्टर्स को हटा दिया है जिसके कारण पैसेन्जर्स को बड़ी असुविधा होती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हटाया नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : जोधपुर की बसेज़ पर से कन्डक्टर हटा दिये हैं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कन्डक्टर नहीं हटाये हैं । कन्डक्टर हटाने से काम कैसे चलेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : ड्राइवर्स से काम चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : टिकट देना तो बन्द नहीं किया है न ?

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : सामान उतारने चढ़ाने में मुसाफिरों को तकलीफ बढ़ गई है।

एक माननीय सदस्य : That is not Conductor's duty. यह काम खलासी का है।

प्रश्न संख्या ३०१.

श्री अध्यक्ष: रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरणसिंह ।

कोटपुतली पंचायत समिति में कृषि विस्तारक अधिकारी भेजना

३०२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कोटपुतली पंचायत समिति में कृषि विस्तारक अधिकारी आज तक नहीं भेजा गया जब कि इसके लिये काफी लिखा पढ़ी की गई ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इसके लिये जिला परिषद् की ओर से भी लिखा गया है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि वहां केवल एक फील्डमैन है तथा उसके लिये भी कृषि विभाग से यह आदेश गया कि वह बैराठ चला जाय ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (क) कोटपूतली खण्ड में कृषि प्रसार अधिकारी की नियुक्ति माह अक्टूबर सन् १६५६ के प्रथम सप्ताह में कर दी गई थी, परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति ने अपनी नियुक्ति ग्रहण नहीं की। एक अन्य कृषि प्रसार अधिकारी की नियुक्ति वहां कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। श्री जगन्नाथ, फील्डमैन कोटपुतली खण्ड में दिनांक १-१०-५६ से है और अब भी वहीं कार्य कर रहा है। उसको कुछ समय के लिये बैराठ भेजने का आदेश जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय से दिया गया था।

श्री रामकरणसिंह : कोटपुतली में एक्स्टेन्शन ऑफिसर नहीं है, एक फील्डमैन ही है और बैराठ में ६ फील्डमैन और एक एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर है। ऐसी दशा में कोटपूतली से उस फील्डमैन को हटाने के आदेश क्यों दिये ?

श्री दौलतराम सारण : कहां हटाया ? आदेश दिया था, पर वहां की पंचायत समिति ने रिलीव नहीं किया।

श्री रामकरणसिंह : पंचायत समिति ने नहीं जाने दिया, इसलिये नहीं हटाया, पर हटाने के आदश तो दे दिये गये थे, तो एक जगह केवल एक फील्डमैन है और बैराठ में

(श्री रामकरणसिंह)

इतने फील्डमैन और एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर है, फिर भी कोटपुतली से फील्डमैन को हटाने के आदेश जारी करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : वहां रबी कम्पेन में काम का बोझा अधिक था इसलिये कुछ रिलीफ देने के लिये कोटपुतली से फील्डमैन को भेजने के आदेश दिये थे, पर पंचायत समिति ने भेजा नहीं।

श्री रामकरणसिंह : वहां तो इतना अधिक बोझा था कि एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर और इतने फील्डमैन के होते हुए भी कोटपुतली में केवल एक ही फील्डमैन था उसको हटा कर वहां भेजने का आदेश दिया गया तो क्या कोटपुतली में कुछ भी काम का बोझा नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा हूं नहीं हटाया, बैराठ में काम का बोझा अधिक समझा गया, इसलिये भेजने की बात थी, पर पंचायत समिति ने नहीं भेजा।

श्री रामकरणसिंह : नहीं भेजा, वह बात अलग है, पर विभाग ने तो अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया। तो क्या एक विकास समिति में तो एक फील्डमैन भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दूसरी विकास समिति में जहां पहले से ही एक एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर और पांच छः फील्डमैन हैं, वहां और फील्डमैन भेजने के आदेश दिये जाते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, मेजर फतहसिंह।

भीम तहसील के खेवटदार हिस्सेदारों में जंगलात के मुनाफे का बंटवारा

३०३. **मेजर फतहसिंह** (भीम) : Will the Minister for Forest be pleased to answer the following:-

Is the Government aware that forest profits for the last several years have not been distributed to the Khewatdar share-holders of Bhim Tehsil ? If yes, when is the payment likely to be made now ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : Yes. Payment of forest profits for the quinquinium 1951-56 is being made at present.

मेजर फतहसिंह : What is the total amount that is being distributed.

श्री सम्पतराम : Probably one lac and ten thousand.

सेवा सहकारिता (Service Cooperatives) का निर्माण

३०४. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Co-operative Minister be pleased to state :-

1. How many sevice Co-operatives have been formed in the State during the year 1959 in each district ?

2. Will the Hon'ble Minister place on the Table of the House the copy

(श्री पी० के० चौधरी)

of model bye-laws for Service Co-operatives published by the Government.

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान के समस्त २६ जिलों में सन् १९५९ में १२२४ सेवा सहकारी समितियों का गठन हुआ। जिलेवार सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(२) सेवा सहकारी समितियों के आदर्श उप नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये—'सेवा सहकारी समितियों के नियमों की सूची' अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री पी० के० चौधरी : यह सेवा सहकारी समिति है, इनका ऋण लिमिट क्या रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऋण लिमिट तो जो ऑर्डिनरी सोसाइटीज हैं,जब तक प्रोडक्शन का प्रोग्राम नहीं बना लें, उस प्रोग्राम को एप्रूव न करा लें और बैंक लोन नहीं दे तब तक टेन टाइम्स ही है, जिस तरह कि दूसरी सोसाइटी का है।

श्री पी० के० चौधरी : लाएबिलिटी रखी है ५ टाइम्स ऑफ दी शेअर केपिटल और लोन लिमिट रखी है १० टाइम्स ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सा रूल ?

श्री पी० के० चौधरी : पेज ५—उत्तरदायित्व ।

श्री अध्यक्ष : हां प्रश्न, पूछिये ।

श्री पी० के० चौधरी : फाइव टाइम्स लाइबिलिटी रखी है और टेन टाइम्स लोन लिमिट रखी है, यह कैसे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : समझा नहीं, फिर से कहिये ।

श्री पी० के० चौधरी : Liability over the member will be five times of his share in the society. So in that case in the production programme there will be a limit of the society for loans.

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना वे प्रोडक्शन प्रोग्राम बनायेंगे और जितना एप्रूव होगा, सहकारिता के इन्चार्ज हैं प्रोडक्शन प्रोग्राम बनायेंगे तो जितना वे बनायेंगे उसी के आधार पर देंगे। प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिये जितना जरूरी है उतना ही देंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): आपने बताया कि ऑर्डिनरी के लिये इतना है .... May I know whether the Government has classified service co-operatives into ordinary and extraordinary co-operatives ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरा वापिस रिपीट कीजिये ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने कहा कि ऑर्डिनरी सोसाइटीज़ की यह लिमिट है और

(श्री श्रीभानसिंह)

सर्विस सोसाइटीज़ की यह लिमिट है तो क्या इन दोनों को कहीं डिफ्रेंशियेट किया गया है, इनके डिफ्रेंसेज को कहीं क्लेरिफाई किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका १० गुना तक था। मल्टीपर्पज़ और सर्विस में इतना ही फर्क है कि सर्विस में प्रोडक्शन प्रोग्राम को बना कर सोसाइटी एज़ ए होल कुल सदस्यों को बनाने की बात है। मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ हैं उनके और इनके नियमों में और कोई अन्तर नहीं है, दोनों की १० गुना लिमिट है लोन की; केवल यही फर्क है कि सर्विस सोसाइटी को प्रोडक्शन प्रोग्राम बना कर उसे एप्रूव कराना पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी : गवर्नमेंट को मालूम है कि जब तक गवर्नमेंट लोन की लिमिट तय नहीं करती तब तक लोन कैसे देगी ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स बनेंगे उसमें सब आ सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई दिक्कत नहीं आवेगी। सब को लोन मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के अन्तर्गत आमदनी और उस पर प्रशासनिक खर्चा

३०५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कर मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के अन्तर्गत सरकार को क्रमश: १९५६–५७, १९५७ व ५८ में कितनी कितनी आमदनी हुई है और उसका प्रशासनिक खर्चा इन सालों में कितना कितना हुआ है ?

आबकारी एवं कर मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स के अन्तर्गत सरकार को १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में क्रमश: ३,०६,०००, २,४६,६४० व १,७४,५२४ रुपयों की आमदनी हुई। इस मद का प्रशासनिक खर्चा आबकारी व कर विभाग के खर्चे में ही शामिल होने के कारण नहीं बतलाया जा सकता कि इस मद पर इन सालों में कितना खर्चा हुआ। गंगानगर में एक स्थायी व तीन अस्थाई एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऑफिसर हैं जिनका खर्चा करीब १० हजार रुपये वार्षिक है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सन् १९५७–५८ और १९५८–५९ में क्रमश: आमदनी कम क्यों हुई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें जितना रुपया वसूल होना चाहिये न हो पाता है, और रह जाता है इसलिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३०६.

श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगर में वर्षा से नुकसान

३८७. **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) बीकानेर नगर में गत वर्ष भयंकर वर्षा से कितना सार्वजनिक नुकसान हुआ है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शहर की अधिकांश बड़ी सड़कें, फुटपाथ व नाले-नालियां व गलियां टूट फूट गई हैं ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत व उन्हें सम स्थिति में लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(ग) क्या इसके लिये सरकार ने कोई विशेष सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(क) गत वर्ष बीकानेर में लगभग २५ इन्च के करीब वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप भयंकर क्षति हुई। इसका तखमीना म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा १,६१,८६६) का लगाया गया।

(ख) जी हां।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकारियों की एक कमेटी दिनांक २–१२–५६ को नियुक्त की गई है जो मरम्मत कार्य की योजना बनाये :–

(१) कलेक्टर, बीकानेर।

(२) अध्यक्ष, म्युनिसिपल कौंसिल, बीकानेर।

(३) एग्ज़ीक्यूटिव इन्जिनियर, बिल्डिंग्ज एण्ड रोड्स, बीकानेर।

(४) उपाध्यक्ष, सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, बीकानेर।

कार्य सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, बीकानेर के द्वारा एग्ज़ीक्यूटिव इन्जिनियर हैल्थ के निरीक्षण में एडीशनल चीफ़ इन्जिनियर हैल्थ के निदेशानुसार सम्पादित होगा।

(ग) इस कार्य के लिए सरकार ने ५०,०००) रु० की विशेष सहायता तुरन्त स्वीकार की तथा ७५,०००) रु० की सहायता तीन साल तक देने का आश्वासन इस शर्त पर दिया है कि ७५,०००) रु० म्युनिसिपल कौंसिल अपने कोष से खर्च करें।

५०,०००) रु० सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी द्वारा खर्च करने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार उन लोगों को भी, जिनके मकानात आदि नष्ट हो गये हैं, सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री सम्पतराम : राजस्व विभाग की ओर से कुछ रुपया रिलीफ के नाम से स्वीकार किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितना रुपया सरकार उनको देगी ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तौर से तो

(श्री सम्पतराम)

नहीं बता सकता कि कितना रुपया है," लेकिन ८ हजार के लगभग है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर कितने मकान गिरे हैं ?

श्री सम्पतराम : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसके अन्तर्गत आपने सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड को भी हिदायत की है ? जैसा कि आपने म्युनिसिपैलिटी का खर्चा १ लाख ५० हजार के करीब बताया, वहां पर नुकसान करीब १०-१२ लाख रुपयों के आसपास हुआ है। अगर वहां का सिटी इम्प्रूवमेंट भी दे कि जिससे वे लोग अपने मकानों को ठीक करा सकें और नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर सकें ?

श्री सम्पतराम : जो नुकसान हुआ है उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर हुई है जिसमें कलेक्टर, म्युनिसिपल कौंसिल बीकानेर के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड भी हैं। इस रकम के अलावा म्युनिसिपैलिटी और इम्प्रूवमेंट बोर्ड अगर एडीशनल अमाउन्ट खर्च करना चाहे तो they can obtain Government sanction. There is no harm.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने राज्य सरकार को इसके लिए सूचना दी है कि इतना नुकसान हुआ है और इतने रुपयों की जरूरत है और इतना रुपया मंजूर कर दिया जावे।

श्री सम्पतराम : The improvement committee has not sent recommendations, but the Collector and the Commissioner have submitted their proposals and they are under consideration of the Government, on which it is being given.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कहता हूँ कि सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के पास जब कि ८ या १० लाख रुपया है, उसमें से भी कुछ रुपया खर्च करके लोगों को राहत पहुंचाने की योजना बनाए।

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ५० हज़ार रुपये की तुरन्त सहायता देने के लिये सरकार ने आदेश दे दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिया टूट गई है और इससे सारा पानी उसके टूटने से मोहल्लों में चला गया और मोहल्ला ८ या १० दिन तक खराब पानी से भरा रहा। उसको रोकने के लिये प्रबन्ध नहीं होगा तो अगले साल भी यही स्थिति होगी और फिर मकान बहुत से टूट जावेंगे। क्या इसको रोकने के लिये कोई निश्चित योजना बनी है ?

श्री सम्पतराम : The Government has already appreciated the view explained by the Hon'ble Member. Steps have been taken by the Government. Money has been sent and the plan scale is there.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, मेजर फतहसिंह ।

(श्री मुरलीधर व्यास द्वारा प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इसके लिये कमेटी बनाई गई है । इसमें म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और इम्प्रूवमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, वे मिल कर योजना बनावेंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके द्वारा सारी स्थिति ठीक कर दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : मेजर फतहसिंह ।

तहसील भीम के वन गोचर अधिकारी

३०८. **मेजर फतहसिंह (भीम)** : Will the Minister for Forests be pleased to answer the following:—

Is it a fact that in Tehsil Bhim a Forester is incharge of a forest Range whereas a Deputy Ranger is subordinate to him, being placed only incharge of Sub-Range? If yes, why ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : Yes. The service record of the Dy. Ranger is very bad and he is not considered fit to hold charge of a range.

मेजर फतहसिंह : Does the Government realise that placing of a senior officer under a junior one is not good for the maintenance of discipline in service personnel:

श्री सम्पतराम : Provided he maintains his position very well but if he cannot then....

मेजर फतहसिंह : Is this a solitary Instance in Rajasthan or in other place also such has happened ?

श्री सम्पतराम : I cannot give a general statement.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Is there any equal case in the whole of Rajasthan of this type and is the Government prepare to deny that there is no other case?

श्री सम्पतराम : I have collected all the information. This question which has been replied....

मेजर फतहसिंह : The Government should realise it to maintain the standard of discipline and I will suggest that if the record is not good then some way should be found out to meet with, or to remove him from service. But to keep a senior officer under a junior one is certainly not good.

(श्री श्रीभानसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : He has only suggested for some procedure.....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But, Sir, I am asking supplementary Question.

Page No.10

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government mean that the record of the Dy. Ranger is bad.

श्री सम्पतराम : I have already replied that.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government convinced that the record of the man is so bad that the services can be terminated.

श्री सम्पतराम : This is under examination of the Department.

श्री श्रीभानसिंह : May I know, when this case was brought to the knowledge of the Government.

श्री सम्पतराम: That I cannot say as to what punishment is going to be approved. But the enquiry is going on.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह समझा जावे कि उसको फोरेस्टर के नीचे लगाया गया है, वह एक सजा के रूप में लगाया गया है ?

श्री सम्पतराम : I have already submitted that his record is so bad that he has not been considered to remain there.....

श्री भैरोंसिंह : सजा के रूप में माना जावे, आप कह दीजिये ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, पोज़िशन यह है कि यह १०.५.४७ को झालावाड़ में एल. डी. सी. थे । उसके बाद उनको ट्रेनिंग में भेजा गया । इसके अलावा उन्होंने कई पोस्टों पर काम किया, लेकिन कहीं भी इनका काम संतोषजनक नहीं रहा । अब इनको यहां पर रखा गया है अगर काम ठीक नहीं होगा तो एक्शन लेने की बात है, जो लिया जावेगा ?

श्री भैरोंसिंह : उसको वहां पर रखा गया है, सजा के लिये रखा गया है या ट्रेनिंग के कारण ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप जैसा चाहें समझ लें ।

श्री भैरोंसिंह : सजा और ट्रेनिंग दोनों कम्बाइन्ड नहीं हो सकते ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारे सरकमस्टान्सेज बता दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस आदमी को सजा के रूप में वहां पर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : This is a question of opinion. It is an individual question, how it should be agitated like this?

श्री श्रीभानसिंह : मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना है । यह तो महत्व का प्रश्न है । जो फोरेस्टर जिसके नीचे डिप्टी रेंजर लगा है वह क्या क्वालिफाइड है ?

श्री सम्पतराम: That is entirely a different question.

Page No.11

श्री श्रीभानसिंह : जिनको उसके ऊपर लगाया गया है वे ट्रेन्ड हैं या नहीं ?

श्री सम्पतराम : I have already submitted that the record is bad.

श्री भैरोंसिंह : जब रेकार्ड खराब था तो सजा के रूप में भेजा होगा ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आपको बता दिया गया है।

(विराम)

If he has any grievance there is a procedure to go in appeal.

(विराम)

नेक्स्ट, डॉ. चन्द्रकला।

वेरियां की बस्ती, जयपुर, में नल व बिजली की व्यवस्था

३०६. **डॉ चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर के नाहरी के नाके का विस्तार कहां से कहां तक है ? इस क्षेत्र में कौन कौन सी बस्तियां हैं ?

(ख) क्या बेरिया की बस्ती जयपुर नगरपालिका की सीमा में आती है ? यदि हां, तो यहां कितने घरों की आबादी है ?

(ग) बेरिया की बस्ती में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के पूरे निवासी एक कुए से पानी पीते हैं जो अब टूट रहा है ?

(घ) क्या जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक नल लगवा दिये जायेंगे ?

(ङ) इस क्षेत्र में प्रकाश के लिए बिजली कब तक पहुंच जाने की सम्भावना है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) चांदपोल दरवाजे बाहर खेतड़ी व सीकर हाउस तथा सेनिटोरियम के उत्तर को कोट शहरपनाह से डूंगर के नीचे की आबादी नाहरी के नाके की आबादी कहलाती है।

(ख) वेरिया की बस्ती, जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के क्षेत्र में आती है यहां पर करीबन ६०-७० घरों की आबादी है।

(ग) यहां पर एक कुआ है, जिससे सब बस्ती पानी पीती है और यह कुआ मरम्मत तलब है।

(घ) पानी मिलने की व्यवस्था जल्दी ही कर दी जावेगी।

(ङ) यह एरिया अभी डेवलपमेंट एरिया में नहीं आया है। एरिया डेवलप करने के साथ साथ बिजली की व्यवस्था पर विचार किया जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला: अध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया कि पीने के पानी की व्यवस्था जल्दी कर दी जावेगी, तो 'जल्दी' का क्या कोई मतलब है ?

श्री सम्पतराम : Mr. Speaker, Sir, I am equally eager and I am trying my best to do.

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या इन गर्मियों के पहले पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री सम्पतराम : गर्मी के पहले हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

जनाना अस्पताल (कोटपुतली) को आवश्यक सामान देना

३१०. **श्री रामकरणसिंह**(कोटपुतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या जनाना अस्पताल कोटपुतली को तहसील के अन्य अस्पताल के साथ गद्दे, कम्बल एवं फर्नीचर आदि दिये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो कब और क्या २ ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल); (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) गद्दों की मांग नहीं की गई थी तथा अन्य वस्तुयें स्टोर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जिस होस्पिटल से जिस चीज़ की मांग जाती हैं तब ही ख्याल किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सही है कि जब जरूरत होती है तब वे लोग मंगाते हैं। यदि उपलब्ध होती है तो भेज दी जाती है नहीं तो नहीं।

श्री अध्यक्ष : मांग नहीं, की तो गलती किसकी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका मतलब यह समझा जाय....

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : डी. एच. एम. ओ० इन्सपेक्शन के लिए वहां आये तो काफी लोगों ने उनको कहा और यह प्रश्न उपस्थित किया कि चीजें वहां उपलब्ध नहीं की जाती हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरी चीजों की जरूर मांग की थी।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये और जैसी व्यवस्था होनी चाहिये कर दीजिये।

(विराम)

श्री मूलचंद डागा।

सैल्स एम्पोरियम, जयपुर

३११. **श्री मूलचंद डागा** (पाली): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

Page No.13

(श्री मूलचंद डागा)

(क) सैल्स एम्पोरियम, जयपुर, को कब कॉमर्शियल कन्सर्न (व्यवसायिक संस्था) घोषित किया गया ?

(ख) क्या इस एम्पोरियम में सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ में घाटा रहा ? यदि हां, तो कितनी राशि का और क्यों ?

(ग) इस एम्पोरियम में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनकी मासिक तनख्वाह कितनी २ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(घ) सरकार ने इस एम्पोरियम की स्थिति को सुधारने के लिए क्या २ कदम उठाये हैं ?

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (क) सन् १९५२ में ।

(ख) जी हां ! घाटे का व्यौरा इस प्रकार है :

१९५५-५६	३३,४२९) रु०
१९५६-५७	३०,४९१) रु०

विक्रय केन्द्र में विक्रय कर्ताओं के अतिरिक्त नये डिज़ाइन देने के लिए प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये एवं दूसरे विकास कार्यों के लिये जो कर्मचारी थे उनका भार भी विक्रय केन्द्र पर था, इस कारण एवं विक्रय केन्द्र की बिक्री काफी न होने के कारण यह घाटा हुआ ।

(ग) इस एम्पोरियम में कर्मचारियों की संख्या ७ है और इनका वेतन इस प्रकार है :

पद	संख्या	वेतन	वेतनश्रंखला
मैनेजर	१	९०)	८०से १[illegible]
उच्च लेखक	१	९५)	८० से २००
लेडी सेल्स	१	८५)	८० से२००
असिस्टेन्ट	१	८०)	८० से २००
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	३	३५)	२५ से४०)

(घ) (१) इस एम्पोरियम की स्थिति को सुधारने के लिए एम्पोरियम में ऐसे कर्मचारियों का जिनका बिक्री से सीधा सम्बन्ध नहीं था उनका स्थानान्तर कर दिया गया है इससे एम्पोरियम पर पड़ने वाला भार कम हो गया है ।

(२) एम्पोरियम को अधिक सुन्दर बनाने के लिए व कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एम्पोरियम को आधुनिक नमूनों के फर्नीचर एवं अन्य चीजों से सुसज्जित किया जा रहा है ।

(३) हस्तकला की वस्तुओं का अधिक प्रचार करने के हेतु प्रचार—साधनों में वृद्धि की गई है । जिसका कि प्रभाव एम्पोरियम की बिक्री पर भी पड़ा है ।

(४) एम्पोरियम पर हस्तकला की वस्तुयें आवश्यकतानुसार समय पर भेजी जा सके इसके लिए एक केन्द्रीय स्टोर डिपो एवं दो सहायक स्टोर डिपो की स्थापना क्रमशः जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में की जा चुकी है ।

(५) हस्तकला के कार्यकर्ताओं को आधुनिक ढंग की हस्तकला की वस्तुओं एवं नये नमूनों की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, इस कार्य के लिए मुख्य कार्यालय में नये नये

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नमूने बनाये जा रहे हैं और हस्तशिल्पियों को आवश्यकतानुसार दिये जा रहे हैं ।

(६) ग्राहकों को उत्तम किस्म की वस्तुयें सुलभ कीमत पर मिल सकें, इस कार्य के लिए गुणांकन चिन्ह योजना भी चालू कर दी गई है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह एम्पोरियम अभी लाभ में चल रहा है या घाटे में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जितने एम्पोरियम हैं उनके बारे में नुक्सान में चलने के लिए सदन में बात आयी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा और पहले भी किया गया था कि यह एक तरह से पब्लिसिटी और प्रोपेगेन्डा के रूप में है और हमारे हैंडी क्राफ्ट्स और आर्टर्स-क्राफ्ट्स की चीजों के प्रदर्शन के लिए एम्पोरियम रखे हैं । इनके नुक्सान को मिनिमाइज करें यह हमारी नीति है, इनको प्रोफिट पर रन करने का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी ।

दौसा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में विलम्ब

३१२. **श्री बी. एन. जोशी**(बांदीकुई): Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:

(a) When were the last elections of the Dausa Municipal Board held, and When are they due next ?

(b) Are the electoral rolls for the next Municipal elections at Dausa ready ?

(c) If not, have necessary instrutions been issued to the Returning Officer concerned, to proceed with the preparation of the electoral rolls so as to obviate the possibilities of undue delay in the holding of these elections ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) २२-१२-५०

(२) २२-१२-५

(३) No.

(४) Yes.

श्री बी. एन. जोशी : Why were the elections not held when they were due ?

श्री सम्पतराम : Because new Act came into existence and therefore, . e r so many difficulties, notifications were to be issued etc. etc.

श्री बी.एन. जोशी : When are they proposed to be held now ?

श्री सम्पतराम : The number of seats hes already been published in the Gazetteo, The Collector has been directed, and Returning officer has been appointed. They will notify and the election, I think, will be held within 5-6 months.

श्री बी. एन. जोशी : How long time will it take.

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने बता दिया कि पांच छः मंथ्स लगेंगे।

श्री बी. एन. जोशी : Five-six moths.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जैसलमेर जिले में बीज का वितरण

३१३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

जैसलमेर जिले में किसानों को गत ५ वर्ष में बीज दिया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब २ व कितने किसानों को दिया गया ?

उप मंत्री कृषि (श्री दौलतराम-सारण) : जी हां, पिछले पांच वर्षों में गेहूं और बाजरे का बीज बांटा गया था जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं कि बराबर बांटा गया है जब कि सूची जो सदन की मेज पर रखी गई है उसके अन्दर यह है कि ५६-५७ में किसी को नहीं दिया, ५७.५८ में १६ को दिया, इसी तरह से कहां पांच आदमियों को दिया, ५७-५८ में बाजरी भी नहीं दी गई।

श्री दौलतराम सारण : जो दिया गया है और नहीं दिया गया है, सूची दी है उसके अनुसार ही वितरण किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि बांट दिया....

श्री अध्यक्ष : सूची के मुताबिक बांटा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें संख्या कहीं ५ है, कहीं १६ व कहीं २१ है। क्या इतने ही काश्तकार हैं या इतनी ही दरख्वास्तें थीं ?

श्री दौलतराम सारण : जिन लोगों ने मांगा उनकी संख्या है और नहीं मांगा उनकी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : पांच, सोलह और २१ आदमियों ने ही मांगा ?

श्री दौलतराम सारण : जैसलमेर का जैसा इलाका है वह तो आपके ध्यान में है। गेहूं का बीज वहां ही दिया गया है जहां पर कूए हैं और सिंचाई के साधन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बाजरा तो कम से कम दिया जा सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : बाजरे की उन्नत किस्म हमारे पास नहीं है। वहां अच्छी किस्म का बाजरा माना जाता है, उसका बीज उनको दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जब मैं वहां गया था तो वहां के लोगों ने कहा कि १९४९ के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का बीज नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो दिया गया उसकी सूचना प्रस्तुत कर चुका हूं इसलिये यह तो कहा नहीं जा सकता कि दिया ही नहीं गया। यह कह सकते हैं कि थोड़ा दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : यही तो पूछ रहा हूं, थोड़ा ही क्यों दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : ज्यादा की मांग ही नहीं थी।

बस्ती सीतारामपुर (जयपुर) की योजना

३१४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बस्ती सीतारामपुर (जयपुर) की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्लॉट्स बनेंगे तथा उनकी साइज़ क्या है ?

(३) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत अल्प आय वालों को बसने की सुविधा मिलेगी ?

(४) यह योजना कब तक स्वीकृत होकर क्रियान्वित हो जायगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, जून १६५८ से अब यह अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।

(२) इस योजना में कुल ४६६ भूखंड हैं जिनकी साइज़ तथा संख्या निम्न प्रकार है:

क्लास	क्षे. फ.	सं.
ए	३८८. ८.	२६५
बी	२६६. ६ व. ग.	२०४
	कुल संख्या	४६६

(३) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(४) इस जमीन को अवाप्त करने की कार्यवाही जारी है, नोटिस हस्ब दफा ४ आर. एल. ए. तारीख १६।२।५६ को जारी किया गया था। जमीन अवाप्त होने पर कार्यवाही की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : भाग ३ का जो आपने उत्तर दिया है, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। यह निर्णय कब तक होगा ? जिस तरह के प्लाट्स बने, क्या वे अल्प आय वालों के लिये हैं ?

श्री सम्पतराम : The Hon'ble Member is free to draw any conclusions. But I have placed the actual position.

झालावाड़ जिले में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन

३१५. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु.): क्या मन्त्री आयुर्वेद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ ज़िले से कितने व्यक्तियों ने विगत दो वर्षों में रजिस्ट्रार आयुर्वेद विभाग

Page No.17

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

को रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन–पत्र दिये और उनमें से कितनों का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ? बाकी के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ ?

उप मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) ६ व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये। तीन के रजिस्ट्रेशन दिनांक ३०।६।५६, १४।२।६० व २६।२।६० को बोर्ड द्वारा भेज दिये गये। दो व्यक्तियों के आवेदन अस्वीकृत हुए और एक आवेदन साक्षात्कार के लिये विचाराधीन है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दो अस्वीकृत कर दिये गये इसके क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वे नहीं आये और न उन्होंने सूचना ही दी है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': प्रमाण-पत्र लेने के लिये यहां आना पड़ता है या पोस्ट से भेज दिये जाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : उनको साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, वे साक्षात्कार के लिये आये नहीं और न कोई कारण ही लिखकर भेजा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दो साल हो गये, पैसे भी जमा करा दिये, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कारण निवेदन कर दिया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इनका प्रश्न यह है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका उत्तर मैं निवेदन कर चुका।

श्री अध्यक्ष : जिनको प्रमाण–पत्र नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर में निवेदन कर दिया कि ६ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये थे, तीन के रजिस्ट्रेशन ३०।६।५६, १४।२।६० व २६।२।६० को बोर्ड द्वारा भेज दिये गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम पंचायत मेड़, जिला जयपुर, के निर्वाचित पंचों को शपथ ग्रहण नहीं कराना.

३१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम पंचायत मेड़, जिला जयपुर, के पंचों की कुल संख्या कितनी है ? इस पचायत के कितने पंचों का चुनाव दिनांक १४।५।५८ को हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि इन पंचों को अभी तक शपथ–ग्रहण नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.18

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) वर्तमान पंचायत की अवधि कब समाप्त हुई थी और उसके बाद किस किस तारीख से किस किस आज्ञा के जरिये कब कब तक अवधि बढ़ाई गई है ?

(घ) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मेड़, के सरपंच को पंचायत समितियों में वोट देने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) उपरोक्त प्रश्नों से सम्बन्धित समस्याओं को लेकर कितने कितने और कब कब जनता के प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं और उन पर क्या क्या एक्शन लिया गया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) १४ पंच व सरपंच १ कुल १५ हैं। १४ पंचों का चुनाव हुआ था।

(ख) नहीं, दिनांक २२।२।६० को शपथ ग्रहण की जा चुकी है।

(ग) उपरोक्त चुनाव से पहले की पंचायत की अवधि २६।३।५८ को समाप्त हुई थी व आज्ञा संख्या डी. ७१५६। एफ. ३ (१५७) एल. एस. जी. ५८ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ के द्वारा २६।३।५८ से १ साल के लिये अवधि बढ़ाई गई।

(घ) जी हां। वंचित इसलिये रखा गया क्योंकि सरपंच का चुनाव पंचायत समितियों के वोट देने के समय तक नहीं हो पाया था।

(ङ) नव निर्वाचित पंचों को शपथ ग्रहण करवाने का कार्य-आरम्भ के लिये दिनांक ११।१२।५९, ७।१।६० को पत्र प्राप्त हुए, उस पर जिलाधीश, जयपुर, को दिनांक १६।१२।५९, १८।१।६० व ४।२।६० को चुनाव परिणाम प्रकाशित कराने व शपथ दिलाने के हेतु लिखा गया। प्रश्न (घ) के विषय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इस समय नई इलेक्टेड पंचायत काम कर रही है या पुरानी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी जो शपथ दिलाई गई है वह नई को ही दिलाई गई है।

श्री भैरोंसिंह : शपथ आपने २२।२।६० को दिलाई, इसके बाद में जिस पंचायत को आपने शपथ दिलायी है वही कार्य कर रही है या पुरानी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नई कर रही होगी, इसी को करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी तक वही पुरानी पंचायत काम कर रही है जिस पंचायत के बारे में प्रश्न पूछा गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी तो नहीं है लेकिन जब शपथ ली है तो नई पंचायत को ही काम करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया कि पहले की पंचायत की

(श्री भैरोंसिंह)

अवधि २६।३।५८ को समाप्त हुई थी उसके बाद उसकी अवधि एक साल के लिये बढ़ा दी गई तो बढ़ी हुई अवधि में पुरानी पंचायत को कार्य न करने के लिये किस प्रकार से आदेश दिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने मियाद बताई है।

श्री भैरोंसिंह : पुरानी पंचायत की मियाद समाप्त नहीं हुई, पंचायत अभी कन्टिन्यू कर सकती है तो पुरानी पंचायत से अधिकार किस आज्ञा के जरिये ले लिये गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब नई पंचायत का फंक्शन शुरू हो जाता है तो पुरानी पंचायत अपने आप खत्म हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : २६।३।५८ के बाद आपने १ साल की मयाद और उस पंचायत की बढ़ाई। २६।३।५९ के बाद डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के बाद पंचायतों के लिये यह आदेश निकल गये कि उनका एक्स्टेन्शन ६१ तक कर दिया गया है, ऐसी हालत में उस पुरानी पंचायत को भी ६१ तक कार्य करने का कानूनी हक मिल गया, ऐसी हालत में क्या नई पंचायत कानूनी रूप से कार्य कर सकती है, आपने नई पंचायत को भी शपथ दिला दी है, वैसी हालत में लीगली कौनसी पंचायत काम कर रही है और कर सकती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आप जानकारी दे रहे हैं, जांच करके बता सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुरानी पंचायत भी काम कर रही है और नई पंचायत जिसको शपथ दिलाई गई वह भी कार्य कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : जो डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के कारण उन पंचायतों की अवधि बढ़ाई गई जब तक कि पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते। चुनाव के बाद तो नई पंचायत ही काम कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : एक दफा एक्सटेन्शन देने के बाद फिर डिज़ोल्व करने का भी प्रोविज़न है क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस मेड़ पंचायत के बारे में फिर जानकारी दे दूंगा।

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): Whatever is earlier....

श्री भैरोंसिंह : There is no such provision.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप क्या स्पेसिफिक जानना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पुरानी पंचायत के स्थान पर नई पंचायत का चुनाव हुआ उसके बाद उसको शपथ दिला दी गई हालांकि पुरानी पंचायत की अवधि समाप्त नहीं हुई, उसको किस प्रकार डिजोल्व किया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मैं दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह तो बड़ी अच्छी परम्परा होगी कि किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के पहले ही मिनिस्टर महोदय से मिलकर समाधान हो जाता है तो यह स्वस्थ परम्परा होगी, इससे अधिक उपयुक्त चीज और क्या हो सकती है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : फिर विधान सभा की जरूरत ही नहीं रहेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मामूली जानकारी तो आप सम्बन्धित मन्त्री महोदय से मिल कर प्राप्त कर सकते हैं और यदि कोई महत्वपूर्ण सवाल हो तो सदन में उठाया जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण अल्प महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण का डिसीज़न कौन करेगा !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इतना तो सदन के सदस्यों को विवेक है कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है और कौनसा गैर मामूली मामला है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैं सूचना चाह रहा हूं वह नहीं मिल रही है, अतः इसे पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने एक स्थिति सामने रखी, वह लीगल पहलू है। उसकी लीगल सिच्युएशन क्या है, इस बारे में वे सलाहकारों से सलाह करके ही बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, २४-५-५८ को चुनाव हो गये और आपने २२-२-६० को शपथ दिलाई। यह दो साल का अर्सा शपथ दिलाने में गुजर गया, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, यह भी सोचने की बात है।

श्री चन्दनमल वैद : Is it a fact that two panchayats are functioning within the same area ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बात हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं जो ५८ में चुनाव होने के बाद भी ६० में शपथ दिलाते हैं और वह भी मेरे क्वेश्चन पूछे जाने के बाद ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह साबित हो जाय तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आपके उत्तर में है कि २२-२-५८ को चुनाव हुये और सन् ६० में उनसे शपथ दिलाई क्या यह गलती नहीं हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें गलती कितनी हुई है, सजा देने लायक है या नहीं; यह देखने की बात है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : क्या इस पंचायत में हरिजन सदस्य भी हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : इस पंचायत में कोई श्रीमतीजी भी हैं क्या ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकार द्वारा संचालित डेयरीज़ पर खर्चा

३१७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : राजस्थान में कहां कहां कुल कितनी डेयरीज़ सरकार द्वारा संचालित हैं और सरकार का उन पर वार्षिक खर्चा कितना होता है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अभी तक सरकार द्वारा संचालित कोई डेयरी नहीं है अतः खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल , (रायपुर) : क्या प्राइवेट डेयरीज़ को सरकार द्वारा मदद दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

ग्राम पंचायत, बरार, के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

३१८. **मेजर श्री फतहसिंह** (भीम) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत, बरार (भीम तहसील), को ग्राम बरार में पत्थरों का खुर्रा बनाने के लिये रकम दी गई थी ? यदि हां, तो वह रकम कितनी थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रकम के खर्चे के सम्बन्ध में जो हिसाब सरपंच ने पेश किया, उसके गलत होने की शिकायत पर तहसीलदार तथा एस०.डी० ओ०, भीम, ने अलग अलग जांच करके सरपंच को दोषी पाया, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर, उदयपुर को भी भेज दी गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि इस विषय में सरपंच के विरूद्ध ग्राम बरार की जनता ने लगभग १०० प्रार्थना-पत्र कलेक्टर, उदयपुर, को भेज कर शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां। रु० ६२१)

(२) जी हां। अभी कलेक्टर से रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(३) जी हां।

मेजर फतहसिंह : एस० डी० ओ० से रिपोर्ट कलेक्टर को कब भेजी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १६-१२-५८ को।

मेजर फतहसिंह : अब तक कोई कार्यवाही की गई उस सरपंच के खिलाफ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनसे कहा गया है हिसाब दो, ७-३-६० को लिखा गया है, बाकी की रक़म का हिसाब दो।

मेजर फतहसिंह : क्या यह सही है कि उस सरपंच के खिलाफ इसलिये कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि वे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

मेजर फतहसिंह : श्रीमन्, यही तो बात है और इसीलिये अधिकारीगण उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिये तैयार नहीं हैं। डरते हैं और सरकार उनको इस तरह जान बूझकर प्रोटेक्शन दे रही है, शेल्टर दे रही है। इसी तरह से भ्रष्टाचार को शह मिल रही है और वह बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

मेजर फतहसिंह : एक्शन कब तक ले लिया जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कोई कहीं का सदस्य है। फिर भी कोई भी हो, अगर गलती करेगा तो सरकार जरूर कार्यवाही करेगी ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : When is the action likely to be taken ?

मेजर फतहसिंह : उस सरपंच के विरुद्ध कब कार्यवाही कर ली जावेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही तो चालू है। उसे बुलाया गया है, पूछा गया है, उनका जवाब आने पर ही तो कार्यवाही की जावेगी।

खाद्यान्न लाने-लेजाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध पर पुलिस का हस्तक्षेप

३१६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या खाद्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया था ? यदि हां, तो किस आदेश के अनुसार ? इसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) उक्त प्रतिबन्ध कब से कब तक रहा था, तथा उसमें पुलिस किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकती थी ?

खाद्य मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) प्रतिबन्धों की जो प्रतियां मेज पर रखी गई हैं उनमें अंकित कर दिया गया है कि वे कब से कब तक लागू रहें। जिन ऑर्डर्स के पालन न करने से कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है, केवल उन्हीं में पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इन प्रतियों को पढ़ने से मुझे ऐसा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लगा है कि केवल चावल को छोड़कर करीब करीब सभी पर से अप्रेल से प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। मैं अपनी जानकारी के लिये माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट रूप में और जान लेना चाहता हूं कि क्या यही बात है कि अप्रेल के बाद में प्रतिबन्ध नहीं रहा है किसी प्रकार का ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौनसा ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक जिले से या एक तहसील से दूसरे जिले या तहसील में लाने-लेजाने का मैं जानना चाहता हूं कि इनके प्रतिबन्ध अप्रेल में ही समाप्त हो जाते हैं क्या ? ताकि अगले सवाल कर सकूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग बहुत से ऑर्डर्स हैं, आपका किससे रेफेरेन्स है?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : चना या गेहूं। अप्रेल तक प्रतिबन्ध होते हुए भी पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप किया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, हैरेस किया है, मच की हैं। मुझे इसमें यह कहीं नहीं मिला कि अक्टूबर नवम्बर में भी कोई प्रतिबन्ध था।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो इसमें समय समय पर ऑर्डर निकाला गया उनमें लिखा है कि उनकी मियाद कब कब तक थी, या है। वे सब इनमें हैं। आप देख चुके हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो फिर बाद में भी अगर पुलिस ने हैरेस किया हो और आपके नोटिस में यह लाया जाय, तो क्या गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बिलकुल वाजिब है, जरूर करेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आजकल भी एक तहसील से दूसरी तहसील में जाने पर प्रतिबन्ध है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये ऑर्डर्स आपके सामने मौजूद हैं, उन्हें देख लें आप।

डॉ० बहादुरसिंह : अगर प्रतिबन्ध नहीं होते हुये भी कोई कार्यवाही कर रहा है तो सरकार उनके खिलाफ क्या करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो जरूरी कार्यवाही होगी वह करेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : आपका ऑर्डर है एक डिविजन में एक तहसील से दूसरी तहसील में लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो सूचना थी आपकी सेवा में रख दी। आप पहले उनको देख लें, समझ लें, फिर कोई समझ में नहीं आवे तो पूछ लें।

म्युनिसिपल कमिश्नरों की तनख्वाहें सीनियर आर. ए. एस. ग्रेड के अनुसार करना

३२०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.24

(श्री मूलचन्द डागा)

(क) राजस्थान में म्युनिसिपल कमिश्नर कहां कहां एवं कौन कौन हैं, व उनकी तनख्वाह क्या क्या है ?

(ख) क्या सरकार इन कमिश्नरों की तनख्वाहें सीनियर आर. ए. एस. के ग्रेड अनुसार करने का विचार रखती है ?

स्वायत्तशासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : राजस्थान में म्युनिसिपल कमिश्नर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर व ब्यावर में हैं। जिनके नाम व तनख्वाहें निम्न प्रकार हैं :—

नाम नगर परिषद्	नाम कमिश्नर	वेतन
१. जयपुर	श्री भवानी शंकर आर. ए. एस.	४७५)
२. जोधपुर	श्री रामचन्द्र माथुर	३७५) प्लस १०६०) स्पे. पे.
३. बीकानेर	श्री राजेन्द्र मिश्रा	२५०)
४. अजमेर	श्री हरिनारायणसिंह	२८०)
५. कोटा	श्री गजपतसिंह बक्शी	२७५)
६. ब्यावर	श्री नन्दलाल माथुर	३७०)
७. उदयपुर	श्री एस. पी. मेनी आर. ए. एस.	५५०) के लगभग
८. अलवर	स्थान खाली है	

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है। राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस के बनाने के साथ साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : एक की ४०० और दूसरे की २।। सौ इतना अन्तर क्यों है ?

श्री सम्पतराम : इनमें दो तो आर. ए. एस. हैं जो डेपूटेशन पर हैं उनकी अपनी ग्रेड है। बाकी जो पहले इन जगहों पर काम कर रहे थे वे ही ओटोमेटिकली कमिश्नर बन गये। अब जब इनका इन्टीग्रेशन हो जावेगा तो युनीफाइड कैडर तय कर देंगे तो सब ठीक हो जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : इतनी डेस्पेरिटी एक ही पोस्ट पर काम करने वालों में कैसे है ?

श्री सम्पतराम : मैंने निवेदन किया न कि हमने कुछ नहीं किया, जो पहले से पा रहे थे वही चल रही है। जब इन्टीग्रेशन कर देंगे तो एक कैडर में आ जावेंगे और यह डेस्पेरिटी ठीक हो जावेगी।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें कितना समय लेंगे ?

श्री सम्पतराम : रूल्स बन रहे हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार इस इन्टीग्रेशन के समय पर उन लोगों का केस भी कन्सीडर करेगी या नहीं जिनका रिक्रूटमेंट डाइरेक्ट हुआ ?

श्री सम्पतराम : जब तक रूल्स न बन जावें तब तक कोई जवाब नहीं दे सकता इसका ।

श्री मूलचन्द डागा : ये आपके रूल्स और जल्दी कब खत्म हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

राजस्थान बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर कार्यवाही

३२२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सन् १९५७ में राजस्थान में एम्प्लोईज़ यूनियन द्वारा सरकारी बैंकों के काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में मांग–पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो इन दो वर्षों में इस पर क्या किया गया ?

(ख) क्या प्रबन्ध श्रम विभाग के अधिकारियों के बुलाने पर वार्ता के लिए नहीं गये ? यदि नहीं गये, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या सन् १९५९ की जून व उसके उपरान्त राजस्थान शॉप्स एण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बैंकों द्वारा उल्लंघन करने की शिकायत राजस्थान बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन की ओर से की गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) हां, तारीख २१ दिसम्बर, ५७ मांग–पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न अभी तक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में लिखा-पढ़ी में है ।

(ख) जी हां, नहीं आये । दिनांक ३०-४-५९ ई० को श्रम आयुक्त द्वारा एक पत्र रजिस्ट्रार को लिखा गया कि समस्त बैंक मेनेजरों को आदेश दिये जायं कि वे इस सम्बन्ध में वार्ता करें । अभी तक कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) हां, इस प्रकार की शिकायतें समय समय पर सम्बन्धित निरीक्षक के पास में जांच व आवश्यक कार्यवाही के हेतु भेजी जाती रही हैं । चूंकि कानून के उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित था, अतएव केवल कानून के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक ही इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जब वे अधिकारी बुलाने पर भी नहीं आये तो सरकार ने क्या कार्यवाही की उनके खिलाफ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो आपने पूछा, इसलिए मैंने बताया था कि लोग नहीं आये थे, अब मैनेजरों को आदेश दे दिया गया गया है कि वे वार्ता करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा है कि जब कोई डिस्प्यूट इस प्रकार से होता है तो सरकार दोनों पार्टीज़ को बुलाती है और जब उनको

(श्री मुरलीधर व्यास)

बुलाते हैं तो इसलिए बुलाते हैं कि बुलाने के बाद सरकार उस डिस्प्यूट में बात-चीत करे और इस प्रकार से कानून के मुताबिक यह भी है कि जब इनमें भी कन्सीलिएशन चलता है तो दोनों पार्टीज़ को आना चाहिये; तो ऐसी हालत में दूसरी पार्टी क्यों नहीं आई और नहीं आई तो जब कि ऐसा कोड बन चुका है मालिक और मज़दूर के बीच में-उनको आना चाहिये और जब नहीं आये तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका मतलब बैंक के कर्मचारियों से है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा सवाल है, क्या प्रबन्धक श्रम, विभाग, के अधिकारियों के बुलाने पर वार्ता के लिए नहीं गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रबन्धक के नहीं आने के सिलसिले में तो मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन मैनेजर को कह दिया गया है कि वह वार्तालाप कर लें। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कारण है कि जिसकी वजह से नहीं आ सके; पर बाद में कह दिया गया है कि यह बातचीत कर ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो जो डिस्प्यूट लेबर का निपटाने का तरीका है और इस प्रकार नहीं आये और ऐसा टाल दिया गया तो आगे से कन्सोलियेशन के लिए आगे कोई मैनेजमेंट नहीं आयेगा और कन्सीलियेशन हो नहीं करेंगे। वह नहीं आये तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

श्री मुरलीधर व्यास मैंने इसी के लिए तो प्रश्न पूछा है। वह नहीं आये तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह

ग्राम पंचायत साहीबाड़ तहसील बैराठ के पंचों को शपथ दिलाना

३२३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायत साहीबाड़, तहसील बैराठ, के पंचो का दूसरी बार चुनाव कब हुआ तथा इस चुनाव की सूचना पंचायत विभाग को किस तारीख को मिली ? यदि सूचना प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है, तो इसका कौन दोषी है ?

(ख) इन नव-निर्वाचित पंचों को कब शपथ ग्रहण कराई गई ? यदि इसमें विलम्ब हुआ है, तो क्यो ?

(ग) वर्तमान पंचायत की अवधि कब समाप्त होती थी और सरकार ने कब कब किस किस हुक्म से इस अवधि में वृद्धि की है;

(घ) क्या यह सही है कि नव-निर्वाचित पंच जिनका शपथ ग्रहण नहीं कराई गई है,

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने पंचायत के कार्यों में भाग लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ङ) ग्राम पंचायत साहीवाड़ के सरपंच का चुनाव कितनी कितनी बार और कब कब तारीख निश्चित करने के पश्चात् स्थगित किया गया और क्यों ?

(च) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत साहीवाड़ के सरपंच को पंचायत समिति के चुनाव में भाग लेने से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) ग्राम पंचायत साहीवाड़ का चुनाव दूसरी वार दिनांक १५-६-५८ को हुआ। उसक परिणाम चुनाव अधिकारी ने पंचायत विभाग को आज तक नहीं भेजा। वैसे चुनाव अधिकारी दीखते हैं, फिर भी इस बारे में और जांच की जा रही है।

(ख) दिनांक २२-२-६० को शपथ दिलाई। विलम्ब के बारे में जांच की जा रही है

(ग) उपरोक्त चुनाव से पहले की पंचायत की अवधि ३१-३-५८ को समाप्त हुई थी व आज्ञा संख्या ड ी ७१ ५६। एफ ३(१५७) एल० एस० जी० ५८ दिनांक १३-६-५८ के द्वारा ३१-३-५८ से एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई गई।

(घ) जी हां।

(ङ) दिनांक १५-६ ५८ को दंगा होने की सम्भावना से, दिनांक १०-१२-५८ को समय पर सूचना पत्र चस्पा न होने से, दिनांक १०-६-५६ को मेला होने से एवं आगामी दिनांक १६-३-६० को होने वाला चुनाव फसल का समय होने के कारण स्थगित किया गया।

(च) जी हां, वंचित इसलिए रखा गया क्योंकि सरपंच का चुनाव पंचायत समितियों के वोट देने तक नहीं हो पाया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब नव-निर्वाचित पंचायत के सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की तो किस प्रकार से उन्होंने पंचायत की कार्यवाही में भाग लिया ?

श्री हरिभाऊ उपध्याय : मेरे ख्याल से शपथ लेने के बाद ही उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नव निर्वाचिन पंच जिनको शपथ ग्रहण नहीं कराई है उन्होंने पंचायत के कार्यों में भाग लिया है, मेरा प्रश्न यह है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह तो उन्होंने २२-२-६० को शपथ ली, उसके बाद ही उन्होंने पंचायत की कार्यवाही में भाग लिया।

श्री भैरोसिंह : तो फिर क्या २२-२-६० के पहले उन्होंने किसी भी कार्यवाही में भाग नही लिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने शपथ ही २२-२-६० को ली और उसके

Page No.28

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

पहले कोई भाग नहीं लिया, ऐसा ही मैं मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत के कार्यवाहियों के जितने भी मिनिट्स हैं उनमें यह है कि शपथ लेने के पहले नव निर्वाचित पंचों ने कार्यवाही में भाग लिया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने जानकारी दी है तो मैं देखूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : वहां पर १५-६-५८ को चुनाव हो गये तो फिर २२-२-६० तक कोई शपथ ग्रहण नहीं कराई गई तो इसकी जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने कह है कि कलेक्टर को इसके लिये लिखा गया है। जयपुर कलेक्टर को १६-१२-५६, १८-१-६० और ४-२-६० को भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि कार्यवाही की जांच करके ठीक तरह से जवाब भेजें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि १३-६-५८ के बाद यह पुरानी पंचायत अवैधानिक रूप से काम करती चली आ रही थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बीच में मियाद तो एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि १३-६-५८ को आर्डर निकाल कर ३१-३-५८ से एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई; तो क्या उसके बाद में यह अवैधानिक रूप से कार्य कर रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह आप १६५६ की बात कह रहे हैं, तो मियाद अपने आप बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। जरा मंत्री महोदय की जानकारी का पता लग जाये । क्या यह सही है कि दो वर्ष तक यदि चुने हुए पंचों को शपथ नहीं दिलाई जाये तो कानूनन वह शपथ ग्रहण नहीं कर सकते ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका सवाल क्या है, मै समझा मैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दो वर्ष बाद तक चुने हुए सदस्य के लिए अगर शपथ ग्रहण नहीं कराई जाये तो बाद में शपथग्रहण की कार्यवाही नहीं हो सकती ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो कानून की बात है। कानून देखकर ही बता सकता हूं, कोई रट कर तो आया नहीं हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : कानून तो दलालों का काम है, वह अपने करते ही नहीं हैं।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : क्या दो वर्ष तक नये चुने हुए पंचों से शपथ

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ग्रहण नहीं कराई जाये तो बाद में वह शपथ ग्रहण नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : वह तो कानून की किताब देख कर बता सकते हैं ।

(विराम)

श्री लच्छूराम ।

पंचायत समिति अलसीसर के क्षेत्र में प्रसूतिगृह खोलना

३२४. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, अलसीसर, जिला झुंझुनू, के क्षेत्र में एक भी प्रसूतिगृह नहीं है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निम्न कस्बों में प्रसूति गृह खोलने का विचार रखती है :—

गांग्यासर, अलसीसर, टमकोर, कालियासर, लूह, बिसाऊ, हंसासर, टावडी, घनूरी, टांई एवं निराधनु ।

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) जी हां ।

(२) केवल बिसाऊ में प्रसूति एंव शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी ।

दौसा सब-डिविजन के शहरों में जलाने की लकड़ी की व्यवस्था

३२५. श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई) : Will the Minister for Forest be pleased to state:

(a) What arrangements, if any, have so far been made by the Forest Department for the supply of fuel wood to Bandikui, Baswa, Lalsote and other towns of Dausa Sub-Division ?

(b) If none, does the Government propose to earmark a suitable number of 'Forest Coups' in the adjoining forests of Bigota, Narainjia and Tailya etc, for the supply of fuel wood to the Urhas areas in Dausa sub-division ?

वन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (a) No arrangements have been made.

(b) No.

श्री बी. एन. जोशी : Why not ?

श्री सम्पतराम : It is not possible for the Forest Department to supply firewood to each and every town in the State.

श्री बी. एन. जोशी : Wherefrom they are expected to draw their supplies ?

श्री सम्पतराम : From market.

श्री बी एन. जोशी : Wherefrom shall it come in the market when it is not available in the State ?

श्री सपम्तराम : Whatever supply we have got in Rajasthen is brought to the market by the contractors and the consumers can purchase from them.

श्री बी. एन. जोशी : But if there is no place from where the contractors can bring that fuel wood, then do you mean to say that they should arrange for fuel wood from outside Rajasthan ?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में कह रहे हैं कि जंगल हैं और लकड़ी काटते हैं और वह चारों तरफ जाती है।

श्री बी० एन० जोशी : Is it not understood that in that case the price which the consumers will have to pay will be very exorbitant.

श्री अध्यक्ष : Shri Nathi Singh.

भरतपुर जिले की पहाड़ी तथा सीकरी चिकित्सालयों में बेड्स की व्यवस्था

३२६. श्री नाथीसिंह (कामां) : Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state:—

(1) Is the Government aware that there is no provision for keeping the indoor patients in the Pahari and Sikri dispensaries of Bharatpur District ?

(2) If so, does the Government intend to provide some beds in these dispensaries ?

(3) If so, will the Government arrange for atleast 4 beds in each of these dispensaries keeping in view the fact that within a radius of 15 miles there is no place for the indoor treatment of patients ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :
(1) Yes.

(2) Yes.

(3) Though there is no scheme of 4 beds in the dispensaries, yet 2 emergency beds have been provided in Pahari dispensary near residential quarter of the Medical Officer. The building for Sikri dispensary, which is still functioning in a rented building is under construction in which sufficient accommodation for indoor patients has to be kept.

श्री बी० एन० जोशी : Part 1 of the question is not clear. Is the Government aware that there is no provision ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes, the Government is aware that there is no such arrangement.

श्री अध्यक्ष: श्री जयचन्द मोहिल।

(अनुपस्थित)

श्री हीराभाई।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

पंचायत गुढाएन्दला, तहसील पाली द्वारा हाउस टैक्स की वसूली

३२६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि पाली तहसील की ग्राम पंचायत गुढाएन्दला में हाउस टैक्स लगाने की स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दिनांक १७–१०–५६ को दी ?

(२) क्या ग्राम पंचायत गुढाएन्दला ने हाउस टैक्स सन् १६५७ से वसूल करना आरम्भ कर लिया है ? यदि हां, तो आज तक कितना टैक्स वसूल कर लिया गया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां।

(२) जी हां। सन् १६५८ तक १७३५) रुपया वसूल किया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : जब यह रुपया वसूल किया जा चुका है तो क्या वापिस पंचायतों को उन लोगों को देना होगा ? पंचायतों ने यह रुपया गैरकानूनी वसूल किया है या कानूनी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किया तो कानूनी है।

श्री अध्यक्ष : फिर कानून का आप पूछ रहे हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कानूनी डिप्टी मिनिस्टर अटेच कर दिया जाय।

(हंसी)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : मंजूरी तो १६५६ में मिली और ५७ से वसूल कर लिया, तो कानूनी कैसे हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरा उत्तर तो सुन लें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार कानूनी समझती है टैक्स लगाना पंचायत द्वारा, लेकिन कुछ लोगों ने एतराज किया है, चैलेन्ज किया है कि कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए विधि विभाग के पास दिया गया है कि दरअसल में कानूनी स्थिति क्या है ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : विधि विभाग क्या देखेगा ? १६५६ को मंजूरी दी और १६५७ से वसूल कर लिया। प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या १७–१०–५६ को मन्जूरी दी तो आपने कहा कि 'हां, मन्जूरी दी,' तो मन्जूरी आने से पहले ही वसूल कर लिया, तो यह स्पष्ट गैरकानूनी है।

श्री अध्यक्ष : कानूनी है या नहीं, यही तो विधि विभाग से पूछ रहे हैं।

राज्य पर ऋण

३३०. **श्री० एन० जोशी** (बांदीकुई) : Will the Finance Minister be pleased to state:—

(श्री बी० एन० जोशी)

(a) What was the total public debt of the State of Rajasthan upto 31st December, 1959 ?

(b) How much of it is in the form of Central Government loans ?

(c) What is the annual interest payable by the State Government in respect of the entire debt amount ?

उप मंत्री, वित्त (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (a) The total public loan of the Rajasthan State stands at Rs. 9923.74 lakhs as on 31.12.59.

(b) The Central Government loans amount to Rs. 7741.52 lakhs upto 31.12.59?

(c) The total amount of interest payable varies from year to year as it depends on the terms of loans that are sanctioned and the pricipal amount of loan as it estands from time to time. A provision of Rs. 288.66 lakhs has been made for the year 1959-60 in the revised budget estemates for payment of interest charges. This includes 116.84 lakhs relating to Bhakara and Chambal loans which are being capitalised for the present.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३०१ बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है।

बांसवाड़ा में मही़सागर के बांध की योजना

३०१ रावराजा श्री सरदार सिंह (उनियारा): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में माही सागर के बन्ध की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब से तथा इसकी क्या लागत होगी। किस किस गांव की, कितनी २ भूमि पीवल होगी और इसको कितना कितना रिटर्न होने की संभावना है ?

(२)क्या यह भी सही है कि बम्बई सरकार भी इस ही किस्म की योजना बना चुकी है ? अगर हां, तो कहां पर ?

(३) उपरोक्त बन्ध से किस कदर ग्राम डूब में आवेंगे और किस कदर मुआवजा सरकार ने देना तजवीज किया है और यह प्रोजेक्ट कब तक शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्रीदौलतराम सारण): (१) जी हां, अभी जो योजना स्वीकृत हुई उसकी लागत २०८.७६ लाख रुपया है जिससे बांसवाड़ा जिले में ६७ हजार एकड़ भूमि सिंचाई का अनुमान है। सिंचाई की भूमि का पूरे तौर पर सर्वेक्षण हो रहा है। इस योजना से २.५ परसेंन्ट रिटर्न होने का अनुमान है।

(२) बम्बई सरकार ने राजस्थान, बम्बई सीमा के नजदीक कडाना नामक स्थान पर बान्ध बनाने की योजना बनाई है।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) बांसवाड़ा के इस बान्ध में ३ छोटे छोटे गांव की लगभग ३८०० एकड़ जमीन डूब में आयेगी। जिनकी जमीन डूब में आयेगी उन जमीनों के मालिकों को नहरी जमीन काबिले काश्त अलाट करने की तजवीज है। इस संबंध में निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और प्रोजेक्ट पूर्ण रूपेण अगले द्वितीय वर्ष से प्रारम्भ हो जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बम्बई सरकार बना रही है उसके लिए आपने नहीं कहा कि कितने गांव वगैरह आयेंगे लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बम्बई सरकार ने कडाना में केम्प बना लिया है और काम बड़ी दनादनी से हो रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कडाना में जो वे बना रहे हैं। उनसे बहुत से गांव डूब में आजायेंगे। उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री दौलतराम सारण : बम्बई गवर्नमेंट की योजना अभी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत नहीं हुई है और राजस्थान सरकार ने उसका विरोध किया है और लिखा-पढ़ी चल रही है

श्री अध्यक्ष : फिर 'दनादनी' से काम कैसे हो रहा है?

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं वहां खुद जाकर आया हूं। वहां पर काम हो रहा है, शहर का शहर बस गया है और वहां पर करोडों रुपयों की लागत के मकानात बन गये हैं और काम सब मिट्टी का बन गया है और रिज़रवायर भी तैयार हो चुका है, और आप कहते हैं कि स्वीकृत नहीं हुई है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे जो जानकारी थी और राजस्थान सरकार का जहां तक संबंध है मैंने आपसे निवेदन कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बांसवाड़े में बान्ध बन रहा है उससे बिजली का उत्पादन भी होगा या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : बांसवाड़े के बान्ध से नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कडाना के बान्ध से बिजली का उत्पादन होगा क्या?

श्री दौलतराम सारण : अलग प्रश्न है?

रावराजा श्री सरदारसिंह : कैसे अलग प्रश्न है? वह हाइड्रो इलैक्ट्रिक वर्क है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : कडाना डेम बनने वाला है उसमें सगवाड़ा, गढ़ी और बांसवाड़ा तहसील के कई गांव डूब में आने वाले हैं वहां पर २-४ हजार मजदूर डूंगरपुर और बांसवाड़े से काम पर जाते हैं। उससे नुकसान हो रहा है और सरकार जानकारी लोगों को नहीं दे रही है। उससे इतना जबरदस्त खतरा है! यह कडाना जो

(श्री नाथूराम)

है वह ३२४० फीट लम्बा और २५१ फीट ऊंचा बान्ध होगा। ऊंचाई काफी है और तैयारी उन लोगों ने कर ली है। जानकारी मेरे पास में है।

श्री अध्यक्ष : बजट की बहस में सारे हालात सरकार को बता दें।

श्री नाथूराम : राजस्थान सरकार ने कोशिश नहीं की है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार ने विरोध प्रकट किया है और बम्बई गवर्नमेंट को लिखा है। उनका उत्तर नहीं आया है।

श्री नाथूराम : विरोध का क्या नतीजा निकलेगा जब कि हजारों लोग अन्धेरे में है एक तरफ तो उनकी ज़मीन डूबने की आशंका है और इन टाइम मुआवजा देने का आदेश हो जायगा तो फिर विरोध का नतीजा क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : आखिर विरोध क्या है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : विरोध तो इस बात का किया है कि बान्ध इतना ऊंचा नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऊंचा नहीं बनने से जमीन डूब में कम आयेगी।

श्री नाथूराम : राजस्थान सरकार ने कोशिश की थी कि ऊंचा नहीं बने, लेकिन राजस्थान सरकार का कोई असर नहीं होगा

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि बम्बई गवर्नमेंट जो बान्ध जिस ऊंचाई पर बना रही थी उस ऊंचाई के बान्ध को सेन्ट्रल कमीशन ने स्वीकृति नहीं दी। नीचा बान्ध बनने से राजस्थान पर उसका असर नहीं होगा और उनके क्षेत्र में सिंचाई होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

कुशलगढ़ अस्पताल में उपयुक्त व्यवस्था

३२८. श्री हीराभाई [(कुशलगढ़) श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कुशलगढ़ अस्पताल में कितने डाक्टर व डाक्टरनियां तथा नर्सेज़ के स्थान हैं और वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त अस्पताल के स्तर पर प्राईमरी हैल्थ सेन्टर कायम करना तय हुआ था ? यदि हां, तो उक्त कार्य अभी तक स्थगित रखने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अस्पताल में अपूर्ण सामान व डाक्टरों की कमी के कारण कई केसेज़ झाबुआ तथा बांसवाड़ा अस्पताल में भेजे जाते हैं ?

Page No.35

(श्री हीराभाई)

(४) यदि हां, तो १६५७ से अब तक कितने केसेज़ भेजे गये और उनमें से डिलीवरी होने वाली कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई ?

(५) क्या उक्त समस्याओं को हल करना सरकार उचित समझती है ? अगर हां, तो क्या कदम उठाया जा रहा है और कब तक सम्पूर्ण समस्या हल हो जायगी ?

उद्योगमंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) कुशलगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसके लिये ३ डॉक्टर व एक स्टाफ नर्स स्वीकृत है। इस समय केवल एक डॉक्टर व एक स्टाफ नर्स कार्य कर रहे हैं।

(२) कुशलगढ़ डिस्पेन्सरी को दिनांक १-८-५६ से प्राथमिक केन्द्र में उन्नत किया जा चुका है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) उपयुक्त स्टाफ उपलब्ध होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है। केन्द्र के लिये भवन का निर्माण कार्य चालू है जो निकट भविष्य में पूरा होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

विधायी कार्य

पुरः स्थापित विधेयक राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६६०

श्री रामचन्द्र चौधरी (मन्त्री आबकारी व कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) विधेयक, १६६०, को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) विधेयक, १६६०, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १६६०

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकलचरल इन्कमटैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इनकमटैक्स (एमेंडमेंट) बिल, १६६०, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

Page No.36

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : On a point of order, Sir, the Hon'ble Minister should first sit down and then get up. He cannot go on continuously.

श्री अध्यक्ष : You have probably not counted the times he has sat down and got up.

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६०, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १९६०

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) बिल, १९६०, को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२. २० म. प.

आय व्ययक १९६०-६१ पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री सम्पतराम (अकलेरा) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व टाइम लिमिट होनी चाहिये, वरना किसी को ३ घंटे का समय बोलने के लिये मिल

(श्री सम्पतराम)

जाता है और किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष: आप ही स्टार्ट कीजिये ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Opposition should start, Sir.

श्री अध्यक्ष : समय की सीमा अब तक लगाई नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ३ घंटों तक बोलने की आवश्यकता नहीं है । यह भी ध्यान रहे कि जिन्होंने पहले बहस में हिस्सा लिया है वे दूसरों को भी बोलने का मौका दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.): आप स्वीकृति देंगे तभी तो बोलेंगे, आप स्वीकृति मत दीजिये

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्रीजी ने ६०-६१ का बजट पेश किया था...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह बोल रहे हैं क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : No, no; सभी लीडर हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कल ६०-६१ का बजट पेश किया उस वक्त हाउस खचाखच भरा हुआ था और सभी लोगों को यह आशा थी कि इस बजट से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे लोगों को रोटी-रोजी आदि प्राप्त करने में सहूलियत होगी और आज कल जो मंहगाई बढ़ रही है उसमें कुछ न कुछ हम लोगों को सहारा मिलेगा । लेकिन जब बजट भाषण लोगों ने सुना तो उसके बाद से आज दिन तक लोगों में यह चर्चा हो रही है कि यह बजट जो ६०-६१ का है वह सिर्फ गरीबों को तकलीफ देने वाला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का गला घोंटने वाला है, यह गरीब लोगों के लिये बहुत ही घातक है । इससे एक-दो आदमियों को जरूर खुशी हुई होगी । जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने फर्माया था कि अफीमचियों के लिये कुछ रोक है, अमलदारों ने बड़ी खुशी मनाई होगी और जो आधा तोला खाते थे उन्होंने एक एक तोला खाकर गुजारा किया और आपकी माला फेरते हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक तोला अफीम खाकर आपसे मिले क्या ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसे ऐसे उदाहरण है कि जिनको नहीं मिलता है वे सांप तक कटा लेते हैं; वे तो विचारे कल से ही कितने मायूस हुए हैं । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लोग समझते थे कि हमारी रोटी-रोजी का सहारा होगा, लेकिन इससे तो उल्टी हमारी कटौती हो रही है । दरअसल में बात यह हो रही है कि देवता भी गरीबों के घातक है । राज्य जो है वही आज-कल का देवाता हैं । आज कल के देवता आप लोग ही हैं । उनको रोटी-रोजी के लिये कितनी कठिनाई का सामान करना पड़ रहा है । इस पर भी आप १० पर्सेन्ट की कटौती कर देंगे तो क्या हाल होगा.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उनको रिट्रेन्च नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो शायद आलोचना करने के लिये गुंजायश नहीं रहेगी। आगे जो पोस्टें होंगी उन पर इनको रखेंगे और तब तक उनको तनख्वाह मिलती रहेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप स्पष्ट करके बता दीजिये। मिनिस्टरों के कौनसे स्थान रिक्त थे और उनको भरने की क्या नौबत आई? बड़ी बड़ी तनख्वाह वालों की तो भर्ती करते हैं और छोटों को रिट्रेन्च करते हैं। छोटों की दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं और वे प्रतीक्षा में हैं कि हमको जगह मिलेगी। जिसको उम्मीद दिलाई थी वे मायूस हो जायेंगे। यह जो आपने इसमें फर्माया उससे मैं समझता हूं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत है? उन पर जो बीतती है उसको वे ही जानते हैं। मैं समझता हूं, चतुर्थ श्रेणी में भी ऐसे लोग जो बी.ए. तक पढ़े हुये हैं जिनको ऊपर तक की जगह नहीं मिलती वे बेचारे लेने के लिये चतुर्थ श्रेणी की नौकरी लेना मंजूर कर लेते हैं। जगह जगह आप स्कूल और कॉलेज खोलते हैं। वहां पर एवरी ईयर या हर साल इतने विद्यार्थी निकलते हैं जिनके लिये आपको कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। चाहे चतुर्थ श्रेणी में करें, चाहे मध्यम श्रेणी में, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपने ५ पर्सेन्ट कटौती मध्यम श्रेणी में और १० पर्सेन्ट चतुर्थ श्रेणी में करने का सुझाव दिया है। अब मध्यम श्रेणी के लोगों को चतुर्थ श्रेणी का भी स्थान नहीं मिलेगा। अब स्थान मिलेगा ऊंची श्रेणी के आदमियों को। हमारे यहां कहावत है कि गेहूं में गेहूं होता है और ज्वार में ज्वार होती है, यानी जिनके पास धन है उसके पास धन और भी ज्यादा आता है। जो गरीब होते हैं उनके न नाज होता है और न धन मिलता है; मेरा मतलब कहने का यह है कि उनके स्थान न भरने से मध्यम श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लोगों के लिये यह घातक है। यदि आपको कमी ही करनी है तो उच्च श्रेणी के अधिकारियों में कमी करें। यदि उनमें से १०० आदमी काम करेंगे तो दूसरे १००० आदमियों के बराबर होगा और उधर २००० मध्यम वर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम करेंगे तो २०० अफसरों के बराबर असर करेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह जो बजट में रिक्त स्थान की पूर्ति न करने की बात है उसका असर आयन्दा भी पड़ेगा। इसलिये यह बजट बहुत सराहने काबिल नहीं है। चतुर्थ श्रेणी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही आपसे प्रेम है क्योंकि आप वृद्ध और अनुभवी हैं और मैं चाहता हूं कि आप आयन्दा भी बजट पेश करें; लेकिन खराब बात का असर खराब होता है और उसका असर भी बुरा पड़ता है।

बजट भाषण के पैरा ५ में यह फरमाया है कि सरकार ने जनहित के कार्यों से लिए जनता का सहयोग लिया और सहयोग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की और अब भी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जन सहयोग लेने को कोशिश करेगा। बड़ी खुशी की बात है, सभी लोग आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन आप योगदान लेते नहीं हैं।

सेक्रिफाइस लेने का तो आप विचार नहीं करते हैं। जनता तो सेक्रिफाइस करने को

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तैयार है, लेकिन जनता का तो विश्वास हटता जा रहा है और विश्वास हटने के कुछ कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, विश्वास हटने का यह भी कारण है कि जितनी बड़ी बड़ी योजनायें जो आप बनाते हैं, वे सब योजनायें पार्टी बेसिस पर बनती हैं और जो जनता को सहयोग देना चाहिये, जो सेक्रिफाइस करना चाहती है, उनको नहीं बुलाते है। मैं आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि जनता से कुछ पैसा लेकर और सरकार के द्वारा कुछ मदद दी जाकर कुछ कार्य चलते रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को जबानी टेलीफोन के जरिये बन्द कराया जाता है। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि उनियारा के कस्बे में सड़क बन रही थी, न मालूम कैसी अड़चन आ गई कि वह बन्द हो गई। उनसे पूछा तो कहा, मुझे मालूम नहीं, दूसरे से पूछा तो कहा मुझे मालूम नहीं। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि टौंक से वाया उनियारा एक सड़क बन गई है, लेकिन एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह से बहुत से कार्य हैं, जो पॉलिटिकली पॉइन्ट ऑफ व्यू बन्द कर दिये जाते हैं। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जनता तैयार है सहयोग देने के लिए, जनता सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, जनता यह चाहती है कि हम योगदान भी दे, सेक्रिफाइस भी करें; मगर उसका नतीजा यह होता है जिसके कारण जनता का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए सरकार को पहले जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये.......

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : १६५७ में किया था, विश्वास प्राप्त किया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अगर, सरकार उनके योगदान की आशा करें, तो वह हर तरह से तैयार है। मैं आपसे सब सच अर्ज करूं कि हाई स्कूल के सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। उन्होंने ३० हजार की मंजूर दे दी, १० हजार की और दी लेकिन उसको दिये चार छः महीने हो गये, लेकिन न टेन्डर मांगे गये हैं, और न कोई और बात हुई। मैंने कहा, तो कहा आप जानते हैं कि एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर करता है। उनसे कहा तो कहा "हो जायगा, हो जायगा"। अब मार्च खत्म होने वाला है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जनता यह कहती है कि मंजूरी हो जाती है लेकिन काम होगा तब देखा जायगा। दूसरी एक बात और है, जहां सरकार की सेंक्शन जिस काम के लिए है, वहीं लगनी, चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हैं ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जनता का विश्वास सदन में होता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बाहर भी होना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : बाहर का प्रमाण है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हमको वे प्रतिनिधि बना कर भेजते हैं ....

डॉ० बहादुरसिंह : कितने आये है।

(घंटी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी वे बात न करें। जिन क्षेत्रों में सरकार ऐसी

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

नीति बरत रही है, उनको नहीं बतलायेंगे तो पाप का भागी होऊंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करूं कि बड़ी बड़ी योजनाओं पर सिंचाई वगैरह की; पर प्रथम पंच वर्षीय योजना में और दूसरी पंच वर्षीय योजना में करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं । बड़ी अच्छी बात है, अगर राजस्थान स्वावलम्बी बने तो लेकिन दूसरी पंच वर्षीय योजना खत्म हो रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना होने को है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहूँ कि पंच वर्षीय योजना में आज दिन तक बड़े बड़े बांध बने, सिंचाई के साधन बनाये लेकिन खाद्यान्न समस्या पर इसका क्या असर पहुँचा, आज भी यही दो सेर का गेहूं मिल रहा है । इसलिए आज प्रजा कह रही है कि यह योजना बन गई, वह योजना बन गई; लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं, वही दो सेर गेहूँ मिल रहे हैं; जब कि वर्ल्ड वार के टाइम में पांच-छः सेर का भाव था, उस वक्त बहुत स्केअरसिटी थी अनाज की। आज इतना पैदा होते हुए भी दो सेर का गेहूं मिल मिल रहा है। तो जो सरकार की योजनायें हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा है; इसलिए जनता को भ्रम हो रहा है कि हमारी सरकार इतनी योजना बनाती है, भाखरा बांध बन गया, मेजा बांध बन गया; बन तो गये लेकिन नाज उसी भाव से मिल रहा है, इसलिए हमारे राजस्थान में कोई तरक्की नहीं हुई ।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं, वैसे बहुत सी बातें हैं, वे तो मैं कटमोशन के समय अर्ज करूंगा इस समय टाइम अधिक नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा अर्ज करने का मतलब है कि हर योजना, हर कार्य सरकार कार्यान्वित करे; लेकिन उनमें सरकार सबकी भावना को पहले देख ले और उनकी भावनाओं को को लेकर जो जो अविकसित क्षेत्र हैं, उनके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिये । ऐसा नहीं हो कि जो विकसित क्षेत्र हैं उनको आवश्यकता न होने पर भी ज्यादा रुपया दे । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा । इसके ऊपर मैं कटमोशन के समय निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में १९६०-६१ का बजट पेश किया, उसके सिलसिले में मुझे कुछ बातें कहनी हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद ध्यान से पढ़ा भी । इस सदन में आज तक बहुत से बजट पेश हुए हैं, उनको मैंने ध्यान से सुना भी है और पढ़ा भी है । मेरा मानना है कि आज तक जितने बजट पेश हुए हैं, यह बजट उन सब बजटों से ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने बजट पेश किया है....

श्री चन्दनमल वैद : मैंने तो बजट पेश नहीं किया....

श्री भैरोंसिंह : आप जिस वक्त वित्त मंत्री थे, उस वक्त पेश किया है ।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे विश्वास भी है; मैं ही पेश करूंगा, आप नहीं करेंगे ।

(श्री चन्दनमल वैद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पेश हुआ है, यह इस मायने में संतुलित है कि इसमें न ज्यादा आशा दिलाई गई है और न निराशा, न ज्यादा कर लगाये गये हैं और न अधिक घाटे या मुनाफे की तरफ संकेत किया गया है। इस मायने में मैं समझता हूं कि बजट संतुलित है। इस बजट की व्यवस्थिति मैं इस मायने में समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि हमको बहुत से जनहितकारी कार्य करने हैं। जनहितकारी कार्यों को करने के लिए पैसे की जरूरत है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं। इससे व्यवस्था का पता लगता है। मैं देखता हूं कि यह व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि बजट व्यवस्थित है। अर्थ जुटाने के कई तरीके होते हैं, एक तो बहुत सा कर्जा ले लें, दूसरा होता है, टैक्स लगा दें, तीसरा होता है, हम अपने फाइनेन्सेज में डेफीसिट रखें और चौथा तरीका यह भी होता है कि हम खर्च में इकोनोमी करें, घटत करें। मैं देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इन चारों उपायों को काम में लिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह बजट व्यवस्थित है। उन्होंने जहां ६५ करोड़ के कर लगाये हैं, उन्होंने....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ६५ लाख ।

श्री चन्दनमल वैद : ६५ लाख....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने वाकई ध्यान से पढ़ा है।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : वहां उन्होंने कोशिश की है कि अगले साल २५ लाख रुपये की अपने खर्च में घटत करें और इसके साथ साथ यह बताया है कि ५ करोड़ रुपया कर्जा लेकर, जो डेवलपमेंट के और उन्नति के कार्य करने वाले है, उनमें योगदान देंगे। वित मंत्रीजी ने यह नहीं बताया है कि अल्प बचत योजना से कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। हम सब जानते हैं कि अल्प बचत योजना के जरिये काफी पैसा इकट्ठा किया जायगा और इस काम में लगाया जायगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि यह बजट बहुत संतुलित और व्यवस्थित है। मैं समझता हूं इसके लिए हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

अब जो उन्होंने कर लगाये हैं, उसके बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूँ। एक बात खास तौर से कहना चाहता था, उसका मेरे शंका समाधान हो गया है क्योंकि हमारे राजस्व मंत्री जी ने सरचार्ज के सम्बन्ध में बिल पेश कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरचार्ज ऐसे व्यक्तियों पर लगाना चाहिए जो यह भार वहन कर सकें, ऐसे लोगों पर नहीं लगे जो १०,२० रुपया लैंड रेवेन्यू देते हैं। मेरी शंका का समाधान हो गया है क्योंकि सरचार्ज उन पर लगेगा जो ५० रुपये से ज्यादा लैंड रेवेन्यू देते हैं। लेकिन एक बात मैं राजस्व मंत्री को खास तौर से कहना चाहूंगा: आपको याद होगा, जब लैंड होल्डिंग पर, सीलिंग बिल पेश हुआ था और बहस हो रही थी, उस वक्त हनुमानगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया था कि वहां एक बीघा जमीन की कीमत हजार रुपया है, वहां चार आना-पांच आना लैंड रेवेन्यू है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि चूरू ज़िले में एक बीघे की पांच रुपया कीमत है

(श्री चन्दनमल वैद)

लेकिन लैंड रेवेन्यू चार आना है। मुझे आशा है कि इस फर्क को किसी न किसी तरीके से कम करने का उपाय करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गंगानगर में वे लैंड रेवेन्यू बढ़ावें, पर जहां १०००) रु० बीघा जमीन की कीमत है वहां पर भी लैंड रेवेन्यू की दर ४ आना बीघा और जहां पर ५) रु० बीघा जमीन की कीमत है वहां पर भी लैंड रेवेन्यू की दर ४ आना बीघा, इस डिस्पेरिटी डिफरेंशियेशन को हटाना चाहिए । बल्कि मैं तो राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि चूरू जिले का लैंड रेवेन्यू माफ होना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि राजस्व मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरी बात टैक्सेज के बारे में कहना चाहता हूं, वह है हमारे वित्त मन्त्रीजी की जादूगरी। वित्त मन्त्रीजी यहां मौजूद नहीं, मैं आशा करता हूं कि दूसरे मन्त्रीजी उन तक इस बात को पहुँचावेंगे । हमारे राजस्थान में कहावत है कि गाजर की गाजर और पूंगी की पूंगी, जब तक बाजे, बजाये जाओ और टूट जाय तो खा जाओ। तो वित्त मन्त्री जी वित्त मंत्री भी हैं और जादूगर भी हैं..

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यह कहो कि गाजर भी हैं और पूंगी भी हैं।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : यही तो मैं कह रहा था। तो वित्त मन्त्रीजी ने ऐसा तरीका निकाला है कि जनता को सहूलियत भी दे दी और टैक्स भी बढ़ा दिया और कह गये कि टैक्स की दरों के पांच-सात तरीके हैं, उनकी जगह चार तरह के ही कर रहे है; इससे जनता को व व्यापारियों को सहूलियत होगी । मैं तो यह कहता हूं कि मुरारजी देसाई को यह तरीका मालूम होता तो सारे हिन्दुस्तान का भाग्य चमक जाता। वित्त मन्त्रीजी को अपना यह तरीका पेटेन्ट करा लेना चाहिए, नहीं तो दूसरे वित्त मन्त्रियों को पता चल गया तो वे भी इसे अपनाने लग जायेंगे।

अजायबघरों की एक दिन सदन में बात चल रही थी तो जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने इस पर जोर दिया कि अजायबघरों की समस्या ऐसी है, उनकी बड़ी खराब हालत है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे वित्त मन्त्री हैं, तो अजायबघरों की समस्या कैसे खराब हानी चाहिये।

(हंसी)

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बजट काफी व्यवस्थित और संतुलित है, पर इससे यह मानना कि सारा श्रेय वित्त मन्त्रीजी को है, यह उचित नहीं होगा । इसमें सारे राजस्थान की जनता का और इस सदन के सदस्यों का हाथ है, जिन्होंने लगातार मेहनत की है। सभी के सम्मिलित प्रयत्नों से, लगभग १० वर्षों के निरन्तर प्रयास से हमारी आर्थिक नीति व्यवस्थित, संतुलित और ठीक हुई है, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संतुलित अवस्था में पहुँची है। तो लोग यह अवस्था सह नहीं रहे हैं। एक हमारे ही इस सदन के माननीय सदस्य जो विरोधी दल में बैठते हैं, हमारे राजस्थान

Page No.43

(श्री चन्दनमल वैद)

का एक हिस्सा दूसरे प्रान्त से जोड़ कर ग्रेटर देहली बनाया जाय, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। वे कुछ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर भी हासिल कर रहे हैं। हमारी विधान सभा की बैठक शुरू हुई उससे पहले सुना था। पंजाब में सिखिस्तान की मांग उठ खड़ी हुई है, इसका इलाज यही जान पड़ा है कि पंजाब और राजस्थान को मिला कर एक प्रान्त बना दिया जाय। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में हमने काफी तकलीफें उठाई हैं, दस वर्ष की अथक मेहनत के बाद हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, हमें और किसी इन्टीग्रेशन की जरूरत नहीं, हर राजस्थानी इसका विरोध करेगा और हम विधान सभा में बैठे सदस्य इसका विरोध करेंगे। वे अपनी प्रोब्लम को सोल्व करने के लिये, भरतपुर की प्रोब्लम है, वे समझते हैं कि इस स्थिति में वे इग्नोर किये जा रहे हैं, इसलिये अपनी पूछ कराने के लिये यह नारा लगाते हैं तो यह बुरा होगा। अजमेर का विलय हुआ था, उस समय अजमेर के मुख्य मन्त्री जो इस समय हमारे वित्त मन्त्री हैं उन्होंने अजमेर में कहा था कि अजमेर राजस्थान में विलय हो जायगा तो हम राजस्थान की बहुत सी समस्याओं को हल करने में कामयाब होंगे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने राजस्थान की कोई समस्या हल की या नहीं, पर आज राजस्थान के सामने नसीराबाद और ब्यावर की समस्याएं जरूर हैं, जिनको हल करने में मुश्किल हो रही है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : फाइनेन्शियल पोजिशन को स्टेबल कर दिया।

श्री चन्दनमल वैद : फाइनेन्स जो स्टेबल हुआ है वह हमारे १० वर्षों के प्रयत्नों और कोशिशों से हुआ है। तो हमारी इस स्टेबिलिटी और संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा जो लोग करना चाहते हैं, उनका हम एक आवाज से विरोध करेंगे, हम यह साफ कहते हैं कि हमें कोई दूसरा इन्टीग्रेशन नहीं चाहिये, हम इसी में भले हैं, चंगे हैं, खुश हैं, एक कुटुम्ब हमारा बन चुका है, हम इसी में खुश हैं, आगे और बढ़ाने को हम कतई उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी कहती है और चाहती है कि और बच्चे पैदा न किये जायं।

(हंसी)

तो नीति सम्बन्धी बातों पर मैं अब सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा है, नेश्नेलाइजेशन की तरफ संकेत किया है कि रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ किया जायगा। मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूं और न इसका समर्थक ही हूं। मैं यह नहीं मानता कि समाजवादी समाज में राष्ट्रीयकरण जरूरी है। यह गलत है कि हर ट्रेड का राष्ट्रीयकरण किया जाय। अगर हम इसे प्रजातान्त्रिक ढांचे पर आधारित करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मौका दें, सभी ट्रेड्स का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो वह डेमोक्रेसी में फिट इन नहीं होता। अगर समाजवादी समाज व्यवस्था को डेमोक्रेसी में फिट बैठाना है तो कुछ ट्रेड्स को,

(श्री चन्दनमल वैद)

कुछ इन्डस्ट्रीज़ को राष्ट्रीयकरण के बाहर रखना पड़ेगा। सब ट्रेडस का राष्ट्रीयकरण टोटेलिटेरियन स्टेट में ही संभव हो सकता है।

तो मैं यह नहीं मानता कि समाजवादी समाज व्यवस्था के लिये यह जरूरी है कि हर ट्रेड का राष्ट्रीयकरण किया जाय। अगर रोडवेज का इसीलिये राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं कि समाजवादी समाज व्यवस्था के लिये यह जरूरी है, तो यह गलत है। इस तरह का काम इस सीमा तक करने में हम जनता का कितना हित कर सकते हैं, राष्ट्रीयकरण करने में हमारा मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिये, हमें यह सोचना चाहिये कि नेशनलाइज करने से जनता का हित कर रहे हैं, तो उस चीज को जरूर नेशनलाइज़ करना चाहिये। केवल समाजवादी समाज व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, तो वह गलत कर रहे हैं।

रोड ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के लिये यह प्लान होना चाहिये कि इससे जनता का कितना फायदा है, इससे सर्विसेज में बढ़ौतरी होगी कि नहीं ? राष्ट्रीयकरण आज करते हैं तो आज रूरल रोड्स पर बसेज़ नहीं चलती हैं, यात्री गाड़ियां रूरल रोड्स पर कम चलती हैं, नेशनलाइज करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि हर व्यक्ति उस रूट पर अपनी गाड़ी लगाते समय यही सोचेगा कि अगर हमने इस रोड पर पूंजी लगाई तो न मालूम राजस्थान सरकार कल ही इसको नेशनलाइज़ न कर ले। दूसरी बात यह है कि अगर हम यह बात करें कि हम सारी रूटों को नेशनलाइज कर लेंगे और माल ढोने वाली गाड़ियें हैं उनको भी नेशनलाइज़ कर लेंगे तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की बात सोचना गलत होगा क्योंकि बम्बई सरकार १० वर्षों से यह नेशनलाइजेशन ट्रान्सपोर्ट का कर रही है, मगर वहां पर भी यह कार्य कुछ अंशों में ही हो पाया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, यू. पी. में भी यह नेशनलाइजेशन पूरा नहीं हो पाया है। बिहार को हम ले सकते हैं। वहां पर काफी वर्षों से यह कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी वे सारी गाड़ियों का नेशनलाइजेशन नहीं कर सके हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस कार्य को नहीं कर सकेगी और दूसरे लोगों को जो इस कार्य को करने वाले हैं, अगर उनको हटाती है तो सरकार को जो अभी ट्रान्सपोर्ट सर्विस मिल रही है वह कम हो जावेगी और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। लोगों को बहुत असुविधाएं होंगी।

डॉ० बहादुरसिंह : यहां ट्रान्सपोर्ट वालों की वकालत हो रही है।

श्री चन्दनमल वैद : आप कुछ भी समझें, मुझे डर नहीं है। दूसरी बात यह सोचने की है और सरकार को सोचना चाहिये कि आया जो फ्रिक्वेन्सी और सर्विस आज मिल रही है, क्या वह नेशनलाइजेशन होने के बाद भी लोगों को सरकार दे सकेगी ?

मुझे किसी ने बताया कि जयपुर–अजमेर रूट है, वहां आज १० बसें चल रही हैं, नेशनलाइजेशन के बाद सरकार की

(श्री चन्दनमल वैद)

तरफ से ८ बसें चलाई जावेंगी, तो मैं यह कहूंगा कि जनता को इससे नुकसान होगा। किसी चीज़ को नेशलानेइज़ करने से पहले हमको यह सोचना चाहिये कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे जनता का ज्यादा हित होगा या नहीं और जनता को जो सर्विस आज मिल रही है उससे ज्यादा दे सकेंगे या नहीं। अगर आप की योग्यता इस बात में है तो निश्चित रूप से आप रखें। इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। अगर आपके नेशनेलाइजेशन से जनता की सर्विसेज में कमी आती है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आपको इसे करने से पहले दो बातों पर सोचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शराबबन्दी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि शराबबन्दी की पॉलिसी को अपनाते हुए शराब की आमदनी बढ़ रही है। मैं फाइ-नेन्स मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें और अपनी नीति स्पष्ट घोषित करें। एक तरह तो दुनियां को यह दिखाना चाहते हैं कि हम शराबबन्दी करना चाहते हैं और दूसरी ओर शराब से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। मगर इससे यह साफ है कि आज ऐसी स्थिति है कि आप उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि आप यह समझते हों कि आप कुछ समय तक शराब बन्द नहीं कर सकते, हो सकता है कि हम शराब के प्रोहिबिशन के हामी हों लेकिन आज हमारी स्थित ऐसी नहीं है कि हम उसको बन्द कर सकें, तो आप स्पष्ट कह दीजिये कि हम शराब की दो, चार या ५ वर्षों तक के लिये आमदनी को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। आप एक तरफ यह कह रहे हैं कि हम शराब बन्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप शराब से आमदनी बढ़ा रहे हैं। सरकार को किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिये। आपने बताया है कि पिछले साल आपकी एस्टीमेटेड आमदनी ३ करोड़, ३८ लाख की थी और इस साल ३ करोड़, ८२ लाख की आमदनी इससे होनेवाली है। इस तरह से इस मद से आपकी सालों साल ५० लाख के करीब आमदनी बढ़ रही है और जो शराब की मात्रा है उसकी ज्यादा खपत हो रही है। इसके कारण हैं, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। अगर आप शराब की खपत के आंकड़े बतावें तो यह निश्चित रूप से मालूम हो सकता है। इसलिये आपको निश्चित पॉलिसी अख्त्यार करनी चाहिये कि प्रोहिबिशन की पॉलिसी पर अमल करनी चाहिये या नहीं। और यदि नहीं करनी चाहते हैं तो कितने वर्षों तक या किस रूप में। इस प्रकार से सही रूप से राजस्थान की जनता के सामने आपको अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यदि इसके बाद अगर मैं यह नहीं बताऊं कि यह कल्याणकारी बजट कैसे है तो मैं अपनी डयूटी को अदा नहीं करता हूं।

बजट में १९५०–५१ में आय थी	१६ करोड़, ६ लाख के करीब।
आज १९६०–६१ में आय है	४५ करोड़, १४ लाख।

(डॉ० बहादुरसिंह)

तो मोटे तौर पर इन १० सालों में यह आमदनी तीन गुनी बढ़ी है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : ये जागीरें खालसा होने से बढ़ी हैं।

श्री चन्दनमल वैद सरवे खालसा होने से बढ़ी हैं या इन्टीग्रेशन से बढ़ी हैं बढ़ी जरूर हैं, और आमदनी बढ़ी जरूर है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अगेन्स्ट में आप देखें तो आप १९५१-५२ में पुलिस पर २ करोड़, ६१ लाख खर्च करते थे मगर अब वह खर्चा भी पहले से १॥ गुणा हो गया है। अब आप सिविल एडमिनिस्टेशन की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि पहले २ करोड़, ३९ लाख रुपया था और उसके मुकाबले में अब ३ करोड़, ४७ लाख है। यह भी १॥ हो गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर १ करोड़ ८० लाख था। उसके बजाय अब हो गया है २ करोड़, ६१ लाख। वह भी बढ़ा है। इसके अलावा और भी जगह खर्चा हुआ है वह १९५१-५२ के खर्च से १॥ गुणा बढ़ गया है। यह संतोष की बात है कि व्यय १॥ गुणा बढ़ा और आमदनी तीन गुणा बढ़ी। तो एजुकेशन में २ करोड़ खर्च कर रहे हैं वहां ६०-६१ में ६ करोड़, ८७ लाख रखा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में हमारा खर्चा तीन गुणा बढ़ गया है। इसी प्रकार मेडिकल एन्ड हैल्थ में १९५१-५२ में १ करोड़, ५१ लाख खर्च करते थे और अब ५ करोड़, ५ लाख का प्रावधान रखा है। वह भी ३॥ गुणा बढ़ा है। जहां हमारी आमदनी तीन गुणा बढ़ी है वहां सर्विस पर हमारा खर्च १॥ गुणा बढ़ा है और दूसरी सेवाओं पर हमारा खर्च ३॥ गुणा के करीब हो गया है। यह हमारे लिये संतोष की बात है और इसके लिये वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिये और मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आज माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने सन् १९६०-६१ का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज नहीं कल बजट पेश किया था।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह तो एक ही बात है। इसमें आमदनी और खर्च--कुछ आमदनी बढ़ाई और कुछ टैक्स कम किये, वह तो जनता की दृष्टि से जिस तरह से आमदनी बढ़ाई है, उसमें सेल्स टैक्स में आमदनी बढ़ाई उससे तो पब्लिक को परेशानी होगी। जिन चीजों में आमदनी बढ़ाना चाहिये उसका इस नये बजट में हम खयाल करते थे कि नया बजट आवेगा उसमें राजस्थान सरकार इन इन चीजों की आमदनी बढ़ा कर जिससे न तो पब्लिक का कोई नुकसान होगा और ज्यादा पब्लिक को सुविधा मिल सकेगी।

जैसा कि हम सोचते हैं कि ट्रान्सपोर्ट नेशनेलाइजेशन से दूसरे प्रान्तों में जो सुविधा मिली है उससे वे अच्छी अच्छी बसों में चल सकते हैं। परन्तु राजस्थान सरकार इस नेशनेलाइजेशन में, मैं करीब साल डेढ़ साल से प्रयत्न में हूँ कि अगर वह नेशनेलाइजेशन करें तो इससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि इससे राजस्थान सरकार में जिस तरह की आज भावना है कि पब्लिक के जो नुमायन्दे हैं जो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सरकार में बैठते हैं वे लोग आज परमिट देकर नाजायज फायदा उठाते हैं और नाजायज परमिट देते हैं और इससे खराब मोटरों को पास कर दिया जाता है और इससे पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। ऐसी हालत में जिस प्रकार बम्बई, मध्यप्रदेश, और यू० पी० में मोटरें चल रही हैं वे बहुत अच्छी मोटरें हैं और उनसे पब्लिक के लोगों को इतना सुख है कि आज उससे सरकार को भी फायदा है और पब्लिक के लोगों को भी फायदा है और वे भी यही कहते हैं कि सरकार ने नेशनेलाइजेशन करके हमारे लिये सुविधा कर दी है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा यह सोचने के बावजूद भी आज सिर्फ जयपुर देहली रोड को ही नेशनेलाइज़ किया है। करीब डेढ़ दो वर्ष से यह स्कीम चल रही थी और राजस्थान सरकार ने नेशनेलाइज़ न करके कुछ परमिट दे दिये। ये परमिट नहीं देने चाहिये थे जब कि उनको नेशनेलाइज़ करना था। जब परमिट दे दिये तो फिर हाईकोर्ट से रिट आ गया और नेशनेलाइज़ेशन नहीं कर सके। यह गलती किसकी है ? यह गलती राजस्थान सरकार की है। गलती तो खुद करोगे और फिर कहोगे कि नेशनेलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट का रिट आ गया है। आप हाईकोर्ट के कानून को थोड़े ही पकड़ सकते हो ? राजस्थान में जो भी रूट्स सेंक्शन किये जायं उन पर सरकार की ही बसें चलें न कि परमिट देकर बसें चलावें जिससे कि राजस्थान सरकार को दिक्कत भी न हो और थर्ड फाइव इयर प्लान में वहां ६०० मील लम्बी सड़कें सरकार बनाने जा रही है और उसके बनने के बाद यह सोचे कि उनमें से कुछ रूट्स को नेशनेलाइज़ करना है और करेंगे। बड़े बड़े रूट्स सरकार बनाने के लिए जा रही है उसके लिए सरकार से निवेदन करूंगा कि उन रूट्स पर सरकार की ही बसें चलें। इससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है और जनता को भी बड़ी सुविधा हो सकती है।

१. १. म. प.

दूसरा राजस्थान में डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन किया है, यह सबसे अच्छा काम किया है। दूसरे प्रान्तों में ऐसा काम नहीं हुआ है। लेकिन डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के कानून में कुछ खामियां हैं उनको जब तक दुरुस्त नहीं किया जावेगा तब तक पंचायतों के दिये गये अधिकारों का पालन नहीं होगा और आज नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिये। उसके अन्दर जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करना चाहिये और पंचायत समितियों के अध्यक्ष और ऑफिसर्स के बीच में जो मतभेद है। सेन्ट्रल से प्लानिंग के मिनिस्टर आये उनके सामने भी चर्चा हुई है और केबिनेट में भी इस तरह की बातें हुई हैं। और जो प्रधान और प्रमुख हैं उनको जो पॉवर्स दिये गये हैं उन दोनों के अधिकारों में भी मतभेद रखा गया है। प्रमुख को एक्ट के अन्दर पॉवर्स नहीं दिये हैं और प्रधान को बी. डी. ओ. के अन्तर्गत रखा है। उनको अधिकार देने के बाद किस तरह का काम चल रहा है पंचायतों का ? मैं तो यह मानकर चलता हूं कि जब डेवलपमेंट के द्वारा काम होता था, रुपया मिलता था तो ज्यादा काम होता था बावजूद डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन होने के बाद। ऑफिसरों और अध्यक्ष के बीच बराबर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

झगड़ा चलता रहता है। उनमें क्या कमियां हैं यह देखना चाहिये........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय सदस्य को इस कानून में क्या कमियां नजर आती हैं, किस दफा में कमियां नज़र आती हैं, यह तो जरा बता दें।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : राज्य आप चलाते हैं या ये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कानून आप बनाते हैं न कि मैं।

श्री चन्दनमल वैद : तनख्वाह तो लेते हैं माननीय मन्त्री महोदय और खामियां बताये माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये खामियां पंचायतों में हैं। प्रधान, प्रमुख और मेम्बर कोऑपशन से मेम्बर आते हैं और दूसरे चुन कर मेम्बर आते हैं, जैसे अपन को वोट लेना होता है। अपन सब जायज़ और नाजायज़ काम करते हैं खुश करने के लिए उसी तरह से कोऑपशन या चुनाव से आनेवाले मेम्बर हैं उनको प्रधान खुश करता है और करना चाहेगा तो बी. डी. ओ. कहेगा कि मैं इस पैसे को कैसे दूं जब तक कि हिसाब न आ जावे। कोई तरीका इस प्रकार का ढूंढ़ना चाहिये जिससे कि जो पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग हो। ऑफिसर्स जितने रखे गये हैं, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका, एक्सटेन्शन ऑफिसर चाहे डवेलपमेंट का काम हो, चाहे नेशनेलाइज़ेशन की हो, सड़कों का काम हो, इर्रिगेशन का काम हो, डिपार्टमेंटल काम करायें तो लाखों रुपयों का फायदा हो सकता है, काम भी सीखेंगे, फालतू जीपें लेकर दौड़ते-फिरते हैं उनसे काम कुछ होता नहीं। सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

एग्रीकल्चर से कुछ फायदा लोगों को हुआ है, मैं मानता हूं। दूसरे दूसरे ऑफिसर्स से जनता को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हुआ है। पी. डब्ल्यू. डी. का काम डिपार्टमेंटली हुआ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में २० लाख का काम हुआ, इतना अच्छा काम हुआ जितना कि राजस्थान के किसी ठेकेदार ने आज तक नहीं किया। जितने ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में यह है कि ज्यादा से ज्यादा काम ठेके से हो इसलिए हर एक विभाग के माननीय मन्त्रीजी से मैं प्रार्थना करूंगा कि मैंने पचासों चिट्ठियां लिखी होंगी कि डिपार्टमेंटल काम क्यों नहीं कराया जाता है लेकिन ऑफिसर्स बैठे हैं वे माननीय मन्त्रीजी से कह देते हैं कि डिपार्टमेंटल काम कराने में परेशानी होती है। खून का पसीना करना पड़ता है। मुफ्त का नहीं खाना पड़ता। धूप में, बरसात में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। यदि पूरे तौर पर कल्याणकारी राज्य बनाना है, जनता की बेकारी को दूर करना है तो सरकार की ओर से ऑर्डर किया जाय कि इतने लाख रुपयों का डिपार्टमेंटल काम होगा। फिर देखिये कि कितनी बेकारी दूर होती है।

ठेके से काम कराते हैं तो पूंजीवाद पनपता है, नेशनेलाइज़ेशन नहीं करते हैं तो पूंजीवाद को पनपाते हैं, लेबर को नहीं। राजस्थान बना तब से पूंजीपतियों को फैक्ट्री के नाम से रुपया दिया वह वापिस नहीं आ रहा है। बजट के भाषण में यह कहा कि कुछ मिलें बन्द कर दी हैं, लेबर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बेकार हैं ! मैं कहता हूं कि इन मिलों को नेशनेलाइज़ कर लेना चाहिये। जब तक सरकार का कर्म हाथ नहीं होगा तब तक ये पूंजीपति हैं उनका दिमाग ठीक नहीं होगा। नेशनेलाइज़ेशन करेंगे तब तक जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी । आप लोगों को तकलीफ जरूर होगी। लेकिन आज तकलीफ हो सकती है लेकिन कल तकलीफ नहीं होगी।

माननीय सदस्यों से भी बराबर यह निवेदन करना चाहता हूं कि १७६ माननीय सदस्य हैं और अपन सब ही यह सोच लें कि सरकार का जो रुपया पैसा है वह अपना रुपया पैसा है तो ४१ करोड़ का बजट जो पास करने जा रहे हैं उसकी एवज़ में ८२ करोड़ की आमद एक वर्ष में हो सकती है और काम हो सकते हैं, यदि सब ही माननीय सदस्य सोच लें, विचार लें । मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं अकेला ही ५ करोड़ का एक वर्ष में काम करके बता सकता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर........

श्री मुक्तिलाल मोदी : सब ही के लिए मैंने बताया है, शिक्षा मेडिकल आदि। मैं अकेला पांच करोड़ का काम कराके बता सकता हूं।

तो ऐसी हालत में डीसेन्ट्रलाइज़ेशन आपने ठीक किया। इसके अन्दर पंचायतों को अधिकार दिया गया है। पंचायत कानून जो है उसको रद्दोबदल किया जाना चाहिये। पंचायतों को आपने डवेलपमेंट के काम सौंपे हैं उसके साथ साथ मुकदमों का काम भी सौंपा है वह ठीक नहीं है । पंचायत विकास का काम करेगी या मुकदमों का फैसला करेगी ? न्याय पंचायतों को कायम करना चाहिये।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : वह तो हो ही रहा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : न्याय पंचायतें बनेंगी वे पंचायतों की अपील सुनेंगी। न्याय पंचायत एक तहसील की होगी, वह सारे मुकदमों को सुनेगी इस तरह से आज जो पंचायतों के पास काम है वह हल्का हो जायेगा। मेरा ऐसा मानना है।

दूसरी बात यह है कि आज सरकार की तरफ से कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस जो हमारे राज्य की है वह मिलिट्री की तरह है। पुलिस का कारखाना खोल दिया जाय, इनकी ओर आप जरूर देखिये। आप उनसे काम ले लीजिये आज जो कर रहे हैं उससे सवाया ले लीजिये लेकिन जो उनको तनख्वाह आप ४५-५० रुपया देते हैं वह बहुत कम है। उनके आठ-नौ बच्चे हैं और मेरे को जिसके कुछ नहीं है आप ढाई सौ रुपया देते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपके बच्चों की संख्या कितनी है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसी हालत में एक चपरासी को ५०-५५ रुपया देते हैं वहां एक आई० ए० एस० ऑफिसर को हजार-बारह सौ रुपया देते हैं यह अन्तर कभी मिटेगा भी या नहीं ? इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। ये लोग हमें कहते हैं कि आपने तो अपने ढाई सौ रुपये करवा लिये, पचास रुपये ज्यादा बढ़वा लिये; हमारा

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कुछ नहीं किया, हमारा गला काट लिया। मैं तो सोचता हूँ, कि यह हमारे पैसे नहीं बढ़ाते तो भी कुछ नहीं। ऐसी हालत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिये। आपने बजट में भले ही नहीं रखा हो लेकिन दूसरी तरह से आप विचार कर सकते हैं : आप चाहें तो और टैक्स बढ़ा दीजिये किन्तु इन लोगों की तनख्वाह की तरफ जरूर विचार कीजिये।

इसके अलावा मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि पुलिस के जितने थाने हैं एक दो थानों को मैंने होम मिनिस्टर साहब को बताया भी है जहां बरसात के अन्दर पुलिस के कर्मचारी तम्बुओं में रहते हैं उनके कपड़े भीग जाते हैं आप उसके लिये कितना ही रुपया मन्जूर करवा लीजिये लेकिन उनके लिये चौकियें बनवाइये, थाने बनवाइये। उनसे आप श्रम करवा लीजिये। वे उसके लिये भी तैयार हैं। यह कार्य इस तरह से करिये जिससे राजस्थान धीरे धीरे उन्नति कर सके।

आपने शिक्षा के बारे में तरक्की की है इससे मुझे बड़ो खुशी है। इस विभाग के राजस्थान में उदारमना मिनिस्टर मिल गये। जब भी कभी शिक्षा के बारे में मैं जाता हूं किसी सेठ के द्वारा पैसा दिया जाता है। बिल्डिंग आदि बनवाने के लिये तो वे फौरन उसकी मन्जूरी दे देते हैं।

एक माननीय सदस्य : ये पैसे किसको देते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : बिल्डिंग आदि बनाने के लिये देते हैं।

मेडिकल के अन्दर भी तरक्की की है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहां एक सवाई मानसिंह अस्पताल है इसमें बैड्स की कमी है उसको बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिये। केपिटल है, दूसरे दफ्तर भी यहां आ रहे हैं पर यहां ६०० आदमियों की ही जगह है। हॉस्पिटल के अन्दर आप देखेंगे कि एक हजार आदमी हैं जिनमें से ४०० आदमी नीचे पड़े रहते हैं। इस ओर भी माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। जो नीचे पड़े रहते हैं उनके लिये या तो बैड्स की संख्या बढ़ानी चाहिये या नया अस्पताल बनाना चाहिये।

इसके अलावा हमें एक व्यवस्था यह भी करनी चाहिये कि आज जो गांवों में रहते हैं वे शहरों में चले आ रहे हैं यह इसलिये कि वहां उनके गुजारे के साधन नहीं हैं। आप गांवों में जाकर देखिये गांव वालों का धन्धा खत्म हो रहा है। आज जो गांवों से निकल कर बाहर चले गये वे काफी धनवान हैं, उनको आज पैसे की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे जो मध्यम श्रेणी के हैं उनके गुजारे के लिये प्रबन्ध होना। चाहिये गांव की उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जहां आप शहरों में हो सब दफ्तर बढ़ा रहे है वहां आपको गांवों की ओर भी ध्यान देना चाहिये तभी गांव के लोग शहर को ओर नहीं आयेंगे। आप गांवों की पांच बरस पहले को पोपुलेशन को देखें और आज की देखें और उस आधार पर पैदावार को देखें तो आपको पता चलेगा कि पोपुलेशन ज्यादा होता जा रही है और पैदावार कम होती जा रही है। गांवों में उन्नति करेंगे तो लोग अपने आप गांवों की ओर चले जायेंगे। गांव में पढ़ाई के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

साधन बढ़ाइये। आपने जो डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन का कदम उठाया है वह बहुत ठीक है । उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है । अब आप गांवों के अन्दर काम करिये हिन्दुस्तान के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं तब सोचेंगे कि राजस्थान की मिनिस्ट्री गांवों के अन्दर ज्यादा काम कर रही है उसने गांवों की ज्यादा उन्नति की है । तब वे लोग भी और दूसरे प्रान्त के लोग भी आपके देखादेखी वे चीजें करेंगे । इस तरह से एक चीज तो सारे हिन्दुस्तान में दिखाई देगी । नहीं तो यह होगा कि दूसरे प्रान्तों के लोग शहरों में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शहरों में फैक्ट्री खोलते हैं, कॉलेज़ खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। इस तरह से राजस्थान के अन्दर अगर गांवों में ये चीजें हो जाती हैं तो राजस्थान की मिनिस्ट्री की बहुत इज्जत होगी और जो पैसा शहरों में खर्च होता है वह गांवों में होने लग जायेगा। इस तरह से राजस्थान का देश भर में नाम होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के काम के अन्दर हाथ बढ़ाइये। दुनियां के दूसरे कोने के अन्दर हर एक अपने पैसे की तरह सरकार का पैसा समझते हैं और वे उसी तरह खर्च करते हैं। इसके लिये मेहनत कीजिये । वे तो ज्यादा नहीं चाह सकते।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक हम यह नहीं सोचेंगे कि यह पैसा सरकारी नहीं अपना खुद का है तब तक इस दुरुपयोग को नहीं रोक सकते। आज कहा जाता है कि फलां अफसर रिश्वत खा गया, फलां डिपर्टमेंट में रिश्वत है । मैं इस बात के लिये यह मानता हूं कि अपने लोगों की कमज़ोरी से ये रिश्वतें खाते हैं। अगर अपन अपनी कॉन्स्टिट्यु-एन्सी में पर्सनली उनके टच में रहें और जो भी काम हो उसमें निकट से दिलचस्पी लें और कहें कि नहीं यह काम डिपार्टमेन्टली बनवाएंगे पी. डब्लू. डी. का हो, इरिंगेशन का हो, स्कूल बिल्डिंग का हो या और कोई भी डवेलपमेंट का काम हो और आप उन सबको एप्रोच करते रहेंगे, डाइरेक्ट टच में रहेंगे तो एक बार में नहीं, दो बार में नहीं तो तीसरी या चौथी बार में आप जरूर सफल होंगे और आपके वहां का कोई अफसर रिश्वत नहीं खावेगा यह मेरा अपना अनुभव है इसलिये विश्वास दिलाता हूं आपको। शुरू शुरू में मेरा अपोज़ीशन भी काफी हुआ पर बाद में सभी अफसरों ने मेरा साथ दिया। इसलिये आप भी आज नहीं तो कल जाकर जरूर सफल होंगे । पर आप करें इसी तरह। आप राजस्थान का सरकार का रुपया है ऐसा नहीं समझ कर अपना पैसा मानकर चलेंगे तो रिश्वत कभी नहीं होगी। ये इसलिये होती हैं कि आपका जो अफसरों पर प्रभाव नहीं है या आपके अन्दर कुछ कमजोरियां हैं या अफसरों में कुछ कमजोरियां हैं।

इन सब के लिये मेरा निवेदन है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन कानून में और पंचायत कानून में भी संशोधन करना चाहिये जिससे कि राजस्थान की उन्नति हो सके।

दूसरी बात पलाना कोयले की खान के बारे में कहनी है, डीडवाना के सोडियम सल्फेट के प्लान्ट के बारे में कहनी है। इन मामलों में भी मेरा सुझाव है कि सरकार स्वयं ये काम अपनी ओर से करे। उसे पैसे

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

की कमी नहीं हो सकती। डेफर्ड पेमेन्ट पर भी मशीनें मिल सकती हैं, इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन से भी पैसा मिल सकता है। इसलिये बड़े प्लान्ट लगाने चाहिये छोटे नहीं। इससे राजस्थान की बड़ी उन्नति होगी।

यहां खाद के कारखाने की भी बहुत अर्से से चर्चा हो रही है। यह खाद का कारखाना भी सरकार को अपनी तरफ से पब्लिक सेक्टर में लगाना चाहिये, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। क्योंकि आज अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लगाया तो आगे जाकर पांच साल में दस साल में, बीस साल में आखिर उसे सरकार को ही लेना पड़ेगा। आज जो पूंजीपति किसी की खुशामद करके, किसी पर दबाव डाल कर काम करवा लेंगे परन्तु आज के पांच बरस बाद, दस बरस बाद उसकी मलाई खा पी कर फिर टूटी फूटी हालत में लाकर बन्द कर देंगे और फिर मजबूरी की हालत में सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है सरकार आज से ही उसे अपने हाथ से ही चलावे ताकि ऐसी नौबत नहीं आवे। एक शुगर फैक्ट्री थी हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर में गंगानगर में। पहले वह आदमी सात लाख में बेच रहा था फिर १४ लाख में सरकार ने खरीदी। मैं जानता हूं इस बात को पूरी तरह से। पूरे कारखाने का पैसा पहले खा जावेंगे, मलाई मलाई चाट जावेंगे, जब मशीनरी वगैरह खराब हो जावेगी तो सरकार को सौंप देंगे। इसलिये सरकार इन सभी कारखानों को अपनी ओर से खड़ा करे और चलावे।

इस खाद का एक बोरा जो नौ-साढ़े नौ रुपया में पड़ता है सिंदरी से यहां आने में उसे ३९) रु० में खरीदना पड़ता है। इसलिये भी मैं राजस्थान सरकार से कहता हूं कि यह बहुत प्रोफिट का प्लान्ट है। अगर इसमें दो करोड़ सालाना का भी प्रोफिट रहा और आप ९ के बजाय १८ रुपये में बोरा देंगे तो आपका प्रोफिट चार करोड़ हो सकता है। तो आप हिसाब लगाइये इसमें कितना प्रोफिट होगा। सरकार को घबराना नहीं चाहिये। अच्छे प्रोफिट का यह काम है।

दूसरी बात नेशनेलाइजेशन की है। इसमें भी जितनी चीजें नेशनेलाइज कर सकें आप उतनी कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर इसमें आज आपको दिक्कत हो फाइनेन्स की तो आज राजस्थान के पूंजीपति भी शेयर खरीदने को तैयार हैं क्योंकि सरकार की साख है। सरकार का पैसा कहीं डूबता नहीं है। पर इसके लिए आप बनियापन से चलें और जनता की ओर पैसे लगानेवाले की सहानुभूति लें। बनिया नर्माई से मर जाता है, हम बनिया हैं, नर्माई से मर जाते हैं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : हम तो समझते हैं कि नोचने से मरते हैं आप ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, इससे हम नहीं मरते।

(हंसी)

आप पलाना व डीडवाना का कारखाना, फर्टीलाइजर का कारखाना और ट्रान्सपोर्ट ये चार चीजें शुरू करिये। इनसे फायदा होने पर बाद में और कई चीजें शुरू कर देना। नहीं फायदा रहे तो इतना टैक्स वैसे ही

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लगा रहे हैं, दो चार लाख का टैक्स और लगा देना । परन्तु नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा इसमें, ऐसी मेरी मान्यता है ।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में कुछ सेल्स टैक्स लगाया और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को नहीं बढ़ाया मैं इसका विरोध करता हूं बाकी एज्यूकेशन और मैडिकल के बारे में तारीफ करता हूं । इसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से फाइव ईयर प्लान लागू हुई बजट का रूप भी इसके साथ पलटने लगा और मैं यह बताना चाहता था कि बजट के मामले में हमारा इरादा क्या हो चुका है और हम बजट को किस नजर से देखते हैं । अगर हम यह कहें कि राजस्थान को आगे आनेवाले तीन बरसों में यानि ६१ को मिला कर कुल कर्जा १,४८,८७,८४,०००) रुपया होगा और ६१ में यह देना होगा । अगर हम एक दृष्टिकोण से यह देखें कि राजस्थान का अगले वर्ष तक कुल कर्जा उसका १ अरब ४८ करोड़, और ८७ लाख ८४, हजार होगा, एक सवाल यह है । दूसरा दृष्टिकोण यह देखा कि राजस्थान को दो करोड़ रुपये ब्याज के देने होंगे और वह इस साल देने होंगे । तीसरी बात यह देखी कि इन लोगों ने वे रेखायें तैयार कीं कि हम शासन का खर्चा कम करेंगे लेकिन इस वर्ष का खर्चा देखा तो २२ लाख ज्यादा खर्च बढ़ाया गया । और यही नहीं, मैं न्याय के मामले में देखना चाहता हूं, कई मामलों में देखना चाहता हूं । हम जोरों से बात कहते हैं कि आंकड़ों में से मालूम हो सकता है कि मुकदमों की संख्याएं कम हुई हैं । केसेज अब कम रजिस्टर होते हैं, चालान कम होते हैं, न्यायालयों में मुकदमें कम जाते हैं लेकिन न्याय का खर्चा काफी बढ़ रहा है, आप यकीन करें । इसका भी कारण सोचना होगा । एक तरफ आप कहते हैं कि न्याय के मामलों में कमी हो गई है बहुत कम मुकदमे हो गये हैं, हैपी साइन है अच्छी निशानी है । देश में मुकदमों की संख्या कम हो गई है और जहां जहां एस. पी. का आॉफिस होता है वहा चार्ट बनते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां मुकदमों की संख्या कम हो गई है लेकिन पुलिस का खर्चा दो करोड़ से बढ़कर चार करोड़ हो गया है । उधर न्यायालय में देखते हैं तो केस कम हो रहे हैं पर व्यवस्था का खर्चा काफी बढ़ चुका है और...........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री, शिक्षा) : पुलिस में बढ़ता है तभी आज मुकदमे कम होते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (नहीं सुनने के कारण) : हां, हां आप कहिये, कोई मन में बात है तो कहिये । यह तो डिस्कशन जितना हो उतना अच्छा ही है । बातें साफ साफ सामने आवेंगी ।

तो इस तरह की बातें हैं । जनता तो यह जानना चाहती है कि हम जो रुपया देते हैं उसका रिटर्न क्या मिल रहा है ? हम तो नई बात चाहते हैं । हमने इतना रुपया इर्रिगेशन में दिया तो इसके बाद उसकी आमदनी कितनी होती है ? मैं एक एक चीज की ओर जाना चाहता हूं । इस बजट

(श्री मूलचन्द डागा)

को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है जिस दृष्टिकोण से आप देखते हैं वह ठीक है जैसा भी है लेकिन दूसरा दृष्टिकोण नहीं भूलना चाहिये। इसलिए उन्होंने एक बात बताई थी कि बजट को देखने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं Ever since the inaugration of the Firsst Five year Plan the budget has increaseqinstrumental. A statement for the annual plan for the particular year मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। सारे बजटको देखकर आप दावा कर सकते हैं और दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है और सही मामले में किया। कीमतें चाहें बढ़ीं। यह हम नहीं कह सकते। हम यह नहीं कह सकते कि मध्यम वर्ग की हालत सुधरी। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारा जो प्लान है जो इन्वेटमेन्ट है उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं यह भी हमें देखना होगा।

तो मैं एक चीज की ओर आपका दृष्टिकोण खींचना चाहता हूं और जो पहला सवाल है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आप चाहे जिस नीति को भी अपनायें और जो रिपोर्ट पेश हुई हैं उसके उसूलों को मान सकते हैं कि हम अपनी कुछ इकॉनोमी में कट करना चाहते हैं, वह भी आप करके देख लीजिए। मैं तो मानता हूं कि ऑफिसरों की तनख्वाह दुगनी बढ़ी है। राजस्थान बनने के पहले श्री राम-मनोहर लोहिया राजस्थान का दौरा करते थे और वे कहते थे कि राजस्थान बनने के बाद हमारे खर्चों में कमी होगी जजेज़ की संख्या कम होगी और दूसरे ऑफिसरों में कमी होगी लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान बनने के बाद राजस्थान के खर्चों में कमी नहीं हुई बल्कि ऑफिसरों की संख्या और भी अधिक बढ़ गई। पर इनका सही दृष्टिकोण यह है कि यदि मुकदमों की संख्या में कमी हुई है तो जरूर आपका पुलिस का खर्चा कम होना चाहिये। अगर आपकी न्याय की हालत सुधरी है तो जुडीशियरी में कमी होनी चाहिए। आप एक तरफ तो शराबबन्दी लागू कर रहे हैं और दूसरी ओर शराब से आमदनी बढ़ा रहे हैं। बताइये हम एलान करते हैं कि हमने अफीम बन्द कर दी है लेकिन क्या हुआ? मालूम पड़ा है कि १ लाख, ५० हजार की आपने अफीम मंगाई है और भांग भी मंगाई है। बताइये किस के दिमाग ने भांग खाई है जिससे हमें और अफीम खरीदनी पड़ी और भांग खरीदनी पड़ी? हम एलान करते हैं महात्मा गांधी के उसूलों का कि हम हिन्दुस्तान आज़ाद होने के १२ साल बाद शराबबन्दी करना चाहते हैं और दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि लाखों रुपयों की हमने इससे आमदनी की है और कहते हैं कि हमें इतना अफीम इस बार मंगाना होगा। मैंने देखा है कि जो लोग जेलों में जाते हैं और जिनको अफीम नहीं मिलती है उनकी तन्दुरुस्ती सुधर जाती है।

आपकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। आप जिस काम को कर सकते हैं उसके लिए तो कहें और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए नहीं कहें: एक तरफ आपने इशारा अच्छा किया कि हम लेबर्स के मामले में बहुत सजग हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पहले १९५८–५९ में लेबर्स के ऊपर ६ लाख का खर्चा था और अब १४ लाख का हो गया है। इतना अधिक खर्च करने से आप मुझे बताइये क्या लाभ हुआ है? क्या यहां के

(श्री मूलचन्द डागा)

लेबर मिनिस्टर को मालूम है कि राजस्थान की करीब करीब सारी मिलें बन्द हो चुकी हैं और आपने संकेत किया है कि हम मजदूरों की हालत को सुधारना चाहते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि हम उनको रुपया दिलाना चाहते हैं और अभी गवर्नमेंट ने यह एलान किया था कि the Government of India have accepted. और उन्होंने यह एलान किया हर-एक सरकार से "The Government of India have accepted the unanimous recommendations of the Textile Board and has urged the State Government to take immediate steps to implement in the spirit of the recommendations."

मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं इस बात की ओर जाना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं ? आपके दिमाग में यह बात है कि हम मजदूरों के मकानों में बढ़ोत्तरी करेंगे ? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बतायें कि फिर १४ लाख रुपया आपने किस पर खर्च करने की सोची है। ट्रिब्यूनल में मामले जहां वर्षों तक चलते हैं? मैं कहता हूँ कि मजदूरों को राहत मिले या नहीं लेकिन महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली के मजदूरों के हजारों बार भी चिल्लाने पर उनको कोई रुपया नहीं मिला। इसका कारण क्या है इसके लिए हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

हम मजदूरों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो नीति एक होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्पलॉयर है तो अपने एम्पलाईज़ की तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। क्या बात है ? आपने पुलिसवालों को किसी भी तरह की यूनियन बनाने के लिए मना कर दिया है। आप नहीं चाहते कि वह ऐसा करें। सरकारी कर्मचारियों को अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सका कि पुलिस के कर्मचारियों को पांच रुपये की बढ़ोत्तरी बताई लेकिन पुलिस लाइन्स वाले कहते हैं की उनको यह पांच रुपये नहीं मिलते। वह मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि क्या बात है। वह असेम्बली में काम करते हैं, कहीं पर झगड़ा हो जाये तो डंडा भी वह चलाते हैं, वह शहरों में रास्तों पर आयेंगे, मेलों में आयेंगे, कैदियों को लेकर वह आयेंगे और फिर आप कहते हैं कि पांच रुपये नहीं हैं। क्या बात है कि एक सेक्रेटरी आपका २,५०० रुपये ले और एक आदमी सौ सवा सौ ले ? फिर आप कहना चाहते हैं कि हम विषमता को हटाना चाहते हैं। कौन सी विषमता को और क्या उसका निराकरण। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिये आप काफी रुपया बढ़ाते चले जा रहे हैं। पंचायत समितियों में देखिये किसी जगह एज्युकेशन एक्सटेन्शन ऑफिसर (शिक्षा प्रसार अधिकारी) हैं उसको आप क्या तनख्वाह देते हैं ? उनका ग्रेड आपने रखा है ७० से १४० तक का और वहां एक नया मैट्रिक शिक्षण अधिकारी आ गया है सोशियल एज्युकेशनवाला उसका ग्रेड २२५ तक की है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह मैट्रिकुलेट नहीं है। He is a graduate and not a matriculate.

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन तनख्वाह में फर्क क्यों है ? एक तो वह जो बीस साल

(श्री मूलचन्द डागा)

से काम कर रहा है और एक वह जो नया आया है तो यह फर्क क्यों है ? मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जो नया आया है उसके ग्रेड में और जो पहले वाले हैं उनके ग्रेड में फर्क है । आप एल० डी० सी० को लीजिए आप उसको बाद में यू० डी० सी० बना देते हैं लेकिन टीचर तो काफी लम्बे टाइम के बाद यू० डी० सी० की तनख्वाह लेता है । आप उस टीचर के आधार पर राजस्थान की नींव डालना चाहते हैं । छोटे छोटे बच्चों के भाग्य के साथ खेलना चाहते हैं । उसका इरादा होता है कि नौकरी करे और जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वह टीचर बनता है जब कि सारे दरवाजे बन्द हो जाते हैं ।

इसका आपने एक्सपेन्शन किया है, शिक्षा का विस्तार किया है । मुबारकबाद है आपको इस बात के लिए । लेकिन विस्तार के साथ क्वालिटी बढ़ाने का सोचिये अन्यथा मुश्किल हो जायेगी । राजस्थान की आने वाली भावी संतान इस तरह से शासन नहीं कर सकेगी । क्यों नहीं कर सकेगी ? क्योंकि बच्चों के साथ छोटे छोटे मास्टर और अध्यापक आते हैं जिनका कि मूल्य कम हो चुका है समाज में । समाज में एक कॉन्स्टेबिल का मूल्य ज्यादा है बनिस्बत उस अधिकारी के ।

मैं बतलाऊं कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर मुकर्रर करते हैं, पी. आई. मुकर्रर करते हैं । उनको जो तनख्वाह एक लॉ ग्रेजुएट को देते हैं वही तनख्वाह एक एस. एच. ओ० को देते हैं जो कि मैट्रिक्युलेट है । तो वह झख मारेगा । चार साल तक ज़िन्दगी अपनी बर्बाद करेगा । वह पुस्तकों से क्यों माथा फोड़ेगा? उसकी तनख्वाह वही है । यह क्या है ?

हैडकॉन्स्टेबिल २५ घन्टे काम करे । ऑफ़िस में काम करे, उसको निब लिखने के लिए मिलता है, पीले कागज़ मिलते हैं । ताज्जुब होता है कि हमारी १६२ दफ़ा बदल चुकी है, १५४ दफ़ा बदल चुकी है, उसको सारे गवाह के बयान लेने पड़ते हैं । उसका होल्डर खराब, उसका निब खराब, उसकी रोशनाई की बटिया खराब और उन पर बड़ी बड़ी एवीडेन्सेज होती हैं । दिमाग फिराइये कि कहां तक पुलिस का हैडकॉन्स्टेबिल २४ घन्टे काम करे ? मैं एक सिद्धान्त चाहता हूं । हिन्दुस्तान के अन्दर एक सिद्धान्त और एक चीज़ से चलना होगा । उसके पास स्टेशनरी नहीं । कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें ऐसा ही कागज़ मिला । यह कोई उत्तर है ? जहां पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं लेकिन हैड-कॉन्स्टेबिल के साथ में यह बात है । आप कुछ ऐसा कह दें कि हमें तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है । सरकार का काम करो और खाओ—पीओ । आज भी कोई एस. पी. नहीं बनना चाहता है और एस. एच. ओ. बनना चाहता है ।

आपका शिक्षण के अन्दर ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपैलिटी को ही लीजिये कि लाखों का खर्चा ए. ओ. के.हाथों में दिया जाता है और तनख्वाह कम । आप एक आदमी को मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं कि तुम अपनी ज़िन्दगी को चलाने के लिए पाप कर सकते हो । यह मौका ऐलानिया मौका है । आप एक ए. ओ० को म्युनिसिपैलिटी का सारा फन्ड दे देते हैं । कोई प्रोवीडेन्ड को पूछता है तो कहता है कि

(श्री मूलचन्द डागा)

जल्दी बन रहा है। क्या उत्तर है? अगर इम्तिहान में बैठ कर कहे कि उत्तर सोच रहा हूं विचार करके उत्तर भेज दूँगा तो मेरे खयाल से एग्जामिनर उसको ५० में से ज़ीरो दे दे। कोई एग्ज़ामिनेशन में बैठे और कहे कि सोच रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं और पढ़ कर पास होनेवाले हैं इसलिए उत्तर फिर लिया जाय। That is not an answer वह प्रेक्टिकल नहीं होगा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि म्युनिसिपैलिटी की सारी सेवाओं को जिनसे हम काम करवाना चाहते हैं वह एक ए. ओ. के अन्डर में हो।

हमने समाजवाद का नारा दिया है। हम विकेन्द्रीकरण कर चुके हैं। समाज से मिटाना चाहते हैं गंदगी को। लेकिन गदगी को लायेगा कौन? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे उधर एक समस्या है। वहां पर चराई का प्रोब्लम है। हज़ारों लोग उसके शिकार हैं। बताइये, उनके पास ज़मीन नहीं है। जमीन उनके पास में चराने के लिए नहीं है। कोई गोचर ज़मीन नहीं है। फिर आज उनके खिलाफ नोटिस निकलता है कि तीन साल पहले की चराई दो। क्यों दो? क्योंकि जागीरदार उनसे वसूल करता था। जो जागीरदार ने वसूल किया वह दो। पहले तो आपने उसको जोश में बन्द कर दिया, लेकिन अब ज़मीन नहीं है। ताज्जुब है कि उस पर आप तीन साल का वसूल करना चाहते हैं इन लोगों से। उनसे कहा जाता है कि रसीद लाओ। न तो जागीरदार रसीद देता था और न जागीरदार रसीद में समझता था। वह तो यही करता था कि एक-दो बकरे पकड़ लिये और चराई वसूल हो गई। कभी बकरा पकड़ लिया कभी मेढ़ा पकड़ लिया। न जाने क्या वह करता था? अब क्या हालत है? टिनेन्सी एक्ट में नहीं है।

आप प्लानिंग बनाना चाहते हैं। पशुधन का महत्व बढ़ाना चाहते हैं। प्लानिंग में आप ज़मीन भी देना चाहते हैं। शोप के लिए क्या क्या होता है? पहले ज़मीन काफी थी। अब पोपुलेशन बढ़ गई है। पहले काश्तकार कुछ ज़मीन काश्त करता था और कुछ ज़मीन खाली रखता था। उस पर उसके जानवर चरते थे। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। काश्तकार सारी जमीन पर मज़बूती के साथ हल चलाना चाहता है। तो चरने के लिए पशुधन कहां जायेगा? पहले क्यों वसूल किया जाता था? पहले जागीरदार डंडे के बल से काश्तकार को हुकम देता था कि तुम्हारी ज़मीन पर फसल कटने के बाद में पशुओं को चरने के लिए इजाजत दी जायेगी। डंडे के बल से गडरिये उनकी ज़मीन पर पशु चराते थे और उनकी ज़मीन पर चरने के कारण उनसे चराई की वसूली होती थी। अब न गडरिये की हिम्मत हो सकती है और न ज़मीन ही उपलब्ध होती है। लेकिन तीन दिन का नोटिस उनकी गर्दन पर टिका हुआ है कि तुमसे चराई वसूल करेंगे। यह कौन सा कॉन्स्टिटयुशन है कि जिस कॉन्स्टिटयुशन से आप उनको ज़मीन नहीं देते हैं, और जिस तरीके से करना चाहते हैं, यह बड़ी अज़ीब चीज़ है।

आगे सेल्स टैक्स के मामले को लें। ज़ल्दी से सेल्स टैक्स के लिए एक साल पहले यह शब्द लिखे थे कि वही अब लिखे गये हैं। आप बज़ट के तीन साल पहले के भाषण पढ़े तो कई सेन्टेन्स कॉमन, कई बातें कॉमन, कई चीजें कॉमन, कई आश्वासन कॉमन

(श्री मूलचन्द डागा)

आश्वासन दिये जाते हैं लेकिन कभी केरी आउट नहीं होते हैं। आश्वासनों का मतलब कभी पूरी नहीं होनेवाली बात।

यह सवाल आपके सामने रखा था कि हमारे वहां पर नहरी जमीन है। उसका बड़ा अजीब तरीका है। वहां पर हजारों बीघा नहरी ज़मीन है और उनको कई वर्षों से नहरी जमीन का पट्टा दे रखा है। उन नहरी जमीनों को पूरा पानी नहीं पिलाया जाता है और दूसरी बारानी जमीन को पानी पिलाया जाता है और उस जमीन से नहरी लगान लिया जाता है। और उस जमीन में क्या होता है कि जिसने जितना एरिया कल्टीवेट कर लिया है, जितने एरिये पर हल चला दिया है उस जमीन को पानी देंगे। उस जमीन पर बड़े बड़े ट्रेक्टर, लम्बे चौड़े आदमी हैं वे चलाते हैं। वे पूंजीपति हैं, वे दौलतवाले हैं। वे जमीन को तैयार कर देते हैं। जो जमीन नहरी जमीन है बिल्कुल उसको पानी कम मिलता है, बारानी जमीन को पानी मिलता है और हजारों मन अनाज पैदा करते हैं। नहरी जमीन का रेन्ट वसूल किया जाता है चाहे पानी पिलाये या नहीं। यह क्या तरीका ? मालूम हुआ है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब वहां गये, मिस्टर कौल वहां गये और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि नहरी जमीन को पानी दिया जाय। ठीक है, लेकिन आप देखिये, मैं अर्ज़ करूं कि सरदार समन्द में मारवाड़। जोधपुर स्टेट के समय में कानून था कि पानी नहीं दिया जाय तो दो आना लिया जाय। वहां पर दो साल से पानी नहीं और उस जमीन से नहरी लगान लिया जा रहा है। क्या तरीका है ? काश्तकार चाहते हैं कि लगान दें लेकिन किस आधार पर ? तो मेरा सवाल है आप किस चीज को कैसे करना चाहते हैं ? हो सकता है नया देश है, नयी बातें हैं, नया राग अलापने पर गल्तियें होती हैं और गल्तियें होना स्वाभाविक है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। इसलिये मैंने प्रार्थना की कि आप इस ओर भी ध्यान दीजिये।

सेल्स टैक्स के मामले में मैं सुझाव रखना चाहता हूं, लेकिन सेल्स टैक्स के मामले में बिल आ चुका है, मैं नहीं चाहता कि इसको अभी विवाद का विषय बनाऊं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और वह यह कि होम इन्डस्ट्रीज़ पर सेल्स टैक्स मत लगाइये। छोटे २ घरों में विधवाएं एक कौने में बैठ कर पापड़ और बड़ी बनाती हैं और अपना गुजर चलाती हैं। उनको इस सेल्स टैक्स से बरी कर दीजिये। ये विधवाएं घर के कौने में बैठ कर इनके सहारे ही अपने दिन काटती हैं, इन गृह उद्योगों पर ही दिन काटती हैं और जीवन-यापन करती हैं। उन पर आपको सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये। एक तरफ आपने दांत पर से सेल्स टैक्स माफ कर दिया, इस बारे में बिल के समय कहूंगा।

आपने अपने पास एपीलेट पॉवर्स रखी हैं लेकिन अपीलेट पॉवर्स जुडिशियल माइन्ड के आदमी को देनी चाहिये। मैं यह कह रहा था कि आपने सेल्स टैक्स से कुछ को मुक्त कर दिया। एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स से कुछ फायदा नहीं था और इससे किसानों को तकलीफ होती थी इसलिये इसको माफ कर दिया। इसी तरह से सेल्स टैक्स के मामले में भी सोचिये। सेल्स टैक्स ऑफिसर्स के पास वर्क इतना बढ़ जाता है कि वे होल्ली

(श्री मूलचन्द डागा)

एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्लर्क्स काम करते हैं, हजारों रुपये वसूल करने होते हैं। हम लोग, इस पर बिल पेश होगा उस समय राय देंगे। लेकिन सेल्स टैक्स के मामले में गवर्नमेंट शख्ती से काम ले तो बड़ी आमदनी हो सकती है। तो मैं सेल्स टैक्स के मामले में एक बार फिर अपील कर दूं कि इस पर आपको गंभीरता से सोचना चाहिये।

एक बात मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप देश में उद्योग को पनपाना चाहते हैं तो विदेशी मुद्रा से काम लीजिये। कई लोग मशीनों को मंगाने का नाम लेकर इम्पोर्ट लाइसेन्स ले लेते हैं लेकिन वे सिर्फ लाइसेन्स लेने के लिये मशीनें लाते हैं और हजारों रुपये कमाते हैं लेकिन उनसे मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता और न बेकारी मिटती है। लेकिन इससे पूंजीवाद बढ़ता है। यह अच्छी तरह से मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र में पूंजीवाद बढ़ता है। जो पहले से ही मालदार हैं वे पूंजीवादी हो रहे हैं और गरीबों की कमर टूटती जा रही है। मैं पूरी बातें नहीं जानता लेकिन यह जरूर जानता हूं कि कई लोगों को इम्पोर्ट लाइसेन्स मिल चुके हैं कि मैं फाउन्टेन पेन बनाऊंगा, चूड़ी बनाऊंगा, लेकिन चूड़ी बनाता कोई नहीं है और न कोई फाउन्टेन पेन बनाता है। लेकिन पैसा बनाते हैं। दिल्ली में भी उनका बैठा हुआ है नतीजा यह होता है कि हजारों रुपये पूंजीवाद को पनपाने के लिये बनते हैं लेकिन जो गरीब और जरूरतमंद हैं उनको लाइसेन्स नहीं मिल पाता।

एक तरफ मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। आपकी ये जो रिपोर्ट्स निकलती हैं चाहे जनलेखा समिति की हों चाहे और समितियों की, एस्टिमेट्स आदि की हों उनकी वाजिब राय के बारे में भी आप क्या करते हैं? उनके कई सुझावों पर आपको खयाल करना चाहिये था। मैं संक्षेप में ही कह कर खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे चेतावनी मिल चुकी है। जनलेखा समिति की सन् ५६ की रिपोर्ट को आप देखिये। इसके एक पृष्ठ को नहीं बल्कि कहीं से भी आप इसे खोल कर देखिये, हर जगह यही लिखा मिलेगा कि हजारों रुपयों का घोटाला हुआ। इसमें और भी कई बड़ी बड़ी बातें हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं मशीन आ गई है तो ६ साल तक बन्द ही पड़ी है। वे कहते हैं सचिव ने स्वीकार किया कि १६५१ में आई थी और ६ वर्षों तक यह फालतू पड़ी रही। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। जनलेखा, जन संपर्क विभाग की दुहाई देनेवाले अपने ही ढंग से देते हैं। टांक में एक मशीन खरीदी उसमें १० हजार रुपये ज्यादा दे दिये। कीमत २५,००० रु० होती थी उन्होंने कहा ४०,००० दे दीजिये। आपका एस्टिमेट्स कमेटी और पी. ए. सी. की रिपोर्ट पर क्या ध्यान है? उनमें यह लिखा है कि हजारों रुपयों का वेस्टेज होता है, एम्बेजलमेंट हुए हैं, गड़बड़िया हुई हैं : Machinery for implementing the recommendations is at its phase.........

मिनिस्टर से बढ़कर उपयोग होता है कमेटी का.... I have myself in the course of arguments within the committee sometimes even dealt with such things.

(श्री मूलचन्द डागा)

जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति की कोई जरूरत नहीं है । कमिश्नरों के बारे में यहां के चीफ सेक्रेटरी ने एक दफा कहा कि हमको आयुक्तों या कमिश्नरों की जरूरत नहीं है । यहां तो संतुलित भाषा में बोलते हैं, सारा काम ठीक हो जायेगा लेकिन सारी बातों पर सोचना पड़ेगा । मुख्य सचिव ने समिति को अपने ज्ञापन में कहा था : Commissioner must be more of hindrance than help to the administration ये यहा के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव के शब्द हैं : " more of hindrance than help to the administration. बताइये उन्होने यहां तक कैसे लिखा ? लेकिन इन्होंने कह दिया कि हमारे यहां कमिश्नरों की जरूरत है । आप रखिये कमिश्नरों को, आपको कौन रोकता है । आप खर्चा मत घटाइये, जिलों की संख्या कम मत करो, सारी की सारी व्यवस्था या ढांचा जैसा है वैसा रहने दो। जहां शख्ती से काम लेना चाहिये वहां शख्ती से काम नहीं लेने से काम नहींचलेगा ।

आप इरिगेशन के बारे में देखिये । इस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया लेकिन जहां जमीन नहीं है वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये और जहां पर जमीन सिंचाई के लिये तरसती है, भूखी प्यासी है धन उगलना चाहती है वहां पर पैसा खर्च नहीं होता ।

इस बजट में और भी कई बातें हैं जिनकी ओर देखना चाहिये ।

(२ म. प.)

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कल बड़े उत्साह के साथ राजस्थान आय व्ययक पेश किया और उधर के बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने जब करतल ध्वनियों से सारे हाउस को गुंजा दिया उस समय का अगर दृश्य देखा जाता तो ऐसा नजर में आता कि इस प्रकार का कल्याणकारी बजट न तो किसी देश ने अब तक पेश किया है और न कोई आगे पेश किया जायगा.......

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : चीन से अच्छा बजट है ।

श्री लच्छूराम : परन्तु जब थोड़े समय के अन्दर मुझको इस बजट को देखने का मौका मिला तो देखने से पता चला कि इसके अन्दर काफी, मेरी दृष्टि से, लेकुनाज़ हैं । मैंने अपनी दृष्टि के हिसाब से, अपनी निजी दृष्टि से नहीं देखा, परन्तु जिस हिसाब से वैलफेअर स्टेट का बजट देखना चाहिए मैंने उस विचारधारा से बजट का अवलोकन किया । वेलफेअर स्टेट के बजट में एक खासियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो वह जनहित में हो, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा खर्चा किया जाय और जो टैक्सेशन पॉलिसी हो, वह लिबरल हो । टैक्स इस प्रकार के लगाये जायं जिनको जनता बहुत आसानी से दे सके । परन्तु माननीय मंत्रीजी ने और हमारे देश की सभी प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार के इस साल बजट पेश किये उनमें कम्पनीज के ऊपर से ३१.५ पर्सेन्ट से हटा कर २० पर्सेन्ट टैक्स लगाया । इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है । हमारी राजस्थान सरकार भी केन्द्र के नीचे काम काज कर रही है

(श्री लच्छूराम)

इसलिए राजस्थान सरकार को कैसे मान लें कि यह राजस्थान सरकार इस प्रकार का बजट पेश करेगी जो गरीबों के लिए फायदेमन्द होगा।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि इस साल जो १९६०-६१ का बजट पेश किया जा रहा है यह ४५ करोड़ के लगभग है परन्तु यह तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे सब चीजों में वृद्धि होती है। इसलिए यदि ३० करोड़ से ४५ करोड़ तक बजट पहुँच जाता है तो यह वृद्धि का प्रश्न नहीं है। क्योंकि जमाना प्रगति धीरे धीरे करता जा रहा है। उसमें सरकार यह कहे तो विशेष महत्व नहीं रखता है। यह जमाने के साथ में प्रगति होती है। परन्तु जिस तरह की हमारे बजट के अन्दर बहुत ही नई चीज दिखाई देनी चाहिए वैसी कोई चीज इसमें नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, जो माननीय मन्त्रीजी ने महत्वपूर्ण बना कर कल बजट भाषण देते वक्त माननीय सदस्यों के सामने कही वह यह थी कि हमने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को हटा दिया है। ये शब्द माननीय मन्त्रीजी के द्वारा सुन करके सारे सदन के माननीय सदस्यों ने हर्ष प्रदर्शित किया। परन्तु मैं कह सकता हूं कि यह कोई इतने हर्ष का विषय नहीं है। यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स तो हटाना पड़ता क्योंकि राजस्थान के अन्दर सीलिंग लागू कर दी है और ३,००० की इन्कम की सीलिंग लागू की है और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स रखा था वह ४,००० के ऊपर था। इसलिए जब ३,६०० से इन्कम ज्यादा नहीं होगी तो ४,००० की इन्कम पर टैक्स कैसे देंगे। इसके साथ ही सरकार की भावना है वह साफ़ जाहिर होती है कि हमारी सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जब सरकार ने देखा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से किसान पंजे में नहीं आते हैं तो सोचा, चलो दूसरा तरीका निकालें और अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छापा जाय कि हमने काश्तकार पर से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, जिसका इस हाउस के अन्दर बड़ा विरोध हुआ था, को माफ कर दिया है। परन्तु इसके साथ साथ नया कोढ़, नई बीमारी सरचार्ज के नाम से लगा दी है। हम रखते हैं कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ४,००० की आय के ऊपर है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि राजस्थान के किसानों की आमदनी ४,००० की नहीं है। इसलिए एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं होगा। न नौ मन तैल होगा और न राधा नाचेगी। इसलिए एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का प्रश्न पैदा नहीं होता। सरकार ने देखा कि किसान बच गये इसलिए एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को हटा कर सरचार्ज लगाया जिससे कि एक रुपया लगान देनेवाला जो किसान है उसको भी सरचार्ज देना होगा।

डॉ० बहादुर सिंह : ५० रुपये हैं, बिल आ गया है।

श्री लच्छूराम : ठीक है ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : ५० से ऊपरवालों पर होगा।

श्री लच्छूराम : ठीक है, ५० रुपये कर दिये होंगे कौनसी बड़ी बात है?

डॉ० बहादुर सिंह : ५० रुपयेवालो को चार आने देने पड़ेगें।

श्री लच्छूराम : कहने का मतलब यह है कि जो आमदनी १० लाख की आंकी है, वह आमदनी नहीं होगी । जिस प्रकार पिछली साल सवारियों पर टैक्स लगाया था, उसमें जितनी आमदनी आंकी थी उतनी नहीं हुई । जब हाउस के सामने आंकड़े आयेंगे, तब देखेंगे कि दुगुनी तिगुनी आमदनी होगी । इसी प्रकार यह जो सरचार्ज लगाया गया है इससे १० लाख की आमदनी नहीं होने वाली है, इससे दुगुनी तिगुनी आमदनी होने वाली है । इसलिए काश्तकारों के लिए जो बजट के अन्दर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की माफी की घोषणा की गई है, वह माफी नहीं है, क्योंकि जब थोड़ा ज्यादा मुआवज़ा नहीं मिला, किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया गया तो सरचार्ज के जरिये नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई ।

दूसरी चीजें जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने कल बहुत उत्साह से कही थी कि हमने वैलफेअर स्टेट के हिसाब से बजट बनाया है, हम डवेलपमेंट के कार्यों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं । राजस्थान बजट स्टेडी, १९५९-६० का पहला आंकड़ा उसमें है, १९५९-६० के रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का ब्योरा दिया गया है, उसके हिसाब से ३७.५ पर्सेन्ट है । यह कह सकते हैं कि यह वैलफेअर स्टेट में खर्च किया जाता है । बजट में उस खर्चे को कल्याणकारी राज्य में अच्छा समझा जायेगा जो जनता के ज्यादा हित में किया गया हो, जिसकी जनता को ज्यादा आवश्यकता हो । हमारा राजस्थान गांवों का और पिछड़ा हुआ प्रान्त है, शिक्षा के अन्दर पिछड़ा हुआ है । इसलिए शिक्षा के अन्दर, रूरल डवेलपमेंट के अन्दर रकम खर्च की जाती है तो समझेंगे कि यह राज्य के कल्याण के लिए खर्च किया गया है । तो ३७.५ पर्सेन्ट की रकम रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर पर खर्च की जा रही है जो रूरल डवेलपमेंट के लिए आवश्यक है । इसके अन्दर सी. डी. ब्लॉक्स, लोकल डवेलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डवेलपमेंट, सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी । जो ३७.५ पर्सेन्ट खर्चा है इसमें वह भी खर्चा शामिल है, जो रूरल एरिया के अलावा अर्बन एरिया पर भी खर्च किया जायेगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्च किया जायेगा, एजुकेशन की मद में है । इस हिसाब से यह ३८.५ पर्सेन्ट का खर्चा यह यह रूरल डवेलपमेंट के लिए कहा गया है । यह रूरल डवेलपमेंट के लिए ही नहीं है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें देखना चाहिए कि जितना पैसा हम लेते हैं, क्या उसके अनुपात में हम खर्च करते हैं ? राजस्थान में ९ करोड़ के करीब रेवेन्यू का पैसा प्राप्त होता है, तो हमें कम से कम यह देखना है कि ९ करोड़ की जो लैंड रेवेन्यू प्राप्त होता है, राजस्थान में रूरल एरिया के अन्दर ९ करोड़ रुपये की लैंड रेवेन्यू से इन्कम होती है, इसके अलावा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सहायता देती है, राजस्थान को दूसरी मदद मिलती है । तो एक अच्छे स्टेट के लिए यह जरूरी नहीं होता कि जिस आदमी से जितना मिलता है उतना खर्चा किया जायेगा । वह तो इस हिसाब से होगा कि इस हाथ से लिया और उस हाथ में दे दिया । परन्तु यह देखा जाता है कि जिसको जितनी आवश्यकता होती है, जो अनूडवेलप्ड एरिया है, जो अनूडेवलप्ड व्यक्ति हैं उनपर ज्यादा खर्चा करना चाहिये था । यह मानी हुई बात है कि राजस्थान का देहाती एरिया अनूवेलप्ड एरिया है जो ९ करोड़ लैंड

(श्री लच्छूराम)

रेवेन्यू देता है। इसके अलावा और दूसरी आमदनी अलग है तो इस हिसाब से पिछले ६ महीनों का बजट ४ करोड़ का पंचायत समितियों को ट्रान्सफर किया है, इस साल ६ करोड़ का बजट है, ६ करोड़ तक तो देहातों से लैंड रेवेन्यू ही आ जाती है इसके अलावा दूसरे दूसरे सोर्सेज हैं जिनसे आमदनी होती है उसको भी तो देखना चाहिये था। तो यह कहना कि हम रूरल डवेलपमेंट कर रहे हैं, यह ठीक नहीं।

२.६ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब आप कहेंगे कि पंचायत समितियों को विकास का कार्य दे दिया है तो विकास ही निर्माण की सबसे तगड़ी कड़ी है। विकास और प्राइमरी एजुकेशन, इसके अलावा और कौनसे विकास के मद होते हैं? डिस्पेन्सरीज, आयुर्वेदिक और मेडिकल विभाग के अन्दर में हैं। इसमें जरूर खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार आप देहातों पर ६-१० करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं करते। जब कि आपका रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर ४८ करोड़ का है। राजस्थान में १०० में से ८० गांव हैं। तो जो राजस्थान की ८० फी सदी जनता है, आबादी है उस पर आप १० करोड़ खर्च करते हैं तो क्या यह आपका अन्याय नहीं है? करना तो चाहिये आपको खर्च इन पर पैंतीस-चालीस करोड़ रुपया। गांवों के लिये आपका बजट अगर पैंतीस-चालीस करोड़ का होता तो कह सकते थे कि कल्याणकारी बजट है। पर इसमें तो ६ करोड़ ही हैं। ऐसी सूरत में हम नहीं कह सकते कि यह देहातों के लिये, राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता के लिये अच्छा बजट है। यह कहना कि देहातों के लिये अच्छा काम हो रहा है, यह गलत है। आज देहातों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। इससे देहात पिछड़े के पिछड़े रह जायेंगे जिस तरह कि आज से १० साल पहले थे। आज कल आम चर्चा है कि देहातों की दशा सुधरी है पर मैं निवेदन करूं कि कोई दशा नहीं सुधरी है, अच्छे भावों के आ जाने के कारण देहातों के लोगों को दोनों टाइम रोटी मिल जाती है, इससे दूसरा जो इन्टेलिजेंसिया है। उसको ईर्ष्या हो गई है कि इनकी हालत अच्छी हो गई है।

तो यह देहातों के लिये ६ करोड़ का बजट है, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समझने लग गये हैं कि आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री लच्छूराम : नहीं, अभी तो भूमिका ही है।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट में भूमिका हुई और अगले १५ मिनट में समाप्ति होगी।

श्री लच्छूराम : तो मैंने बताया कि रूरल डवेलपमेंट के लिये बजट में बहुत कम रुपया रखा गया है।

दूसरे, वित्त मंत्रीजी ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि हम हमारे खर्च में कमी कर रहे हैं। जो लिपिकों की आज पोस्ट्स हैं उनमें ५ पर्सेंट कमी की है और १० पर्सेंट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पोस्टों में कमी की है। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि एक तरफ तो मिनिस्टरों में वृद्धि की गई है, चार-पांच मिनिस्टर बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ चपरासियों की

Page No.64

(श्री लच्छूराम)

संख्या घटा रहे हैं। खर्च में कमी करना चाहते हैं तो एक मिनिस्टर को घटा दीजिये, पर आप १० प्रतिशत चपरासियों में कमी कर रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय का ८०,००० रु० का यात्रा भत्ता है। ८० हजार में तो हमारे राजस्थान के १० प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आ जायेंगे। तो बजाय इन लिपिकों में और चपरासियों में कमी करने के आप बजट में यह घोषणा करते कि हम इतनी गजेटेड पोस्टों को कम कर रहे हैं, इतने कमिश्नर्स को कम कर रहे हैं, जैसा कि फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बजट पेश होने से पहले संकल्प दिया था कि कलेक्टरों की पोस्टें खत्म कर दी जायं....

डॉ० बहादुरसिंह : उसके बारे में तो विधान सभा ने निर्णय कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मान्य नहीं है निर्णय।

श्री लच्छूराम : निर्णय तो कर दिया पर यह जो २५ लाख की खर्च में कमी की जा रही है वह नक्कारखाने में तूती की आवाज के समान है। तो यह २५ लाख का किया है, जैसा कि बजट भाषण में कहा गया कि हमारे कुछ आंकड़े रह गये, बेटरमेंट लेवी लगाई थी वह नहीं मिली तो यह आपका पूरा बैठ जायगा। "भेड़ पर कोई लाणी नहीं छोड़ता" जागीरदारों की पुरानी कहावत है। जागीर के गांवों में से एक गांव ने लगान नहीं दिया और खासोली नाम का गांव था उसने लगान दे दिया जब जागीरदार को कहा गया कि उस गांववालों ने लगान नहीं दिया तो जागीरदार ने कहा कि खासोली के काश्तकारों से दुबारा लगान ले आओ। तो उसी प्रकार यहां किया गया है। खर्च में कमी करने का सवाल आया तो कह दिया गया कि चतुर्थ श्रेणी के लोगों को कतर दो, चपरासियों में १० फी सदी कमी कर दो। क्योंकि हमेशा इन्हीं को कतरते गये हैं। तो यह आपकी कोई मितव्ययता नहीं है। मितव्ययता तब होती कि गैलेरी में बैठे हुए ऑफिसरों....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! मैंने कई बार संकेत किया है कि गैलेरी में बैठे हुए ऑफिसर्स की ओर कोई संकेत नहीं करेंगे और उनका नाम नहीं लेंगे। हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि गैलेरीज़ में बैठे हुए ऑफिसर्स को या जनता को सम्बोधित करें, हाउस को सम्बोधित करना है।

श्री लच्छूराम : अच्छा होता कि सदन के १७६ माननीय सदस्य हैं, वे अपनी तनख्वाह में कटौती कर देते तो अच्छा होता। मेरा कोई किसी पर आक्षेप नहीं है मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कम खर्चे का कोई अच्छा कदम नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप लीड दीजिये।

श्री लच्छूराम : मेरी तो संख्या एक ही है राजस्थान विधान सभा में, आप १२० हैं, आप कीजिये, आपके साथ मैं भी कर दूँगा।

मितव्ययता का प्रश्न है तो इससे कोई मितव्यता नहीं होती। आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में ला देना चाहता हूं और सभी जानते हैं कि किस तरह का व्यवहार चतुर्थ श्रेणी के

(श्री लच्छूराम)

कर्मचारियों के साथ होता है। इतना बुरा व्यवहार तो जानवरों के साथ भी नहीं होता। समाज में किसी भी प्राणी के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार नहीं होता। ....

श्री उपाध्यक्ष : यह भी बजट का विषय है क्या ?

श्री लच्छूराम : बजट का विषय है, इस तरह की कमी से बेकारी बढ़ेगी और ये लोग अपने आपको सरेंडर करेंगे कि हम आपकी धोती धो देंगे, सब काम कर देंगे, हमको नौकर रख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता था कि माननीय सदस्य के पास और दूसरा बहुत सा मेटीरियल है और वे उस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री लच्छूराम : मैं इन्हीं को मेटीरियल मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : But I don't treat it as Material and I Will reguest the Hon'ble Member not to go to these facts.

श्री लच्छूराम : दूसरी बात वित मंत्रीजी ने बताई कि हमने एजुकेशन में बहुत तरक्की की है। जो चीज सत्य है उसको मानना पड़ता है। राजस्थान में शिक्षा की तरक्की हुई है पर राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रान्त को देखते हुए अभी भी शिक्षा की प्रगति कम है। साढ़े चार करोड़ से ६ करोड़ इसका बजट चला गया पर राजस्व का आधा शिक्षा का बजट हो जावे यानि २० करोड़ रुपये का राजस्थान का शिक्षा का बजट हो जावे तब शिक्षा पूर्ण रूप से लागू हो सकती है।

दूसरे, वित मंत्रीजी को मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा में ६ करोड़ खर्च किया गया है पर एक बात जिसकी ओर मैंने पहले भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि गांवों में प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, सिंगल टीचर स्कूल होते हैं वहां पानी का कुछ भी इन्तजाम नहीं होता है। क्योंकि वहां पर ६ वर्ष से ११ वर्ष के लड़के पढ़ने के लिये जाते हैं। उनको पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। अध्यापक तो खुद पानी लाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे पानी खुद लावें और पिलाते रहें या उनको पढ़ावें ? अगर वे पानी लाकर उन लड़कों को पिलाते रहें तो पढ़ाई नहीं करा सकते। इसलिए वे बच्चों को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। आप ही सोचें कि आया ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के लड़के इस प्रकार के काम को कर सकते हैं ? वे नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम यह प्रोवीजन तो आपको जरूर रखना चाहिये कि वहां पर कोई पियोन या पार्ट टाइम पानी पिलाने के लिए किसी आदमी को अलाउन्स देकर रखा जावे। इसका प्रबन्ध जरूर होना चाहिये। मगर यह नहीं होता है इससे बड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि प्राइमरी स्कूलों में या तो पियोन रखा जावे या वाटर अलाउन्स दिया जावे। मैंने यह बात दो-चार बार हाउस के सामने आपके समक्ष रखी मगर अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यापकों के रहने के लिए मकान का प्रबन्ध होना चाहिये। गांवों में जहां ५० या

(श्री लच्छूराम)

६० घर होते हैं वहां पर हम सिंगल टीचर स्कूल रखते हैं । वहां पर गांवों में न तो कोई धर्मशाला होती है न कोई मास्टर को किराये से वहां पर मकान मिल सकता है क्योंकि वहां कोई खाली मकान नहीं होते जो उस अध्यापक को मिल सके । क्योंकि गांवों में सभी लोग काश्त करते हैं और उनके सारे मकान भरे रहते हैं इस कारण से अध्यापक को रहने के लिये मकान नहीं मिलता है और जब उसको वहां गांव में मकान नहीं मिलता है तो वह गांव से दो तीन मील की दूरी पर कस्बों में जाकर रहता है और वहां से आने में उसको बड़ी असुविधा होती है । इसलिए अध्यापक को रहने के लिए मकान का प्रबन्ध होना बहुत जरूरी है । अब सरकार को स्कूलों की बिल्डिंग्ज के लिये तो कुछ पैसा डवेलपमेंट से मिलता है लेकिन मास्टर के क्वार्टर के के लिये नही मिलता है । इसलिये मास्टर के क्वार्टर के लिए कुछ न कुछ प्रबंध जरूर होना चाहिये । डवेलपमेंट की तरफ से जो खर्चा मंजूर होता है उसमें मास्टरों के क्वार्टरों में कम से कम एक कमरा और एक रसोई होनी चाहिये । इसलिये मैं यह कहूँगा कि मास्टर के लिए क्वार्टर की बहुत आवश्यकता है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि गांवों के अन्दर पंचायत समितियों की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि हर अध्यापक को प्रौढ़ शिक्षा देनी होगी, रात को पौढ़ शिक्षा देनी होगी । एक तरफ तो आप एक मास्टर को ८०) रु० तनख्वाह के देते हैं और महंगाई का जमाना है । २०) रु० मन गेहूं आज मिलते हैं । इसके अलावा देहात में हर प्रकार की तकलीफ है । उसको शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती । अखबार उसको पढ़ने को नहीं मिलते । इस प्रकार उनको कोई सुविधा नहीं रहती है । वैसे तो कुछ सुविधा अखबार की रहती है लेकिन उनके साथ साथ उनको रूरल अलाउन्स दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा । अगर रूरल अलाउन्स देना नहीं चाहती तो सरकार को चाहिए कि उनको पौढ़ शिक्षा देते हैं तो उसके लिए कम से कम १०) रु० या १५) रु० अलाउन्स मिलना चाहिए । पंचायत समितियें तो सब को आदेश कर देती हैं कि तुमको प्रौढ़ शिक्षा देनी होगी । यह तो यह हुआ कि अगर वह नहीं पढ़ाता तो सरपंच उसको दबा देता है । वह यह कहता है कि आपको यह ऑर्डर दिया आपने उसका पालन नहीं किया । अगर मास्टर प्रौढ़ शिक्षा नहीं देता है तो उसकी शिकायत का उनको मौका मिल जायेगा । आपने प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य रखी है वह तो ठीक है मगर इसके साथ साथ कुछ भी अलाउन्स आप जो चाहें रखें मगर अलाउन्स जरूर जारी करना चाहिये क्योंकि अध्यापकों की तनख्वाहें पहले ही बहुत कम हैं । तो मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापकों को जो रात को पढ़ाते हैं कुछ अलाउन्स जरुर होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं अपने जिले की तरफ माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर का ध्यान थोड़ा आकर्षित करूंगा ये आपके द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष : करिये साहब ।

श्री लच्छूराम : यह जिला....

एक माननीय सदस्य : ज्यादा लेना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मौका है जितना ले लें।

श्री लच्छूराम : झुंझुनू सबसे पीछे है। बिजली के मामलों में जैसा कि राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया था कि फरवरी, १९६० तक बिजली वहां आ जावेगी। यह आश्वासन कमेटी में दिया था। मगर मैं यह कहूंगा कि फरवरी, १९६० के बजाय मार्च भी आ गया है और अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं है। पिछली मंत्रि मंडल की बैठक में यह बताया गया था कि वहां बिजली ६३ तक आने की संभावना है। यानि १९६१ तक तो आने की कतई सम्भावना नहीं है। मैं यह कहूंगा कि पिलानी को बिजली मिल गई। हमें इससे कोई ईर्ष्या हो यह बात नहीं है कि पिलानी को बिजली क्यों मिली मगर वहां पर बिड़ला ६ आने पर युनिट से बिजली चार्ज करते हैं जब कि उनको १० नये पैसे पड़ती है। वे प्राइवेट हिसाब से पैसा लेते हैं। हमें कोई ईर्ष्या नहीं मगर उसके रेट्स तो रिजनेबल होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ईर्ष्या तो नहीं बल्कि दुःख की बात जरूर है।

श्री लच्छूराम : दुःख इसलिए है कि रेट्स रिज़नेबल नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों भाई-बहिन हैं। ईर्ष्या और दुःख!

श्री लच्छूराम : और दूसरी बात मैंने फाइनेन्स मिनिस्टर को झुंझुनूं में अलसीसर पंचायत समिति के बारे में बताया था कि इसको अर्द्ध रेगिस्तान माना गया है। इसमें अलवर, भरतपुर आदि भी मौजूद हैं। इसलिए यहां पर कई स्थानों पर १५० हाथ पानी गहरा है। मैंने इसके लिये प्रश्न पूछा तो यह कहा गया कि पंचायतों को १६ हजार रुपये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिये दिये गये हैं। मैं यह कहूंगा कि यह सब पंचायतों के लिये दिया गया है। वहां पर ८ पंचायत समितियें हैं उनको यह १६ हजार रुपया दिया गया है। इसलिये अलसीसर को बहुत कम पैसा मिलेगा। इसके लिए अलग से रुपया मिलना चाहिये क्योंकि यहां पर लोगों को ४ या ५ कोस से पानी लाना पड़ता है। यानि १० मील से पानी लाना पड़ता है।

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का हल निकलना चाहिये।

इसके अलावा-उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का बजट भी पिछले चार पांच वर्षों में बढ़ा है। मगर बड़े दुःख की बात है, अगर यह बजट ४ या ५ लाख और भ बढ़ जाता तो कोई चिन्ता की बात नहीं थी, उन जवानों के लिये जो जवान पुलिस की एक मात्र शक्ति हैं और उसको संचालित करते हैं और हर समय अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं उनको जमीन पर नीचे सोना पड़ता है। जो लोग २४ घन्टे ड्यूटी देते हैं उनको ५० रु० तनख्वाह मिलती है। उन, बेचारों को जमीन में रात को पीठ रगड़नी पड़ती है। मैं समझता हूं कि यह एक ही पुलिस लाइन का हाल नहीं है जहां जवान जमीन पर ही लेट लगाते हों। मेरा तो अनुमान है कि सब जगह यही हाल होगा। मैं एक समय झुंझुनूं में किसी से यों ही मिलने के लिए चला गया

(श्री लच्छूराम)

वहां पर जवान जमीन पर ही लेट लगा रहे थे और मुझको भी उस दिन जमीन पर ही लेट लगानी पड़ी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप वहां उस समय कहां चले गये थे ?

श्री लच्छूराम : इसलिए पुलिस लाइन में चारपाइयों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा शेखावाटी में सेटलमेंट की रेट है वह पुराने जमाने की १।३ है वही चली आ रही है जब कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट से १।६ लगता है तो यह सौतेला व्यवहार झुंझुनूं में क्यों किया है ? हटुंडी एक ऐसा है जो ४४ लाख रुपया देता है जबकि राजस्थान का कोई भी जिला इतना रेवेन्यू नहीं देता है । इसलिये यह भी अन्याय समाप्त होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की अवैधानिक चीज जो संविधान के खिलाफ हो रही है नहीं होनी चाहिये और झुंझूनूं में १।३ लगान लगता है वह नहीं होना चाहिये और यह रेट जो इतने समय से ली जाती रही है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लोगों को वापिस दे देनी चाहिये ।

इसके अलावा गवर्नमेंट की रकम बकाया किसानों में चल रही है उसको माफ कर देनी चाहिए जिस प्रकार जागीरदारों को यह कह कर कि ये रकम (बकाया) देने के योग्य नहीं हैं । उसी प्रकार माफ कर दी जानी चाहिए । इसलिए राजस्थान में भी किसानों में ८ या ९ वर्षों से तकावी बाकी है वह हजार-हजार या दो-दो हजार है और किसान देने के योग्य नहीं हैं तभी तो नहीं दे पाये हैं इसलिए उनकी उस रकम को भी माफ करना चाहिए जिस प्रकार जागीरदारों की रकम को आपने माफ कर दिया है । इसलिए उनकी रकम को बकाया से निकाल दी जावे ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने ६०–६१ का बजट पेश किया और काफी श्रम किया है । मैं उनको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो बजट के आंकड़े पेश किये गये हैं वे बड़ी चतुराई और मनौवैज्ञानिक तरीके से पेश किये गये हैं और जो बजट उन्होंने पेश किया है, वे हमारे कुल के एक बड़े हैं और उनके द्वारा राज्य की सारी आमदनी और राज्य का सारा खर्चा सामने रखा जाता है कि किस प्रकार से आमदनी होगी और किस प्रकार से खर्चा होगा, यह सब को ही समझने की जरूरत है । यदि बजट को आलोचना और समालोचना दोनों तरीके से देखें तो इस पर हमको गहराई से विचार करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दस वर्ष पहले खर्चा था १६. १० लाख वह ४५. १४ लाख तक पहुंच गया । यह आमदनी और खर्चा बढ़ा है । किन तरीकों से बढ़ी है आमदनी ? दूसरे टैक्स राजस्थान में नहीं थे । जहां २७.२ पर्सेन्ट टैक्स से आता था वह ३३. ८ पर्सेन्ट पर पहुंच गया है । इसका मतलब यह हुआ है कि टैक्स लगाने के सोर्सेज और

(डॉ० बहादुरसिंह)

हैं और टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि जितनी स्टेट की आमदनी होती है उसके बाद स्टेट को निश्चित् तौर पर खर्च करना पड़ता है। स्टेट डवेलपमेन्ट पर करती है। डवेलपमेन्ट के आंकड़े देखें तो निश्चित ही इस मत पर पहुँचेंगे कि पहले डवेलपमेन्ट पर खर्चा ४१.८ था और अब डवेलपमेन्ट पर खर्चा है ५८.२। डवेलपमेन्ट पर खर्चा बढ़ा है लेकिन इसका श्रेय मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को नहीं देता हूं, डवेलपमेन्ट में जो वितरण किया गया है उनका श्रेय मैं उनको नहीं देना चाहता। डवेलपमेन्ट का एक्सपेन्डीचर बढ़ गया है, आमदनी बढ़ी है और डवेलपमेन्ट का खर्चा भी बढ़ा है लेकिन जो इसके वितरण का तरीका है उसमें परिवर्त्तन नहीं कर पाये हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह हमारे सोचने की बात है कि इकॉनोमिक डवेलपमेन्ट में अधिक तरक्की नहीं कर पाये हैं। पहले डवेलपमेन्ट पर खर्चा था वह ३४.९ था वह अब जाकर ३५.६ हो गया है। जितना डवेलपमेन्ट पर खर्चा करते हैं उसके रेश्यो के हिसाब से विशेष तरक्की नहीं कर पाये हैं। इसके साथ साथ सोशियल सर्विसेज पर जो खर्चा किया जाना चाहिये था वह नहीं कर पाये हैं। सोशियल सर्विसेज के ऊपर पहले डवेलपमेन्ट का खर्चा, यह ध्यान देने की बात है, ६५ करते थे और ६४.४ करना चाहता हूं। यानि पहले जो खर्चा करते थे उससे भी कम खर्चा करना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसी बात है जिस पर विचार करना चाहिये। यह हम कह सकते हैं कि आमदनी बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ा और विकास भी किया है। विकास जरूर किया है। विकास में और पैसा खर्च करना चाहिये था वह नहीं कर पाये। सोशियल सर्विसेज में डवेलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर का रेश्यो हमेशा बढ़ना चाहिये था। इसकी पूरी आवश्यकता भी है।

अब मैं विभागीय प्रगतियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक राजस्थान में शिक्षा का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि शिक्षा विभाग ने विशेष बड़ी तरक्की की है और टार्गेट्स पॉइन्ट्स थे उनसे भी आगे बढ़े हैं। निश्चय यह किया गया था कि इस पंचवर्षीय योजना में पांच हजार प्राथमिक शालायें खोलेंगे वे अब बढ़ कर ७,२६० हो जावेंगी। यानि २,२६० और खोल सकेंगे। इसमें हम निश्चय से आगे बढ़े हैं। शिक्षा में सारा प्रान्त पिछड़ा हुआ था और है। पहले छोटे २ राज्य थे, मैं भी एक छोटे से राज्य से आता हूं और उस की शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है, यह मुझे मालूम है और आज हम इस ओर कितनी प्रगति कर पाये हैं यह भी हमको विदित है। इसमें कोई शंका नहीं है कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है इसमें काफी प्रगति हुई है। लेकिन इसको संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। एक तरफ हम प्रारम्भिक शिक्षा में तरक्की कर रहे हैं लेकिन जो प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक हैं उनके वेतन के लिए, प्रगति के लिए माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कोई संकेत नहीं दिया है। यह कहा जा सकता है कि २५०) तक पाने वालों को ५)रु. की तरक्की पहले दी जा चुकी है जहां कॉलेजियेट शिक्षा का सवाल आता है। जो हमारी माध्यमिक शालायें हैं उनके सम्बन्ध में भी न तो कोई निर्णय लिया है और न ही उसके वेतन स्तर के बारे में कोई तरक्की कर सके हैं।

इसी प्रकार से राजस्थान को औद्योगिक

Page No.70

(डॉ० बहादुरसिंह)

नीति का जहां तक प्रश्न है मैं राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और भी विशेषतया निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल उत्पादन के आंकड़ें थे, उत्पादन में कमी हुई। लेकिन इस साल जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनसे दृष्टिगोचर हो सकता है कि इसमें तरक्की हुई है और काफी संतोषप्रद है । राजस्थान इस ओर बराबर तरक्की कर रहा है। इसमें दो राय नहीं है। जहां इन्डस्ट्रीज़ का विकास होगा वहां निश्चित् तौर पर राज्य की आमदनी बढ़ेगी और स्तर सुधरेगा। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक संपदा आप बनाना चाहते हैं और विशेष कर जिन क्षेत्रों में आप खोलना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा मुक्तहस्त से, अपने हाथों को रोके नहीं, फौरन सेंक्शन दे दें जिससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आवेगी।

अब मैं राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहा तक राजस्थान के स्वास्थ्य का सम्बन्ध है इसको मैं प्रोग्रेसिव नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? हमारे यहां न तो एलोपैथी में ही विशेष तरक्की कर पाये और न ही आयुर्वेद के विषय में तरक्की कर पाये। एलोपैथी के लिए यह कहा जा सकता है कि दो मैडीकल कॉलेज स्थापित किये हैं। वास्तव में राजस्थान के लिए दो मेडीकल कॉलेज और दो आयुर्वेद कालेज पर्याप्त हैं क्या, यह सोचने की बात है। राजस्थान जैसे प्रान्त के लिए दो मैडीकल कॉलेज और दो आयुर्वेद कालेज, मैं कहता हूं कि बिल्कुल अपर्याप्त हैं। मेडीकल कॉलेज की हालत देखी जाय, चाहे आयुर्वेद कॉलेज की हालत देखी जाय, उनको पूर्ण नहीं पाते। एम. बी. बी. एस. करने के बाद कोई भी एलोपैथी में आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उच्च शिक्षा के लिये यहां कोई साधन नहीं है। उच्च शिक्षण की व्यवस्था जब तक राजस्थान में आप नहीं करेंगे तब तक राजस्थान स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में अग्रसर नहीं हो सकेगा।

इसी प्रकार से आयुर्वेद की स्थिति भी बड़ी शोचनीय कर रखी है। आयुर्वेद की परीक्षा के सम्बन्ध में पिछली दफा कहा था कि सरकार बिल्कुल विद्यार्थियों को गुमराह करती है और उनका समय बिल्कुल बर्बाद कर रही है क्योंकि परीक्षा बोर्ड जरूर है लेकिन उसको कहीं की मान्यता नहीं है, चाहे स्वयम् राजस्थान में मान्यता दे सकते हैं, राजस्थान में युनिवर्सिटी है लेकिन जैसे एलोपेथी देती है, उसका एक स्तर है लेकिन आयुर्वेद परीक्षा का कोई आपका स्तर नहीं है।

वे किसी कानून से संचालित नहीं इसलिये गैरकानूनी चीज है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये आयुर्वेद विभाग के मंत्री महोदय से जो यहां उपस्थित नहीं हैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिये। इसको समाप्त नहीं करेंगे तो इससे जितने भी पास होनेवाले विद्यार्थी हैं कोई भी सर्विस नहीं पा सकेंगे सिवाय राजस्थान राज्य की मेहरबानी के। इस संबन्ध में आयुर्वेद की जो परीक्षा है उसके बारे में विशेष ध्यान देना है। आयुर्वेद कॉलेजों की हालत बहुत ही दयनीय

Page No.71

(डॉ० बहादुरसिंह)

है । वहां क्रियात्मक शिक्षण के लिये एवच्छेद शल्य क्रिया आदि जो क्रियात्मक व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं है । इसके लिये अब तक आयुर्वेद कॉलेजों के अन्दर जो इसका क्रियात्मक अंग है उसकी पूर्णतया व्यवस्था नहीं करते तब तक कभी भी हमारी शिक्षा सर्वांगपूर्ण नहीं मानी जा सकती ।

इस चिकित्सा के संबन्ध में मुझे आप क्षमा करें आयुर्वेदिक औषधालय और अस्पतालों की जो व्यवस्था है वह भी पूरी तरह से सर्वांगपूर्ण नहीं है । आप एलोपेथिक डिसपेन्सरीज में भी जायें वहां की हालत भी सन्तोषप्रद नहीं कह सकते । धौलपुर के सदर हॉस्पीटल के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं जो स्टेट के समय चला करता था उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा । स्टेट के समय में ६० बैड्स फीमेल और ६० बैड्स मेल के बनाये थे । राज्य के अन्दर जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उन्होंने फीमेल चिकित्सालय प्रारम्भ किया था । राजस्थान में विलीन होने के बाद वहां के सी० एम० ओ० साहब को राजस्थान में अच्छी जगह रखा गया है । उनकी राजस्थान में काफी प्रेस्टिज है । आज भी वे जयपुर के अन्दर काफी ख्याति प्राप्त किये हुए हैं । अब अन्दाज करिये उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी ? आज तो वहां पर एक तरह से घुड़दौड़ मचा रखी है । आज मैं कह नहीं सकता यह हालत क्यों है । वहां के फीमेल हॉस्पिटल में आयरन लंग्ज हैं जो शायद मेरे ख्याल से किसी भी फीमेल हॉस्पिटल में नहीं हैं । इम्प्रूवमेन्ट की जो हालत है वह आज किसी से छिपी नहीं है । मेडीकल और हेल्थ सेक्टर बनता है यह सोचते थे कि हमारे इन अस्पतालों के लिये ज्यादा पैसा खर्च किया जायेगा आप ज्यादा खर्च करिये लेकिन इन अस्पतालों को भी सर्वांगपूर्ण रखिये । सर्वांगपूर्ण रखे बिना कोई भी चिकित्सा सफल नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधालय जो हैं उनकी हालत भी उसी प्रकार की है । मैं आप से धौलपुर के आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में अर्ज करूं वह औषधालय फर्स्ट क्लास का आयुर्वेदिक औषधालय है वहां पर उसके लिये अच्छी बिल्डिंग है लेकिन वहां पर जो महिला है क्या काम करती थी उसको हटा कर भी जयपुर भेज ...

श्री उपाध्यक्ष : इसका आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं ।

डॉ बहादुरसिंह : बार बार रिपीटिशन करने पर शायद समझ में आ जाय । यह तो मैं एक नजीर के तौर पर रखना चाहता हूं, हमारे यहां पर जो औषधालय स्थित हैं । आप इस प्रकार का कार्य करके एक औषधालय जिसकी अच्छी स्थिति हो उसको बिगाड़ कर दूसरे औषधालय की स्थिति बदलते हैं यह उचित नहीं है । हमारे यहां आप अगले वर्ष में २३५ आयुर्वेदिक औषधालय खोलेंगे यह तो बड़ी खुशी की बात है । यह बताता है कि आप आयुर्वेद को तरक्की देना चाहते हैं । इस भावना में जो ग्रामीण भावना है ग्रामीण चिकित्सा की योजना को पनपाना चाहते हैं । आप यह चाहते हैं कि कम खर्चे में अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस नीति को आप अपनाना चाहते हैं। इसलिये आप इसको तरक्की देना चाहते हैं लेकिन अगर आपने इतने औषधालय खोल दिये और उनमें सब साधन आपने मुहैया

(डॉ० बहादुरसिंह)

नहीं किये तो जो लाभ आप देना चाहते हैं वह नहीं दे पायेंगे वैद्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसी भी औषधालय को रखिये लेकिन सर्वांगपूर्ण रखिये। आज राजकीय प्रवास भवन में माननीय सदस्यों के लिये एक औषधालय चालू है लेकिन वह औषधालय भी सर्वांगपूर्ण नहीं है। इस औषधालय में आसव अरिष्ट आदि भी प्राप्त नहीं हो सकते। आयुर्वेदिक चूर्ण भी उपलब्ध नहीं होते।

एक माननीय सदस्य : रसायनशाला से प्राप्त कर सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : रसायनशाला से तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन एक औषधालय जो माननीय सदस्यों के लाभ के लिये है उसमें तो यह होना चाहिये। उस औषधालय को यदि विभाग अच्छा औषधालय बना कर रखे तो इससे अधिक सर्वांगपूर्ण और दूसरा औषधालय नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार आप एलोपेथिक डिस्पेन्सरी को भी लीजिये वह भी हमें सर्वांगपूर्ण नहीं दिखाई देती। हमने सोशल एक्सपेन्डीचरमें कमी की है। टोटल एक्सपेन्डीचर जो डवेलपमेन्ट का था उसमें से सोशल एक्सपेन्डीचर को कम किया है। इस काम को हमें बढ़ाना चाहिये, इन औषधालयों में जो भी कमी हो उसे पूरी करनी चाहिये।

इसके साथ साथ मितव्ययता की बात बतलाते हुए कल वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि हम सात लाख रुपया नशेबाज़ी से वसूल करेंगे। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा क्या हम इस मद्यनिषेध को बन्द करने वाले हैं या नहीं? इसके बारे में यह दलील दी गई कि नाजायज शराब बनती है उन नाजायज तरीकों को कम कर दिया गया, यह तो केवल आत्मसन्तोष मात्र है। वे तरीके उपयुक्त नहीं पाये गये इसलिये सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : बात यह है कि कुछ तो कन्ज़म्शन बढ़ा है और कुछ रेट्स बढ़ा दी।

डॉ० बहादुरसिंह : रेट बढ़ा दी सो तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो शराब का साधन है, मैं जब उसे औषधि के रूप में देखता हूँ तो वह बुरी नहीं है लेकिन अगर उसके पीने के बाद आदमी बेहोशी में आ जाता है तब वह बुरी चीज हो जाती है।

एक माननीय सदस्य : वहां तक तो आपको बुरी नहीं दिखी।

(हंसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : नहीं पीनेवाले भी पीने लग गये।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं इस बारे में वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह जो सात लाख की और आमदनी करना चाहते हैं वह न करके आप इसके लिये और कोई टैक्स लगा सकते हैं, सेल्स टैक्स बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी की दो राय नहीं होगी। शराबखोरी का जो खोटा पैसा है वह आदमी की बुद्धि को खोटा कर देता है। इस शराबबन्दी के लिये हमें राजस्थान में कोई प्रभावशाली कदम उठाना चाहिये।

जहां तक आबकारी का प्रश्न है इसके बारे में मैं वैद्यों की ओर से निवेदन करना

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहता हूँ । केन्द्रीय सरकार ने आसव अरिष्टों पर कुछ ड्यूटी लगाई है वह प्रत्येक वैद्य पर करीब २५ रुपये के करीब पड़ता है ! आप अन्दाज करिये राजस्थान के अन्दर २५ रुपया प्रति वैद्य पड़ता है जब कि यहां दस हजार वैद्य रजिस्टर्ड हैं, इससे आपको कितनी बड़ी भारी आमदनी होने वाली है । सरकार उस आमदनी को लेना नहीं चाहती । वैद्य लोगों का कहना है कि उन्होंने आसव अरिष्टों के लिये दरख्वात दे रखी है । लेकिन उनको हैरेस बहुत किया जाता है । इस बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं इससे राज्य सरकार को बड़ी भारी आमदनी होने वाली है । उधर तो शराबबन्दी करने जा रहे हैं और इधर इन आसव अरिष्टों पर टैक्स लगा रहे हैं हालांकि मैं इस टैक्स का विरोध करता । लेकिन विरोध इसलिये नहीं करना चाहता कि इससे कम से कम जो रजिस्टर्ड वैद्य हैं वहीं तक यह सीमित रहेगा इसलिये विरोध नहीं करना चाहता । राज्य सरकार से कहना चाहूँगा यह जो सेन्ट्रल द्वारा लगाया हुआ टैक्स है जो राज्य सरकार को मिलने वाला है अच्छे ढंग से वैद्यों के साथ सहूलियत करके, समझा करके वसूल करें, बल्कि इस प्रकार का आप बड़ा भारी बवंडर मचा कर जो वसूली करते हो इससे वे घबरा से जाते हैं । इस रास्ते को छोड़कर एक सीधा सा तरीका है टैक्सेशन वसूली का, वह लाने की कोशिश करिये । इससे वैद्यों को दो फायदे होंगे । चिकित्सा में सुविधा-पूर्वक वे आसव और अरिष्ट का उपयोग कर सकेंगे, सरकार को टैक्स मिल जावेगा और उनको इसमें कोई तवालत का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या तरीका चाहते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : तरीका यह होना चाहिये कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन्स-पेक्टर स्वयं जाकर उनसे भरवा ले और सभी तरीके उनको समझा दे कि किस तरह से रजिस्टर रखना और किस तरह से उसे भरना और दवाई देना । तो इस तरह से वे अगर काफी निकट सम्पर्क में आकर उनकी असु-विधाओं को वहीं का वहीं हल कर दिया करें तो इसमें वैद्यों को कोई ऐतराज नहीं होगा । पर आज के आपके तरीकों से तो बड़े बड़े वैद्य तक घबरा गये हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : टैक्स देने में तो आपको आपत्ति नहीं है पर उसकी वसूली के तरीकों में आपत्ति है ।

डॉ० बहादुरसिंह : वैसे तो टैक्स पर भी वैद्य सभा ने आपत्ति की है, वे परेशान हैं । पर फिर भी आपके तरीकों से वे बहुत परेशान हैं । इसको ठीक कर देंगे तो उनको सन्तोष होगा ।

सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहा । मैं उनसे भिन्न राय रखता हूं । वे भी कमेटी के मेम्बर थे राष्ट्रीयकरण करने वाली कमेटी के, और सारे भारत में भ्रमण किया और उस पर उन्होंने यहां कहा कि यहां भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । हमारे समाजवादी समाज में यातायात का राष्ट्रीयकरण सर्व महत्वपूर्ण चीज है । पिछले दिनों इसका महत्व व्यक्त किया गया, वह खाली जो स्थिति थी वह

(डॉ० बहादुरसिंह)

बतलाई । मैं उसका जिक्र नहीं करता पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी, जो वे एक बार धौलपुर गये थे तो बस में बैठने का तजुर्बा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नहीं है । मुझको न घसीटें इसमें ।

डॉ० बहादुरसिंह : तजुर्बे की बात कह रहा था मैं तो । तो मैं कह रहा था धौलपुर ऐसी जगह में है जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह की बसें आती हैं। अब वहां वे लोग कहते हैं कि राजस्थान में बसों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं । राष्ट्रीयकरण करने से मैं समझता हूं कि हमारी जितनी भी आमदनी है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होगी । मैं धौलपुर की ही बात बताऊं । धौलपुर से आगरा बसें चलती हैं, इसमें तीन उत्तर प्रदेश की हैं और ६ धौलपुर से जाती हैं आगरा । राज की तरफ से आने वाली बसों की तीन गुनी आमदनी है । अब प्राइवेट बस ओनर्स को जिनकी पचीस, तीस, चालीस हजार की बस है एक एक. वहां दो तीन साल में वह बस उनकी अपनी हो जाती है, करीब मुफ्त में पड जाती है । यानी इतनी आमदनी को सरकार आज छोड़ रही है । अगर इस तरह आमदनी का जरिया सरकार अपने हाथ में ले तो आज जो हम कर्जे की हालत में दब रहे हैं, कर्जदार न सो सकता है न रह सकता है आराम से । उसके ऊपर तो बोहरों क तलवार रहती है । हमारे किसान की हालत इसी तरह से खराब हुई । फिर राजस्थान का कर्जा जो मामूली कर्जा भी नहीं है । अगर हमारे राज्य की आमदनी बराबर दो तीन साल तक दें तो कर्जा चुक सकता है । इसलिये हमें इसके लिये आमदनी के बड़े बड़े सीगों की तरफ ध्यान देना होगा और इससे बड़ा सीगा और कोई इस समय है नहीं । इसलिये किसी भी हालत में चाहे ऑर्डिनेन्स के जरिये ही हमें करना पड़े पर इस यातायात को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण में लाना चाहिये, हर सम्भव उपाय से ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण जितना जल्दी कर सकें करना चाहिये । इसके लिये केन्द्रीय सरकार से कर्जा भी लेना पड़े तो लेना चाहिये क्योंकि ट्रान्सपोर्ट का कर्जा ज्यादा से ज्यादा दो तीन साल में आप चुका देंगे, राज्य के लिये बड़ी आमदनी का सोर्स बन जावेगा । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि इसको राष्ट्रीयकरण में लाना चाहिये । वैसे आर्थिक स्थिति राजस्थान की सुदृढ़ है क्योंकि एक शासन जहां दृढ़ता से और एक ढंग से जमा रहता है तो हम ज्यादा स्थिर रूप से काम कर सकते हैं । शासन सुदृढ़ होता है तो विकास कार्य भी अच्छी तरह से कर पाते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार पूंजीपतियों को प्रोत्साहन दे रही है । मैं याद दिलाऊं उन्हें कि जिस सरकार ने सेल्स टैक्स से ६५ हजार की आमदनी की बात कही हो, क्या वह सेल्स टैक्स किन्हीं गरीबों पर लगेगा । वह तो इन्हीं पूंजीपतियों पर लगने वाला है । यह उन पूंजीपति किसानों पर भी लगने वाला है जो पचास बीघा से ज्यादा ६) रु० लैंड रेवेन्यू देते हैं । तो इससे राज्य की अच्छी खासी आमदनी होगी । इसके बाद पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने की बात कहना गलत है ! ६५ लाख रुपया लगा कर कौनसा पूंजीपतियों का सरकार पक्ष ले रही है और ६) रु० सैकड़ा

(डॉ० बहादुरसिंह)

बड़े बड़े किसानों पर टैक्स लगा कर कौनसा पक्ष ले रही है। यह तो समाजवादी समाज की रचना करने वाली सरकार की नीति है और होनी चाहिये। यह समझने की चीज है।

अब अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूं कि वे जिस प्रकार से हमारे इस वित्त का संचालन कर रहे हैं और जिस प्रकार उन्होंने यह वादा किया है कि वे २५ लाख की मित्तव्ययता करेंगे वह कर सकेंगे, पिछले साल चालीस लाख का वादा फेल (fail) रहा, या नहीं यह भविष्य बतावेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जो वित्त-मन्त्री महोदय ने हमारे सामने बजट का प्रस्ताव रक्खा है उस पर उनको बधाई देना चाहता हूं। इसलिये नहीं देना चाहता यह बधाई कि उन्होंने इस बजट में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के कुछ काम काज की ओर लक्ष्य किया है, पर जैसा मैंने पिछले साल कहा था कि हमारे राजस्थान राज्य के वित्त विभाग ने राजस्थान की आधारभूत आर्थिक समस्याएं न केवल समझ आ गई हैं पर उसकी पकड़ भी उत्पन्न हो गई है। मैं बराबर बजट आने पर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। आज तीन चार वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे वित्त मन्त्री महोदय राज्य की वित्तीय परिस्थिति को, उसकी संभावनाओं को और उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति को न केवल ठीक तरह से समझ पाये हैं किन्तु उसे एक गति भी देने में समर्थ हुए हैं।

हम बराबर देख रहे हैं कि बृहत् राजस्थान के निर्माण से लेकर आज दिन तक हमारी जो वित्तीय स्थिति है, कई आपत्तियों और खतरों से गुजरते हुए आज एक ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि निरन्तर हमारी आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे।

(३ म.प.)

हमारे वित्तमन्त्री को जो यह आशा है वह केवल मैं समझता हूं आशा ही बन कर नहीं रह जावेगी, परन्तु हम सब के विश्वास के भी बहुत बड़े भागी होंगे। यह हमें बता देना है कि हमारे प्रारम्भ के घाटे के राज को धीरे धीरे न केवल विकास के मार्ग पर ला दिया गया है किन्तु विकास से उत्पन्न होने वाली जो अनेकों आर्थिक समस्याएं हैं उन तक को मैं समझता हूं कि हल करने का निश्चित प्रयत्न किया गया है। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो खतरा राजस्थान राज्य के शासन की दृष्टि से हमारे सामने था वह अब दूर हो जायेगा, ऐसा मैं समझता हूं। पर मैं यह नहीं मानता कि हमें इसी से निश्चिन्त हो जाना चाहिए और जो आशा वित्त मंत्री महोदय ने हमें दी है उसी पर एक प्रकार की खुशी मानकर चुपचाप बैठे रहना है। सच बात तो यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इस अन्तिम वर्ष में हमारे सामने सबसे ज्यादा आर्थिक संघर्ष मौजूद है और यह संघर्ष हमारा केवल वित्त प्राप्ति का ही संघर्ष नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, बल्कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो सफल समाप्ति करना चाहते हैं उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह हमारा संघर्ष है, इस वर्ष, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने हमें सूचित किया

(श्री जनार्दनराय नागर)

है कि हम २८ करोड़ के लगभग हमारे विकास कार्यों के लिए खर्च करेंगे। मैं यह मानता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय राज्य के विकास कार्यों की खर्च की क्षमता ३।४ करोड़ से धीरे धीरे अब ऐसी हो गई है कि हम एक वर्ष में २३।२४ करोड़ रुपया खर्च कर पायें और यह २८ करोड़ का खर्चा जो इस वर्ष किया जाने वाला है, हमारे राज्य के विकास के खर्च करने की शक्ति में अंतिम कसौटी है। यदि यह खर्चा कर लिया गया तो मैं समझता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो खाका माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है उस दृष्टि से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे राजतंत्र के और हमारे विकास के मामले में हम जो तृतीय पंचवर्षीय योजना करीब २०० करोड़ रुपये से ज्यादा की बनाने वाले हैं उसके लिए न केवल विश्वास पैदा होगा बल्कि एक निश्चित भविष्य के राजस्थान का नक्शा दृष्टिगोचर होगा। मेरा मत है कि कहीं इस २८ करोड़ की समाप्ति के लिए रकम पूरी तरह से खर्च न की जा सके। क्योंकि ऐसा लगता है कि कई ऐसे खर्चे हमें मिलते हैं कि जो कि गत वर्ष भी आरम्भ हो गये हैं और इस वर्ष भी दिखाये गये हैं। कुछ ऐसे भी खर्चे हैं कि जो पहले आरम्भ कर दिये गये और अब तक भी पूरे हो गये हैं या नहीं, लेकिन उनका ब्यौरा इसके अन्दर मौजूद है। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो आधारभूत संकीर्णतायें हैं उनकी ओर तो मैं इस समय ध्यान दिलाऊं तो वह न तो वितमंत्री इस समय शायद कर पायेंगे क्योंकि वह भी इस समय इस मामले में विवश हैं। यह ठीक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनकी तरफ अन्ततः आने का निश्चय किया है लेकिन जो हमारे छोटे मोटे जिला स्तर के काम हैं मैं समझता हूं कि उन कामों के लिए ही इस बजट में वह गुंजाइश नहीं है और शायद वित्त मंत्री महोदय अब वह गुंजाइश रख भी नहीं सकते हैं। तो मेरी सूचना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय हमारा जो आयोजन बने मैं समझता हूं कि हमारी पंचायत समितियों के स्तर को लेकर जिला स्तर पर और इसके बाद मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान के स्तर पर वह बनना चाहिए। हमें जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी कमी मालूम होती है वह यह है कि हमने इस दौरान में बड़े बड़े काम किये, विकेन्द्रीकरण का जैसा बड़ा काम हमने किया लेकिन जिला स्तर का सवाल है, पंचायत समितियों के स्तर का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हमने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं किया है। मैं समझता हूं कि जो कमी की वेदना है उसको हम सब लोग सह चुके हैं लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की आशा वित्त मंत्री महोदय ने हमें बंधाई है क्योंकि इस समय बहुत से वर्किंग ग्रुप्स इस मामले पर विचार कर रहे हैं तो हमारी दृढ़ सूचना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संकीर्णताओं को नहीं रखा जाये और कम से कम पंचायत समितियों के स्तर पर सारा ढांचा ढाला जाये। क्योंकि मुझे अंदेशा इस बात का है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बहुत से अधूरे काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शायद लिये जायेंगे। मैं तीन चार बातों की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा जिनको मैं समझता हूं कि इस बजट के अन्दर कोई अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है। हमसे कहा गया है कि हम इस वर्ष २५ लाख की

(श्री जनार्दनराय नागर)

बचत करना चाहते हैं प्रशासन के व्यय में। मैं मानता हूं कि यह होना चाहिये पर जो आपने इसके लिए उपाय सुझाया वह कतई उचित नहीं है। हमने पिछले तीन वर्षों से नहीं बल्कि उससे पहले से ही प्रशासन के व्यय में कमी करने का उद्देश्य रखा है। लेकिन सच बात तो यह है कि हम कमी नहीं कर पा रहे हैं। हमसे कहा गया कि इस साल में इस प्रशासन के व्यय में ३० लाख रुपये की बचत करेंगे। लेकिन स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने अपनी अफलता को माना है। बड़ी सरलता से वह अपनी असफलता को मान गए कि लक्ष्य में सफलता नहीं मिली। ठीक है भ्रष्टाचार के नाते हम इस असफलता की दाद दे सकते हैं लेकिन सही बात तो यह है कि बड़ी से बड़ी असफलता है। मैं मानता हूं कि वह समय आ गया है जब कि प्रशासन में साहस के साथ कमी करनी चाहिये। मुझे समझ में नहीं आता कि इस वर्ष केवल हमसे इतना ही कहा गया है कि २५ लाख रुपये तक की कटौती प्रशासन में करनी चाहिये और उसके लिए वह प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रशासन का जो भरकम खर्चा है उसमें कमी करने का प्रयत्न करना और उसके लिए अभी कोशिश करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हमने विकेन्द्रीकरण के मामले में निश्चय किया वह हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या रुकावट है, प्रशासन के खर्चे में कमी नहीं की जा सकती? मुझे याद है कि प्रवर समिति ने जिलों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, और और भी कमेटियां हैं जिन्होंने यह योजना रखी है, लेकिन वह जिलों की संख्या कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जिलों की संख्या कम करने के लिए क्यों नहीं सरकार तैयार है? एक तरफ तो अनुभव होता है कि प्रशासन में खर्चा बहुत ज्यादा है और इकोनोमिक कमेटी उसके लिए बैठती हैं दूसरी कमेटियां बिठाते हैं, उसके लिए प्रस्ताव सामने आते हैं और दूसरी तरफ विकास के खर्चों के लिए करोड़ों रुपये का ऋण लेना पड़ता है और टैक्सेज़ नये नये लगाने पड़ते हैं तो जो सरल काम प्रशासन के खर्चे में कमी करने का है, वह क्यों नहीं होता है? कहा यह जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का खर्चा बहुत ज्यादा है और उनमें कमी की जायेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उपाय बताया है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाये यह उपाय ऐसा ही है जैसे दीवार के ऊपर जो लेंवडा है उसको उखाड़कर उसके ऊपर पैच करने की कोशिश की गई हो। चतुर्थ श्रेणी के सौ दो सौ की संख्या से प्रशासन का खर्चा बढ़ गया हो ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप कहना चाहते हैं कि आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिले बहुत ज्यादा हैं। कोई जिला ४ तहसील का है, कोई जिला ८ तहसील का है, कोई १५ का है और कोई १८ तहसील का जिला है। आप जिलों को कोई वैज्ञानिक आधार पर क्यों नहीं बनाते हैं? अगर आप एक जिले का खर्चा ५ लाख मानें और अगर ८ जिलों को कम कर देते हैं तो इस प्रकार से आप ४० लाख रुपये की सेविंग कर पायेंगे। यदि हमारे रेवेन्यू के जिले वैज्ञानिक ढंग से संगठित किये जा सकते हैं तो ऐसा हो सकता है। पर आप तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कमी करना चाहते हैं। तलवार तो चतुर्थ

(श्री जनार्दनराय नागर)

श्रेणी के कर्मचारियों पर ही पड़ती है। लेकिन जैसे छोटे छोटे जिलों को कम करने का सवाल है वह हम नहीं करते हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम करके समाज की सहानुभूति प्राप्त करना चाहें तो ऐसा हम नहीं कर सकते। यह मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं। यदि आप वाकई मानते हैं कि प्रशासन में कमी होनी चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि दूसरे तरीकों को आप मानें। आप तहसीलों का पुनर्गठन करें और जिलों की संख्या में कमी करें। राजनैतिक समस्याएं हैं। राजनैतिक समस्याएं तो तब भी थीं जब कि जगीरों को खत्म किया था, वे तब भी थीं जब कि विकेन्द्रीकरण करने के लिए कदम उठाये। आज एक समस्या आपके सामने है। एक हिम्मतवाली और साहसी सरकार के लिए एक समस्या जो कि संक्रामक है उसको हल करना उसके सामर्थ्य की बात होनी चाहिए। इसलिए मेरा सोचना यह है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कमी करने का इंगित किया है वह गलत इंगित है। मैं मानता हूं कि उन लोगों में कमी नहीं की जाय और जिलों की संख्या में कमी की जाय। पुलिस के जिलों का पुनर्संगठन किया जाय। तहसीलों को वैज्ञानिक दृष्टि से संगठित किया जाय तो मेरा यह दावा है, बिना हिसाब लगाये हुए मैं कह सकता हूं कि सरकार को कम से कम ६०–६५ लाख प्रशासन के अन्दर खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। आप में हिम्मत हो। आप यह मानकर चलें कि प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टि से समन्वय करना आवश्यक है। प्रशासन के खर्चे में अगर आप वाकई कमी करना चाहते हैं तो आपको यह कदम उठाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि हमने राज्य में शिक्षा की उन्नति में इतना पैसा रखा है। मैं समझता हूं कि काफी तरक्की है। यह कम बात नहीं है कि आज हम द्वितीय योजना के अन्त तक अपने उद्देश्य से, निर्धारित उद्देश्य से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन समाज शिक्षण के मामले में कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। समाज शिक्षण के प्रसार से मैं मानता था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ उससे ज्यादा कर पायेंगे लेकिन आज भी हम देखते हैं कि समाज शिक्षण के नाम से दो, ढाई लाख रुपया बजट में है और कुछ नहीं है। विकास खण्ड और पंचायत समितियां समाज शिक्षण का कार्य करती हैं, लेकिन उससे, उपाध्यक्ष महोदय, कोई आत्म संतोष हो यह मेरी समझ में नहीं आ सकता है। आप पंचायत समितियों के जरिये क्या काम करवा रहे हैं उसका नकशा सामने रखें तो पता लगेगा कि समाज शिक्षा के नाम पर प्रचार के लिए कुछ ध्यान दिया गया है, लेकिन वस्तुतः आप राजस्थान के जन–समाज में जनतान्त्रिक चेतना, जन मानव के वयस्क शिक्षण को मानते हैं तो वैज्ञानिक प्रणाली की दृष्टि से कुछ नहीं कर पाये हैं। यही सवाल दिल्ली में भी उठा था। समाज शिक्षण की स्थायी समिति के सामने जब यह सवाल आया तो वहां पर चर्चा हुई कि समाज शिक्षण का ब्लॉक लेवल पर जो काम हो रहा है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। ५ साल में ७०–७५ हजार रुपये का प्रावधान है। अधिकांश में बहुत सारा रुपया तो इनाम देने में, बहुत सारा प्रदर्शन करने में, बहुत

(श्री जनार्दनराय नागर)

सारा सेमीनार करने में व्यय हो जाता है। १५) रु० का अलाउन्स अब शायद नहीं रहा है। अब शायद वह अलाउन्स बन्द किया जा रहा है। आगे सोचते हैं कि प्रौढ़ शिक्षण का केन्द्र चलाया जाय। केवल साक्षरता के प्रसार का वह माध्यम हुआ। १० १२ हजार रुपयों से एक तहसील के लिए कुछ नहीं हो सकता है, एक ब्लॉक एरिया के लिए कुछ नहीं हो सकता है। केवल २-२॥ लाख रुपया समाज शिक्षण के डाइरेक्टोरेट पर खर्च हो जाते हैं और दूसरी पंचायत समितियों के लिए १४-१५ हजार रुपयों का बजट रखकर हम चाहते हैं कि समाज शिक्षण का हम काम करें ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या होना चाहिए, यह भी बता दें।

श्री जनार्दनराय नागर : यदि आप करने के लिए तैयार हों तो मैं योजना दे सकता हूं। फालतू देने से क्या फायदा आप लागू नहीं करेंगे। मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं आपको एक ऐसी योजना बनाकर दे सकता हूं, अगर आप राजस्थान राज्य के वयस्कों के शिक्षण का प्रबन्ध करें तो। मैंने एक बिल दे रखा है। वह बिल कहां है इसका पता नहीं। ननुनच, किन्तु, परन्तु, इदम्, इथम्, ये सारी बातें उस बिल के संबंध में आ रही हैं। समाज शिक्षा का महत्व सरकार को पूरी तरह से मालूम नहीं है। मैं सरकार की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य बात कहनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि हमारे किशोरों नौजवानों के शिक्षण के मुकाबले में समाज शिक्षण का काम हमारा जो है वह बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। या तो यह मानकर चलें कि केवल प्रचार के लिए समाज शिक्षण का काम करते रहेंगे या यह मानकर चलें कि राजस्थान में वयस्कों की शिक्षा इसलिए करना चाहते हैं कि राजस्थान के जनतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। इधर हमने पंचायत समितियां बनाई, तो पंचायत समितियां बनाने के पहले हमें सरपंचों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। पंचायत समितियां होने के बाद भी निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी है। हम जानते हैं कि बिना शिक्षण के वयस्कों पर राजस्थान के समाज की जिम्मेवारी नहीं डाल सकते हैं। मेरी सूचना यह है कि समाज शिक्षण के मामले में राज्य सरकार का इस बजट के अन्दर, मैं समझता हूं कि वही पुराना जो ढर्रा है हमारे सामने मौजूद है। समाज शिक्षण का जो डाइरेक्टोरेट है मेरी समझ में नहीं आता है कि उसके पास क्या काम है ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें बड़े बड़े विभागों में मिला देना चाहिए। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता आज से ५-१० वर्ष पहले हो सकती थी परन्तु आज उनकी आवश्यकता बहुत कम रह गई है। मैं यह मानता हूं कि हमने जिला परिषद को अधिकार दिये और जिला परिषद् के स्तर पर यदि हमने जिले के प्रशासन का विकास के साथ साथ समन्वय किया तो राज्य के केन्द्रीय बहुत सारे विभागों का तिरोभाव कर देना पड़ेगा। समाज शिक्षण का विभाग भी ऐसा ही विभाग है। वह करता ही क्या है ? सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में यह है। समाज शिक्षण विभाग जो ब्लॉक में काम करने वाले लोग हैं उनका ट्रान्सफर करता है, कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरा वह किताबें

(श्री जनार्दनराय नागर)

खरीदता है और इधर–उधर भेजता है। तीसरा काम वह क्या करता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। कई बार समाज शिक्षण के मामले में विभाग से बातचीत की। कई बार योजना रखी कि हमें एक सेमीनार, जैसा कि सारे हिन्दुस्तान के लेवल का होता है उसी तरह का राजस्थान लेवल का सेमीनार समाज शिक्षण का रखें तो हमारे सामने जवाब नहीं। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो केवल मार्गदर्शन देने के विभाग हैं, और मार्गदर्शन देने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समाज शिक्षण की ओर राजस्थान सरकार को तृतीय पंचवर्षीय योजना में कम से कम पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को बड़ी नम्रता के साथ कि समाज शिक्षण की हमारी समस्या जो है वह केवल राजस्थान के स्तर की समस्या नहीं है, वह सारे भारत के स्तर की समस्या है। यह मान लिया गया है, देश के जनतन्त्र में जिनको दिलचस्पी ही नहीं बल्कि जो चाहते हैं कि देश में जनतन्त्र का पोषण किया जाय, उसका विकास हो, उन्होंने मान लिया है कि देश में जनतन्त्र को चलाने वाले, उसको स्थायित्व देने वाले पूरी तरह से शिक्षित हों।

तीसरी बात मैं कहना चाहता था कि जो विश्वविद्यालय के शिक्षण की तरक्की करने के बारे में हमको एक बात हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कही। कहा गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षण को सुधारने के लिए कुछ करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे विश्वविद्यालय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात नहीं करता हूं, वह पहले से ठीक होने लगा है, और मैं यह मानता हूं कि धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसे विभाग भी खोले गये हैं जिससे मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के शिक्षण की दिशा में कुछ नया मोड़ आयेगा। लेकिन वह कैसे क्या होगा वह मैं कहने की स्थिति में आज नहीं हूं। लेकिन ऐसा है कि विश्वविद्यालय का जो रोल है समाज के निर्माण का, समाज में ज्ञान के प्रसार का उसका जो रोल होना चाहिए वह मैं समझता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में धीरे धीरे आयेगा। लेकिन जो सुधार करने के २–३ प्रावधान हमारे सामने यहां रखे गये हैं, मैं समझता हूं कि वह ऐसे हैं जिससे इस दिशा के अन्दर राजस्थान सरकार का कितना बड़ा संकल्प है यह पता नहीं लगता है। कहा गया है कि जन मानस की ज्ञानवृद्धि के लिए विशेष प्राध्यापकों को बुलाना चाहते हैं विदेशों से, उनके भाषण दिलाना चाहते हैं। इस तरह से बुलाकर एक्सटेन्शन लेक्चर करा देंगे इससे विश्वविद्यालय के सारे ज्ञान स्तर में, विश्वविद्यालय की दृष्टि में, उसकी सृजन की जो प्रतिभा है, उसकी मति है, उसमें कहां परिवर्तन आयेगा? मैं मानता हूं कि इसका भी उपयोग है। कुछ आप प्रतिभाशाली लोगों को बुलायेंगे। उनके एक्स्टेन्शन लेक्चर करवा देंगे। इससे विश्वविद्यालय के वायुमंडल को बनाने में मैं कहता हूं मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय का जो ढांचा है आज वह आज के प्रगतिशील नये जनतन्त्र वादी समाज को पीछे ले चलने वाला ढांचा है। वे हमारे समाज के बौद्धिक अहंकार को बुलाते हैं। यदि आप प्रोफेसरों की बात करें तो उन्हें ज्ञान का अहंकार है। मैं ज्ञान के

(श्री जनार्दनराय नागर)

अहंकार को अच्छा नहीं समझता । अहंकार में वे कहते हैं कि गलियों में घूमने वाले लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और कुछ नहीं कर सकते । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस जमाने में यदि कोई इन्कलाब लाया है तो वे पढ़े-लिखे लोग ही लाये हैं । पढ़े-लिखे लोग अब भी १० बजे घंटा लगते ही आते हैं और ५ बजे घंटा लगते ही चले जाते हैं । अब भी उनका पुराना सा रवैया है, उनकी वही पुरानी टैक्सट बुक्स हैं, लेकिन यह भी मैं मानता हूं कि अभी जरूर कुछ नया नमूना लाये हैं, २ साल के डिग्री कोर्स के स्थान पर ३ साल का डिग्री कोर्स शुरू किया है, हायर सेकन्डरी का कोर्स लाकर कुछ मामूली सुधार किया है । लेकिन आप केवल एक्सटेन्शन लेक्चर दिलाकर ही यह कहना चाहते हैं कि हम विश्वविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सच्चा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, यदि इस दिशा में परिवर्तन के लिये नेतृत्व करना है तो विश्वविद्यालय को करना चाहिये, लेकिन मुझे चिन्ता है कि ये विश्वविद्यालय पुराने ढर्रे पर चलने वाले हैं, हमारे पुराने जमाने में अलग अलग रहने का जो तौर-तरीका था वह जनतांत्रिक प्रणाली में ठीक बैठने वाला नहीं है । यदि कोई ऐसा प्रावधान वित्त मन्त्री जी बनाते जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से हमको नेतृत्व प्राप्त होता, जनतांत्रिक प्रणाली में समाज को नेतृत्व देने के लायक इनको बनाते तो जरूर कुछ नई बात होती । लेकिन केवल एक्सटेन्शन लेक्चर से क्या होगा, कुछ वातावरण जरूर बनेगा लेकिन मैं मानता हूं यहां पर केवल दो ही सदन हैं। एक तो यह सदन है और दूसरा विश्वविद्यालय का सदन है । इस दृष्टि से विचार करना चाहिये ।

व्यापक रूप से हमने स्कूलों की संख्या बढ़ा दी है । यह संख्या साढ़े सात हजार हो जायगी । लेकिन बेसिक शिक्षा के मामले में क्या किया गया ? हमारी एक शर्त थी और वह यह कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ समानान्तर रूप से बेसिक शिक्षा का प्रचार करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा के मामले में अंततोगत्वा कितना सुधार किया गया है । एक रूल राज्य में है और गैर सरकारी रूप से इसके लिये प्रयत्न किया गया लेकिन उसका भी ठोर ठिकाना नहीं है । आप बेसिक स्कूल की हालत को देखें, प्राइमरी शिक्षा की हालत को देखें तो मानना पड़ेगा कि बेसिक शिक्षा अत्यन्त बुरी हालत में है ।

प्राथमिक शिक्षा का सवाल केवल स्कूल खोलने से हल नहीं हो जाता । राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत ढांचे की दृष्टि से ही इसका सवाल आता है । यह मान लिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा का आधार बेसिक शिक्षा होगी । चाहे यह कितनी ही कठिन समस्या हो लेकिन मैं मानता हूं कि बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ चलनी चाहिये थी लेकिन यह नहीं चली, इसलिये राज्य सरकार को इस ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये ।

यह ठीक है कि आजकल बहुत से सेमीनार होते हैं । राजस्थान में एक तरह से सेमीनार्स की बाढ़ आ गई है । यह एक नया सांस्कृतिक रोग सा हो गया है । सेमीनार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल इन सेमीनारों के अलावा राज्याधिकारी दूसरी

(श्री जनार्दनराय नागर)

बातों की ओर कम ध्यान दे पाते हैं । शिक्षा के बारे में सेमीनार, पंचायत समितियों का सेमीनार, और कई तरह के सेमीनार होते हैं । कोई सांस० लेने की कला का सेमीनार करता नहीं है । बाकी हमारे राज्याधिकारियों का और लोगों का पूरा समय इनमें खर्च होता । अपने यहां जो नई क्रान्तिकारी योजना लागू करना चाहते हैं उसके बारे में भी सेमीनार करें । दिमाग की शिकायत कम करने का भी सेमीनार करें तो समझ में आवे । जैसे पहले सफाई के लिये मानपत्र पाने की प्रवृत्ति थी उसी प्रकार से आजकल ये सेमीनार हो गये हैं । इसके परिणामत: जो संगतियें प्राप्त होती हैं उनका उपयोग कितना करते हैं यह देखने की बात है । संगतियां प्राप्त होती हैं उनका उपयोग कहां तक किया गया, इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये । जैसे कोऑपरेटिव के बारे में सेमीनार करते हैं लेकिन उसमें जो प्रस्ताव आते हैं उनका राज्य के विकास में कहां तक उपयोग किया गया ? इसी तरह की हालत शिक्षा सेमीनारों की है । इनकी संगतियों का जो परिणाम है उनके अनुसार परिवर्तन किया जाय तो कुछ हो सकता है । लेकिन केवल सेमीनार करते रहने और उनमें इतना समय लगाने में मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं है और समय अधिक जाता है । सेमीनार के मामले में हमें अधिक सोच-समझ कर चलना पड़ेगा । इतने सेमीनार अब नहीं चल सकते । एक समय था जब हमारे यहां से शिष्टमंडल विदेशों में जाते थे । अंत में भारत सरकार को सोचना पड़ा कि ये शिष्टमंडल घूम-फिर कर चले आते हैं, इनसे जितना लाभ होना चाहिये उतना नहीं होता । इसी तरह से मेरी धारणा है कि हिन्दुस्तान में इस मिकदार में सेमीनार होने की भी आवश्यकता नहीं है । कुछ महत्वपूर्ण विषयों में आवश्यक हो सकते हैं, इसलिये मैं कहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में जितने सेमीनार होते हैं उनमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा ।

हमारी शिक्षा प्रणाली केन्द्रीय शिक्षा नीति से बंधी हुई है । मैं यह मानता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा नीति सुधारवाद की है लेकिन क्रान्तिकारी नहीं है । हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा । हमारे पहले के प्रयत्न असफल हुए हैं । हमने जनता कॉलेज शुरू किया, अब माना जाता है कि इसमें हम असफल रहे । हमने सात साल का आन्दोलन चलाया उसके बारे में भी अब हम मानते हैं कि वह ठीक नहीं रहा । रूरल इन्सेन्टिव के बारे में कहा लेकिन वह भी ठीक नहीं रहा । कॉम्युनिटी सेन्टर्स कायम किये लेकिन कहा जाता है कि वे भी बेकार रहे । कमेटीज़ पर कमेटीज़ बनती हैं और चली जाती हैं । शिक्षा के लिये निष्पक्ष दृष्टि से गहराई से विचार कर निश्चय लेने की क्षमता नहीं है । शिक्षा विभाग में काबिल लोग हैं, लेकिन उनमें नये तरीके से चलने और शिक्षा का विस्तार करने की क्षमता नहीं है । हमने निरंतर विकास किया है, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से हम विकसित हो रहे हैं । उसी तरह से हम शिक्षा प्रणाली को भी आदर्श तरीके से विकसित करना चाहते हैं । लेकिन उसको कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है, इसलिये मेरी सूचना है कि आदर्श विकास करने की योजना रखनी चाहिये । ठीक है हमने कुछ प्रयत्न किया

Page No.83

(श्री जनार्दनराय नागर)

लेकिन हमारा केन्द्रीय लक्ष्य विस्तार का रहता है । मेरी यह सूचना है कि शिक्षा के विस्तार से संतोष मानकर यह नहीं सोचना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण की ओर कम ध्यान जाता है और विस्तार की ओर अधिक । लेकिन हमारे सामने खाली विस्तार का ही सवाल नहीं है। हमको इस बात का भी खयाल रखना है कि हम हमारी शिक्षा प्रणाली में निरंतर परिवर्तन करते चलें । परिवर्तन किया है, लेकिन ५ इम्तिहानों को और लाद दिया। हर महीने परीक्षा लेते हैं, छः माही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा अलग लेते हैं । एज्युकेशन कोड में इस बात को और लागू कर दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वार्षिक एग्ज़ामिनेशन भी वैज्ञानिक है ? आपका एक भी एग्ज़ामिनेशन वैज्ञानिक नहीं है पर उधर आपने ५ लाद दिये । हम चाहते हैं कि इवोल्युएशन की स्थिति हो, मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच । तीन साल का डिग्री कोर्स विश्वविद्यालय ने ऐसा लागू कर दिया जो गलत है और मैं इसको नैतिक बात नहीं मानता । दो साल के डिग्री कोर्स के साथ-साथ सप्लीमेन्टरी एग्ज़ामिनेशन भी चालू किया था लेकिन तीन साल डिग्री कोर्स को पब्लिक एग्ज़ामिनेशन हर साल में माना है और उसके लिये सप्लीमेंटरी की व्यवस्था नहीं की गई है । ऐसा मालूम होता है कि एग्ज़ामिनेशन्स से कमाई करने का साधन बनाया गया है, भले ही यह सागर विश्वविद्यालय के स्तर पर हो या दूसरे स्तर पर हो लेकिन विश्वविद्यालय ने तीन साल के डिग्री कोर्स में हर वर्ष को पब्लिक एग्ज़ामिनेशन रखा है और सप्लीमेंटरी का प्रावधान नहीं रखा और परीक्षा में हजारों विद्यार्थियों को फेल किया जाता है, यह उचित नहीं है । आप मैट्रिक और इन्टर में सप्लीमेन्टरी की व्यवस्था करते हैं तो फिर आपके पास क्या लोजिक और सिद्धान्त हैं जिसके कारण ३ साल के डिग्री कोर्स में सप्लीमेंन्टरी परीक्षा की व्यवस्था नहीं करना चाहते । यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि ३ साल डिग्री कोर्स में हर वर्ष पब्लिक इम्तिहान होंगे । इसका मकसद मैं समझता यही हो सकता है कि पैसे की प्राप्ति करना, क्योंकि हायर सैकन्डरी और इन्टर बोर्ड होने से विश्वविद्यालय को लोस होता है, इस घाटे को पूरा करने के लिये यह तरीका निकाला तो शिक्षा की परंपरा के नियमों को फोलो नहीं किया जा रहा है।

ऐसा कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में बड़ा परिवर्तन करेंगे । मैं मानता हूं यह छोटी मोटी अव्यवहारिकता है, जो आज के युग में फिटइन नहीं होती है, इस युग के मनुष्य की प्रगति के अनुकूल नहीं है। उसका सुधार करने की बात आ नहीं रही । जो विस्तार का युग शुरू किया है, वह देखने में, महसूस करने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी अन्दर से पकड़ अच्छी नहीं हो पा रही है । इसका परिणाम यह होगा कि राज्य में जनतंत्रात्मक योग्यताओं, क्षमताओं के विकसित होने में देर लगेगी । मैं चाहता हूं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले पहले शिक्षा के अन्दर से इस परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये, मैं मानता हूँ कि यह एक रोग है, जिसे शिक्षा प्रणाली से निकाल देना चाहिए । जो अध्यापक टेक्स्ट बुक लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वह

(श्री जनार्दनराय नागर)

विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाता है, वह टैक्स्ट बुक का पटन करता है, वह एग्ज़ामिनेशन के पत्रों के उत्तर देता है। यह सड़ी, गली, पुरानी मनोविज्ञान हीन, मानव जीवन के संघर्ष से दूर शिक्षा प्रणाली है। अगर हमारे राजस्थान में शक्ति है, तो इस शिक्षा प्रणाली को खत्म करें। हमसे कहा जाता है जब केन्द्र मे होगा, तब हम करेंगे। केन्द्र में एक कमेटी बैठा रखी है, बहुत से शिक्षा शास्त्रियों को लेकर एक कमेटी बैठा दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम शासन प्रणाली के व्यय में कमी करें तब संघर्ष आता है, शिक्षा व्यय में कमी करे तब संघर्ष आता है। हम परेशान हैं, हम चिन्तित हैं, मुझे कभी कभी मालूम होता है, उपाध्यक्ष महोदय, भारत के आजाद होने के बाद भारत के जनजीवन की मुक्ति के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप समाज शिक्षण के बारे में देखिये। हम शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं विस्तार के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद है कि आपने ५०० की जन संख्या पर स्कूल खोल दिये हैं। आपने मंदिर खड़े कर दिये हैं, लेकिन उनमें मूर्ति कहां है, दीपक कहां है। आपकी ढिलमिल सुधारवादी मनोवृत्ति और कमज़ोर टांग-हाथ से शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार नहीं होने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं समझता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि समय नहीं है और बहुत से विषय है....

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन के समय आ सकेंगे। मेरा ख्याल है, समाप्त कर रहे हैं।

(विराम)

श्री जनार्दनराय नागर : दो-तीन विषय और रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दे सकूंगा।

श्री जनार्दनराय नागर : समय की पाबन्दी....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निश्चय है, मैं समय की पाबन्दी करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आप सहयोग देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : दो-एक बातें कह कर मैं बैठना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री जनार्दनराय नागर : हमको कहा गया है कि जो ऋण लिया गया है, हमारी परिसम्पत्तियां उससे बढ़ी हैं और ऋण की अदायगी की सम्भावनायें हैं और हमारी परिसम्पत्तियां ऋण की राशि से कहीं ज्यादा है। राजस्थान सरकार ने अब तक ६ करोड़ रुपये का ऋण लिया है, इस वर्ष, जैसा सूचित किया गया है, पांच करोड़ रुपये का ऋण हमारी राजस्थान सरकार और ले रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि परिसम्पत्तियां किस परिमाण में बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ऋण एक है, तो परिसम्पत्तियां दो से बढ़ी, अगर ऋण दो हैं तो परिसम्पत्ति तीन से बढ़ी हैं, इस प्रकार की इंगिती इस दृष्टि से मिलती तो अच्छा था। मैं मानता हूं यह केवल सम्भावनाओं की बात है। हमें सूचना

(श्री जनार्दनराय नागर)

दी गई है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन इतना जिक्र काफी नहीं है। हमारी परिसम्पत्ति की योग्यता है, वह ऋण की योग्यता से ज्यादा हैं, ऋण–भार से परिसम्पत्ति ज्यादा है, इससे संतोष नहीं होता है। आपने माना है कि इससे घबराने की बात नहीं है। हम घबराते नहीं हैं। हम जानते हैं, विकासोन्मुख राज्य को ऋण लेना पड़ता है, हम ऋण लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस परिसम्पत्ति के लिए आपने जिक्र किया है, वह किस मिकदार में है, किस परिमाण में है। क्योंकि समय अधिक नहीं है, दुर्भाग्य है समय के मामले में, हमारे जैसे असमय के लोग हानि में रहते हैं। इसलिए मैं अब इतना कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट से एक बात स्पष्ट होगी कि राजस्थान में प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी, वे खत्म हो गई हैं, वे बियावान में चलती जा रही है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम बिल्कुल समाप्त करने का साहस क्यों नहीं कर पाते। हमारे उदयपुर के महाराणा को दो लाख रुपया चेरिटी का मिलता। अब पेन्शन शुरू की है और चेरिटी बन्द होने वाली है। मैं मानता हूं कि जो सोल पेरेसाइट्स हैं, उनके जरिये जो आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर जो प्रभाव और दबाव पड़ रहा था, वह कम होता जा रहा है। ऐसे स्थिति में समाजवादी समाज के लिए वातावरण उत्पन्न कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इससे एक समृद्ध राज्य की आशा बंधी है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में प्रतिक्रियावादी शक्तियों को निश्चित रूप से हटा दिया गया है और राज्य सरकार ने राजस्थान की जनता को एक प्रशस्त राज मार्ग पर लाकर रख दिया है, जिससे वह भविष्य की ओर देख सके....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि आप समाप्त कर चुके हैं।

श्री जनर्दनराय नागर : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समाप्त किया हुआ मानता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आखिरी वाक्य है।

श्री जनर्दनराय नागर : मैं कह रहा था कि प्रान्त के बजट में समाजवादी समाज का प्रतिबिम्ब होना चाहिए, वहां हमें समृद्ध राज्य का प्रतिबिम्ब मिलता है, उससे पता लगता है कि पंचवर्षीय योजना हमारी अच्छी तरह सफल हो सकती है, ९० प्रतिशत सफल हो सकती है। यह इंगित मिला, इसके लिए, मैं एक बार फिर वित्त मन्त्री जी को व· वित्त विभाग के जो लोग हैं, जिनकी उदार दृष्टि से यह दिन राजस्थान में आ सका, मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ साथ....

श्री उपाध्यक्ष : अपका वाक्य बड़ा लम्बा हो रहा है....

श्री मुरली धर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सन्

(श्री मुरलीधर व्यास)

१९६०-६१ का बजट प्रस्तुत किया है, उसको, जहां तक मैं समझता हूँ, बड़ी चतुराई के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने इतनी चतुरता के साथ प्रस्तुत किया है कि इस बजट का आम लोगों पर तो क्या, पत्रों पर भी ऐसा प्रभाव हुआ कि पत्रकारों ने भी उस बजट में....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas: Can I appeal to you not to refer the publicity aspect.

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं, उसको नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : That is not our question.

श्री मुरलीधर व्यास : उसको कतई नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या पत्रों में लिखा, क्या नहीं लिखा, that is not the point for discussion.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि यह दृष्टिकोण यह है कि किसी पत्र ने उसको लिखा घाटे का बजट, किसी ने लिखा मुनाफे का बजट। इतनी बड़ी चतुराई से आपने बजट रखा कि कुछ पत्रों ने उसको घाटे का लिख दिया है कि इतने लाख का घाटा है और किसी ने लिख दिया कि १५ लाख का मुनाफा है। ऐसा पोइन्ट मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने उल्लेख किया, और दूसरी और किसी बात से कोई मतलब नहीं है।

ठीक है, इस चतुराई के लिए जरूर धन्यवाद के पात्र वे हैं। इस बजट को अलग अलग ढंग से लोगों ने समझा है और अपने अपने ढंग से...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपके ढंग को भी देखना चाहते हैं, आपने किस तरह से समझा है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह ढंग यहां पर भी है, माननीय सदस्यों ने अपने अपने ढंग से इसको समझा है। मैं समझता हूं कि जहां तक बजट का सवाल है, मैं मानता हूँ कि वाकई वित्त मन्त्री जी ने काफी चतुराई के साथ रखा है और उसके साथ साथ वित्त मन्त्रीजी ने कुछ और उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लिये, वह उत्तरदायित्व यह लिया कि भाई, जन कल्याण के दृष्टिकोण से हम कहां तक आगे बढ़े, उसके बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा की। मैं थोड़ा उससे सहमत नहीं हूं। अगर कोई प्रशंसात्मक बात उसमें है, उस प्रकार की, तो उससे सहमत जरूर हूं परन्तु वह एक प्रकार से आत्म श्लाघा सी है, ऐसा मालूम पड़ा है। आखिर बजट होता है जन कल्याण के लिए और जिसको हम वैलफेयर स्टेट कहते हैं, बजट को हमेशा वैलफेयर स्टेट के दृष्टिकोण से तोलेंगे। वह वैलफेयर कहां तक कर पाया है, इसे उस तराजू पर तोलेंगे। उसके साथ साथ उस तराजू में वाकई जो कुछ भी आज तक हुआ और जो आगे करने जा रहे हैं, उस दृष्टि से हम देखते हैं कि हम उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाये हैं क्योंकि यह बजट जो है यह पंचवर्षीय योजना के अन्तिम साल का बजट है। इस साल के बाद में दूसरी पंचवर्षीय

(श्री मुरलीधर व्यास)

योजना समाप्त हो जायगी। जब पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तो पहली साल से लेकर इस योजना तक जो खर्चा हुआ और जिस मूल उद्देश्य से लेकर खर्च किया, जो योजना का लक्ष्य था, वह उस तराजू पर तोलेंगे और उनके बाद हम निर्णय करेंगे।

मैं यह समझता हूं कि इस तराजू पर तोलते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चाहे हम अपने आपकी तारीफ बहुत करें, मैं उन बजट भाषणों को जो मुख्य मन्त्रीजी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में किये, जिसमें कहा था कि हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है, मैं उस भाषण को रखूंगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उस भाषण के आधार पर तोलें और उसी आधार पर तोलना चाहता हूं, ताकि हमें वाकई मालूम हो सके कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जो हमारा इस योजना का अन्तिम लक्ष्य था उसमें हम कहां तक कामयाब हुए हैं। दो लक्ष्य थे। एक तो यह कि हम उद्योगों के मामले में बहुत ज्यादा विकास करेंगे और बेकारी की समस्या को हल करेंगे और हिन्दुस्तान की जो योजना थी उसके अन्दर भी वही स्थिति थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ८० लाख बेकारों को काम देना चाहते थे, पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें २ करोड़ ८० लाख बेकारों को काम देना पड़ेगा। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो हमारा लक्ष्य था उसमें हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इस पर भी आप यह कहते हैं कि हमने कामयाबी हासिल की है, तो मैं तो कहूंगा कि इस मामले में हम बिलकुल नाकामयाब हुए हैं।

दूसरा हमारा लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता का था। राजस्थान सरकार कह सकती है कि हम आत्म निर्भर हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक हमारा अनाज का उत्पादन १२ लाख टन अधिक हो जायगा, सरप्लस हो जायगा, हम दूसरी जगह दे सकेंगे। यह बात इसमें कही है। मैं मानता हूं कि इस मामले में आपने उन्नति की है। इस उन्नति को भी वैलफेअर स्टेट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो देखना पड़ेगा कि लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कहां तक कामयाबी प्राप्त की है। आपने कहा कि लोगों की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति कर दी है। क्वार्टरली स्टेटिस्टिक्स की यह पुस्तिका है, इसमें राजस्थान के आंकड़े दिये हुए हैं, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६ के सब आंकड़े हैं, इनको ५५-५६ तक बराबर देखते आते हैं, तो गेहूं का भाव १२ और १५ के बीच में आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोनों मूल उद्देश्य जो हमारे थे उनमें हम कहां तक आगे बढ़ते हैं और अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ अनाज के भावों में हम कहां तक कमी कर सकते हैं जिससे कि हर आदमी को जिंदगी में स्थायित्व दिया जाय। इसमें क्वार्टरली हर महीने के आंकड़े दिये हुए हैं। ५१-५२ में १७ रु० १८ रु०, मन गेहूं का भाव रहा है, पर ५३, ५४-५५, ५६ के आंकड़े देखते हैं तो १२ और १५ के बीच में गेहूं का भाव रहता है। ५६ के बाद देखते हैं तो जहां भावों में कमी होनी चाहिये थी

(श्री मुरलीधर व्यास)

वहां उल्टे आंकड़े बढ़ते हैं । और अब जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा, अनाज की परिस्थिति पर भी विचार प्रकट किया कि इस मामले में हमने बहुत कुछ कामयाबी हासिल की है और भावों को पर्याप्त स्थायित्व दिया है, बढ़ने से रोका है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक वित्त मन्त्रीजी के लफ्ज हैं उन लफ्जों को जानना चाहता हूं, आपने बहुत कामयाबी हासिल की है, तो आखिर आप कोई सीमा भावों में रखना चाहते हैं कि नहीं ? कोई सीमा ही नहीं है तो सफेद गेहूं का भाव जयपुर में २२ है, गंगानगर में २० है, जब कि ५६ में १५ का मिलता था, तो आप कह सकते हैं कि हमने कामयाबी हासिल की है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार नहीं १०० बार कहेंगे, कोई भी सरकार अपने बजट को संतुलित तभी कह सकती है जो इस मामले में स्थायित्व ला सके । जो सरकार इस मामले को स्थायित्व नहीं दे सकती, भावों में स्थायित्व नहीं ला सकती वह समाजवादी सरकार नहीं कही जा सकती । आज रुपये की कीमत बहुत बढ़ गई है, आप कहेंगे कि जिसको हम २५ रुपया देते थे उसको ४० कर दिये हैं, तो मैं कहूंगा कि इन्डेक्स नम्बर कितना बढ़ गया है । आप कहते हैं कि लोगों की हालत अच्छी हो गई है, आप लोगों की हालत अच्छी करने का प्रमाण पेश करना चाहते हैं तो आपको दो बातें पेश करनी पड़ेंगी, एक तो यह कि अनाज के भावों को इस सीमा तक रोका और उसी हालत में जिसे २५ रुपये मिलते थे, उसके ४० कर दिये ।

तो यह कामयाबी का ढोल द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में पीटा जा रहा है, तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं हुई है और जो हमारा मूल लक्ष्य था, उसमें हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है ।

यह ठीक है कि बजट आपने चतुराई से पेश किया है, यह संतुलित है, यह मैं मानता हूं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो हमारा मूल लक्ष्य था उसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं । बजट के बारे में यहां तक कह दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तीन करोड़ ५ लाख का लोन निकाला था, बड़ी जल्दी लोगों ने ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, इस लोन के बारे में लिखा है : "During the current year a public loan of Rs. 350 lakhs was floated. It was subscribed within an hour of its opening." फाइनेन्शियल पोज़िशन के बारे में भी कह दिया कि तीन करोड़ ५ लाख का लोन निकाला तो वह डेढ़ घंटे में ही पूरा हो गया । कोई भी निकाले बैंक वाले तैयार हैं इस पर आप कहें कि जनता कितना चाहती है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता ने लिया, किसी व्यापारी ने लिया, बैंक तो ले लेते हैं क्योंकि ब्याज मिलता है, इस बात को लेकर जनता के बारे में कहा जाय कि जनता का हमारी सरकार में कितना विश्वास है, हमारी फाइनेन्शियल पोज़िशन कितनी अच्छी है, तो यह कोई युक्तिसंगत बात नहीं । जिस समय राजस्थान बना उस समय आपके पास १८ करोड़ रुपया था, आज १० साल बाद आप उसमें और कितना जोड़ पाये हैं, आज १० साल बाद आपकी फाइनेन्शियल पोज़िशन क्या है ? अच्छी

Page No.89

(श्री मुरलीधर व्यास)

आर्थिक स्थिति का मापदण्ड यह है । आज आपने १ अरब ४० करोड़ रुपये का तो केन्द्रीय सरकार का कर्जा कर लिया है । आपने स्थिति बताई कि इस तारीख को १४ करोड़ रुपया सरकारी पूंजी है, पर साथ ही साथ ११ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कर लिया तो ३ करोड़ ही आपके पास रहे । इसके अलावा दूसरी कर्जदारी अलग । फिर आपने ओवर ड्राफ्ट ले लिया । इसके अतिरिक्त आपने ओवर ड्राफ्ट ले लिया है । आपकी आर्थिक स्थिति यह है । खैर, चलो, मैं यह मानता हूं कि बाहर से रुपया-पैसा लेते हैं । आखिर यह सब कुछ भी है और इतना खर्चा करने के बाद भी हमारा मूल उद्देश्य है उसमें कुछ कामयाबी प्राप्त करते तो अलग बात होती, अगर अपने उद्देश्य के लिये थोड़े समय के लिये पहुंच जाते तो यह मान लेते कि यह अरबों रुपया उधार लिया है वह काम में आया । इतना रुपया लगाते हैं, टैक्स बढ़ाते बढ़ाते १६ करोड़ से लेकर ४५ करोड़ तक आपने कर दिया है । अगर आपने यह बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है या हासिल की है तो मैं समझता हूं कि यह कोई सफलता प्राप्त नहीं की है, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं जहां तक समझता हूं ठीक नहीं है और इससे जो परिणाम निकलने वाले है वे भी ठीक नहीं हें ।

तीसरी बात यह है कि उसके अन्तर्गत कई बातें रखी गई हैं । मेरा जो यह दिमाग बना है वह १०-५ वर्षों के बजट को देखने से बना है । इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी किये थे और उसके जबाब भी मिले । बजट जिस चीज को हम कहते हैं समाज कल्याणकारी बजट, वह, बजट होता है जिसमें किसी प्रकार का किसी के साथ पक्षपात न हो । वह किसी एक व्यक्ति के हित के लिये नहीं बल्कि समाज के हित के लिये होता है और जिस बजट में यह दृष्टिकोण होता है उसको अच्छा बजट समझते हैं । अब हिसाब लगाकर देखते हैं तो हमें यह बात इसमें मालूम नहीं होती है । मैंने गत तीन साल के आंकड़े इकट्ठे किये हैं और इनको देखने के बाद मेरा यह दिमाग बन गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी खर्चा रखा गया उसमें क्षेत्रीय भावना प्रबल रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जो योजना मंत्री भी हैं उनका दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि पिछड़े हुए इलाकों के लिये ज्यादा खर्च किया जाए और इस सम्बन्ध में पंडित नेहरू ने भी कहा है कि जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के पिछड़े हुए इलाकों में ज्यादा खर्च किया जाए और विकास के कार्यों में उनको प्राथमिकता दी जावे । लेकिन जब आंकड़ों को देखते हैं तो यह मालूम होता है कि बहुत ज्यादा पक्षपात किया गया है । पहली बात तो वहां पर खर्च करने के लिये खर्च कम रखा । इसके बाद तारीफ की बात यह कि आपने २५ लाख रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा था उसके अन्तर्गत मैंने एक-दो और तीन सालों के आंकड़े देखें तो कहीं ७, कहीं १० और कहीं १२ लाख हो खर्च हुआ । लेकिन जब उदयपुर के आंकड़े देखता हूं तो वहां तो . ।। रुपया खर्च हो जाता है । मैंने यह समझा कि कहीं यह ऑफिसरों की लापरवाही से हुआ होगा, आगे भी देखें तो उदयपुर के तीन सालों के आंकड़े

(श्री मुरलीधर व्यास)

इकट्ठे किये । वहां पर ८३ लाख लिखा है, तो बराबर वहां उस साल में ८० लाख रुपये खर्च हुए ।

("शेम-शेम" की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : It is ground phase of shame....

राजा श्री मानसिंह : We are deprived of our due shares.

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह देखिये कि १९५६-५७ में इसके अन्तर्गत बीकानेर में जो खर्चा रखा गया वह ४ लाख रुपया का रखा गया था । इसमें देखने से यह मालूम होता है कि आपने ४.०५ दिया है । आपने ४ लाख रुपये वहां के लिये रखे हैं और वहां की आबादी है ५ लाख की । तो पर-कैपिटा एक रुपया ही तो हुआ । अब उदयपुर में आवें । आपने जो रकम रखी है वह है ८० लाख, वहां पर १० लाख की आबादी है तो एक आदमी के पीछे आपने क्या रखा खर्च करने के लिये, १०) रु० । बीकानेर में आप पर-कैपिटा १) रू० रखते हैं तो उदयपुर में पर-कैपिटा १०)रु० । मैंने सोचा कि कहीं एक साल में गलती से रह गया हो तो मैंने आगे के दूसरे सालों के आंकड़े भी देखे । ५७-५८ के देखे । इसी प्रकार बीकानेर में १५ लाख हैं तो उदयपुर में ६५ लाख हैं । आंकड़े बीकानेर के लिये बढ़े हैं तो उधर उदयपुर के लिये भी बढ़े हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह आंकड़े कहां से प्राप्त किये हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ये सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में हैं । उदयपुर के लिये हैं ६५.२३........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आबादी भी तो वहां पर ज्यादा है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने आबादी के हिसाब से पर-कैपिटा का हिसाब लगाया है, कहीं २५ रुपये तो कहीं १२ रुपये एक साल के होते हैं । एक साल में ही नहीं, दूसरे साल में नहीं, तीसरे साल को ले लें । बीकानेर में २२ लाख रखा है तो उदयपुर में ८०.८० लाख रखा है ।

श्री चन्दनमल वैद : हर जिले का है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं भी तो जिले की बात ही कहता हूं । वह भी जिला और यह भी जिला है । वहां उदयपुर में तो पड़ा २५ रु० पर कैपिटा और बीकानेर में पड़ा एवरेज ५ रुपये पर कैपिटा । यह इतना फर्क क्यों ? मैंने यह सोचा कि मैं बीकानेर का रहने वाला हूं इसलिये बीकानेर की बात कहता हूं । इसलिये मैंने दूसरे जिलों को भी देखा । उदयपुर में बांसवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ है । भीलों का इलाका है वहां तो उनके साथ मुख्य मंत्रीजी ने उदारता बरती होगी, मगर वहां पर भी वही हाल देखता हूं । वहां पर जो खर्च के लिये राशि रखी थी उसकी आधी से कम खर्च हुई । खैर, इसको छोड़िये । नहरी इलाकों की तरफ ध्यान दें तो भरतपुर में सन् ५९ में रखा गया था करीब ५८ लाख । मैंने सोचा कि खर्चा भी हुआ ही है इसलिये इसको देखना चाहिये.

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि खर्चा कितना हुआ है ? मगर जब खर्चे को देखा तो मालूम हुआ कि वह खर्चा हुआ है २६ लाख। उदयपुर में जितना रुपया रखा जाता है कार्यों के लिये उतना खर्च हो जाता है, मगर दूसरी जगह देखा कि कहीं आधा और कहीं आधा से कुछ ही ज्यादा खर्च होता है।

श्री चन्दनमल वैद : ये आंकड़े कहां से लाये हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये हुए हैं। इसके अलावा मैंने मंत्री महोदय से उस दिन मांगा था, उसके अंतर्गत यह आंकड़े दिये गये थे।

श्री चन्दनमल वैद : आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं मांगता।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे मंत्री हैं उनकी तरफ से काम चलते होंगे। उन्होंने भी अपने इलाकों में जो काम कराये हैं उनको देखा। मैंने जोधपुर में देखा। जोधपुर के लिये रुपये रखा है, वह ६५ या ७० लाख है।

एक माननीय सदस्य : वहां पर सड़कें बहुत बनाई गई हैं और रुपया खर्च हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह खर्च किया गया होगा तो नागौर जिले में हुआ होगा।

६५ लाख रुपया रखा गया। उसमें से ३६ लाख रुपया खर्च हुआ। आखिर यह क्या बात है ? मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की जो मशीनरी है वह इस प्रकार की है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर या चीफ सेक्रेट्री हैं उनमें एक क्षेत्र के होकर क्षेत्रीय भावना नहीं होनी चाहिये और समान दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों के साथ होना चाहिये। मगर होता यह है, जो मैंने आपको यहां बताया है। इस प्रकार के आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं। मैं अपने आपको इस सम्बन्ध में बहुत ऊंचा सोचना चाहता था। मैं कतई नहीं सोचता कि इस प्रकार नीचे सोचूं....

श्री उपाध्यक्ष : क्या महिला सदस्या का समावेश मंत्री मंडल में हो चुका है ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अतिरिक्त यह दृष्टिकोण होता है तो बड़ा दुःख होता है और जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि सारे ऑफिसर्स उदयपुर के भर्ती किये जाते हैं और जब ऐसी बातें नज़र आती है और आंकड़े नजर आते हैं तो कुछ सोचना पड़ता है। मैं इस दृष्टिकोण से नाराज हूं कि जिम्मेदार आदमी इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं और कहा यह जाता है कि कलेक्टर ने ऐसा कर दिया है, इसलिये अड़चन विकास कार्य में पड़ गई है। जयपुर के माननीय मंत्री इसके लिये जागरूक हैं, उन्होंने जो रुपया खर्च के लिये रखा है उससे ५ या १० लाख ज्यादा ही खर्च करा दिया है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : खर्चा ही तो हुआ है, वह किसी भी जगह हो !

श्री चन्दनमल वैद : चाहे पेट के विकास के लिये हो ।

श्री हरिप्रसाद यादव : यह तो माननीय चन्दनमलजी के बंगले से कुछ....

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a Point of Order, Sir, "माननीय चन्दनमलजी के बंगले से कुछ" क ह कर माननीय सदस्य रह गये....

श्री उपाध्यक्ष : He could not complete the sentence.

श्री हरिप्रसाद यादव : उप-मंत्री रह चुके हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order Sir,

श्री हरिप्रसाद यादव : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जब एक माननीय सदस्य खड़े हों तो सम्मान और परम्पराओं को ध्यान में रखना चाहिये । एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य ने उठाया । आप बीच में हीं बोलने लगते है । इस बात को मैं ठीक नज़र से नहीं देखता हूं ।

(४ म. प.)

माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वाक्य समाप्त नहीं हुआ था, वे क्या कहना चाहते थे, इसलिए आपका यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े इलाके हैं उनका खयाल रखना चाहिये । जैसलमेर जैसे इलाकों को देखिये इसमें भी ऐसी ही हालत रही है, और दूसरे इलाकों की जैसी हालत रही है । मुख्य मंत्री महोदय के लिए राजस्थान की प्रजा सब एक सी है और मैं मान जाऊं कि उनका दृष्टिकोण अच्छा भी हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जिस जिले में योजना काल में काम हुआ है वह क्यों नहीं पूरा हुआ है, कौन उस समय अधिकारी थे ? यदि अधिकारी की लापरवाही के कारण हुआ है तो आप उस पर एक्शन लीजिए, इस विषय में आप उनको जागरूक रखिये और आपके भी जागरूक होने की आवश्यकता है । जिससे कि सबको समान न्याय मिल सके ।

इस सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आखिर यह बजट है, साधारण आदमी यह खयाल करता है कि हमारा लक्ष्य क्या था और हम कहां तक उसमें पहुंचे हैं, साधारण आदमी यह सोचता है कि मेरी हालत कहां तक ठीक कर पाये हैं । समाजवादी समाज के राज्य में एक निर्णय लेना पड़ेगा और वह यह लेना पड़ेगा कि कम से कम और अधिक से अधिक वेतन स्तर निर्धारित कर दी जाय । यदि यह कायम नहीं होता है स्तर, तो समाजवादी राज्य नहीं कह सकते । बजट में ही देखिये, एक चपरासी है, एक फ़रांश, एक चौकीदार; उसकी २५.

(श्री मुरलीधर व्यास)

१. ४० की ग्रेड है और २५) वेतन। और दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी हैं उसको २५००) वेतन मिलता है। इतना बड़ा भारी अन्तर एक छोटे और बड़े कर्मचारी में नज़र आता है। एक और सौ का अन्तर है। तो क्या एक और सौ का अन्तर रखते हुए आप समाजवादी समाज की ओर जा रहे हैं? नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको इस अन्तर को पाटना पड़ेगा। किसी भी समाजवादी स्टेट को देख लीजिये, कहीं १ और ५ का अन्तर है, कहीं १ और ४ का अन्तर है, कहीं १ और ६ का अन्तर है। युरोपीयन कन्ट्रीज़ को भी देख लीजिये, वहां पर भी इस प्रकार से अनुपात में अन्तर नहीं है। आज आप-हम समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं, इसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है और उसका फैसला करना पड़ेगा कि कम से कम राजस्थान में आज जो १ और १०० का अनुपात है, इसमें कठिनाई क्या है, आप ५० कर लीजिये। पचास और हजार कर लीजिये। कम से कम एक अनुपात तो रखना ही होगा और रहना भी चाहिये। जब तक नहीं कर पाते, ऊपर वालों का वेतन बढ़ाने का सवाल नहीं आना चाहिये और नीचे वालों का वेतन बढ़ाने का प्रयास होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह परिवर्तन नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के प्रति आपका समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है।

दो-चार बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा समय बीच में वैसे ही दूसरे विवाद में चला गया।

अब सवाल यह हमारे सामने आता है कि किस प्रकार खर्चा निकले?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : हमने विकेन्द्रीकरण किया तो उसके बाद हम यह सोचते थे कि विकेन्द्रीकरण इसलिए किया कि आप लोगों में योजना के प्रति प्रेरणा पैदा होगी, काम को पूरा कर सकेंगे। प्रेरणा लोगों में पैदा होगी तो मान लीजिये कि २८ करोड़ का बजट है और यदि लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा तो ३० करोड़ का बजट हो जाना चाहिये था। सहयोग होगा तो पैसे के रूप में भी हम बढ़ेंगे। विकेन्द्रीकरण किया है और लोगों पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, प्रेरणा पैदा करके जिम्मेदारी से काम करने के लिए आह्वान करते हैं तो आपको प्रशासन और दूसरे खर्चों में कमी करनी पड़ेगी। विकेन्द्रीकरण को अगर इस आधार पर नहीं तोलेंगे तो मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण के मामले में भी हम कामयाब नहीं होंगे।

टैक्स के सम्बन्ध की बात कहना चाहता हूं। आपने व्यवस्था में सरलीकरण किया है ८ से ५ किये हैं। अब व्यापारी को पांच ही खाते रखने पड़ेंगे संख्या कम करने से व्यवस्था में सरलीकरण जरूर हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों पर जैसे कम था तो अब ज्यादा लग जायगा। जैसे जीरा है, दो पर्सेन्ट लगता था अब चार लग जावेगा। प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर बढ़ा है, इसलिए इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकताओं का मूल्य न बढ़े, यह दृष्टिकोण होना चाहिये। ३५ लाख की जो इससे आय होगी वह तो जनता से ही आने वाली है।

इसके साथ साथ एक बात और अर्थ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर में हजारों महिलायें पापड़ का काम करती हैं। सेल्स टैक्स माफ करने के लिए बहुत से लोगों ने डेपुटेशन भी लाकर बातें रखीं

श्री चन्दनमल वैद : गजट में निकल चुका है। गजट पढ़ते तो शायद आपको मालूम हो जाता।

श्री मुरलीधर व्यास : गजट में पापड़ पर माफ नहीं हुआ है। आपको मालूम हो तो आप उनकी ओर से घोषित कर दीजिये।

सामुदायिक विकास योजनाओं में खर्चा हो रहा है, गांवों में जो जो डेवलपमेन्ट के काम हो रहे हैं, पंचायत क्षेत्र बना दिये हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह योजना हमेशा के लिए रहेगी, निर्धारित समय में काम करना है, यह भी सोचिये कि स्कूल मास्टर के लिए आज कहीं भी गांव में रहने का प्रबन्ध नहीं हो सकता है, गांव में शिक्षक होकर जाते हैं उनके लिए कोई रहने का प्रबन्ध नहीं होता, जब विकास की योजनायें स्थायी रूप से रहने वाली हैं तो स्कूलों को भी इसके अन्दर में ले लिया जाय, वहां शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स भी बनाये जांय और शिक्षकों के वेतन दरों को बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा खयाल है कि आप सब कुछ कह चुके हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में, लच्छूरामजी और नागर साहब ने बहुत काफी कह दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स की योजना-काल में ही गांवों में व्यवस्था हो।

चिकित्सा के सम्बन्ध में यह है कि बीकानेर में एक वेटेरनरी कॉलेज है। वहां से जो चिकित्सक बन कर निकले हैं उनको गांवों में भेजते हैं तो उनके रहने का भी प्रबन्ध नहीं होता है। वे भी आगे गांवों में स्थायी रूप से रहने वाले होंगे। इसलिए उनके लिए भी रहने का प्रबन्ध होना चाहिए। चलते-फिरते पशु-चिकित्सालय की जो योजना रखी गई है वह अच्छी है और यह जल्दी प्रारम्भ होनी चाहिए।

अब मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बसेज़ का राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया है उसको मैंने भी अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें १२ करोड़ रुपये लगेंगे और करीब १ करोड़ रुपये का लाभ होगा इस योजना के अन्तर्गत। एक करोड़ का जो लाभ बताया गया है हमें यह सोचना चाहिए कि पहले इससे कितना लाभ होता था? मैं चाहता हूं कि इसका हमें समाजीकरण करना चाहिये, वह भी इस तरह से कि इसके जो मालिक हैं, कन्डक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, उन सब की एक सहकारी समिति बनाकर जिस जिस एरिया में वे चाहते हैं उस एरिया में उनको बसें चलाने

(श्री मुरलीधर व्यास)

की आज्ञा दे दी जाय । इस तरह से समाजीकरण करते हुए हम इसमें प्रोगेस करते हैं तो इसमें दुरुपयोग भी कम होगा और जो योजना के अन्दर हम काफी खर्च कर रहे हैं उससे भी बचत होगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रोपोज़ल्स का स्वागत करता हूं, in spite of its pitfalls and snags. स्नेग्ज़ इस तरह से कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने ७४ लाख का जो गेप था, between the Receipt and the expenditure, उसको कवर-अप करने की जो कोशिश की है उसमें उन्होंने unorthodox methods, मैं बताना चाहता हूं, बजट में गेप होता है वह एडीशनल टैक्सेशन के जरिये कवर किया जाता है लेकिन वित्त मन्त्री महोदय ने एडीशनल टैक्सेशन का सिर्फ, ६५ लाख का प्रोविजन रखा है और जो बाकी का है उसमें इकोनोमी करके पूरा करने की कोशिश की है वह है २५ लाख रुपये की। लेकिन जो इकोनोमी द्वारा कवर किया जाता है उसको कवर-अप नहीं माना जाता इनका difference between 65 lakhs and 74 lakhs, इसमें भी ६ लाख का उनके एस्टीमेट के माफिक डेफीसिट रहता है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन के रूप में रकम दी जाती है। उनको जो अन-इन्टरेस्ट बोन्डस दिये जाते हैं उसके लिये १ करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के रूप में सिंकिंग फंड के रूप में रखा जाता है, जो इस दफा इन्क्लूड नहीं किया गया है। इस दफा कह दिया। डेवलपमेंट में हम एक्सपेन्डीचर कर रहे हैं, इसलिये इसको इन्क्लूड नहीं किया जाता। पिछले साल के बजट में कहा गया था इस बारे में :

"The Finnace Commission did not provide for drawals from Revenue towards capital cost of abolition of zamindari. They, however, observed that the scheme of financing should provide for the capital cost being written back to revenue over a limited period. From the current year onwards we have adopted the practice prevalent in U. P."

इस तरह से उस समय कहा गया था कि हर साल १ करोड़ रुपया हम सिंकिंग फन्ड के रूप में रखेंगे क्योंकि फाइनेन्स कमीशन ने भी इस बात को रिएलाइज़ किया । स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर है उसमें केपिटल एक्सपेन्डीचर मीट विथ करने के कारण यानी जागीरदारी एबोलिशन करने के जो रेवेन्यू का रिअलाइजेशन है वह आज हम डायरेक्ट वसूल कर रहे हैं। जागीरदारी रिज़्यूम करने के बाद we should meet that expenditure from capital account. जिस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं उसका maintenance charges you must provide from that income, from that particular head. तो इसलिये रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में सिंकिंग फन्ड के रूप में यह रुपया आना चाहिये था। अदरवाइज़ नतीजा यह होगा we are leaving this liability to our posterity. आप जागीर-

(श्री पी. के. चौधरी)

दारों को हर साल २।। करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन का देते हैं कैपिटल बजट में से, लेकिन उसके लिये आपने सिंकिंग फन्ड नहीं रखा है। इनके आगे जो वित्त मन्त्री बनेंगे उन पर बेसारी ज़िम्मेदारियां आती हैं, we are leaving this liabiliiy to our posterity. यह तो सिर्फ सरप्लस बजट पेश करने की नीयत से ऐसा किया गया है। इसकी लैंग्वेज साफ है:

" 49. There is one other special feature which needs mention. In the Estimates of Expenditure on Revenue Account, a sum of Rs. 100 lakhs which used to be provided for contribution for financing expenditure of compensation to Jagirdars is not included. In view of growing commitments as a result of implementation of Plan programmes it is not possible to find any amount out of the revenue budget for meeting capital expenditure. "

बस इतना ही यहां पर नहीं किया। मैं समझता हूं, जो आप इस तरह से १० लाख की इन्कम करना चाहते हैं वह १० लाख रुपये घाटा होता है और एक करोड़ रुपया घाटे में जाता है, इस तरह से यह बजट १.१० लाख के घाटे का है।

दूसरी जो इन्कम की बात बतायी गई है उसमें भी फैलेसी है। इस तरफ भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अन्दर कहा गया है, क्लास फोर्थ सर्वेन्ट और मिनिस्टीरियल स्टाफ में रिडक्शन करके १० पर्सेन्ट और फाइव पर्सेन्ट कट का रखा है, इस तरह से ३४ लाख का सेविंग होता है उसमें से २५ लाख का माना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यह भी डिक्लेअर किया गया, किसी भी स्टाफ का किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं होगा। सब से बड़ी फेलेसी इसमें यह है कि यह मानकर चलना चाहिये कि किसी भी केडर में दो पर्सेन्ट से ज़्यादा का वेस्टेज नहीं होता है। annual vacancies by death and retirement is not more than two percent. राजस्थान की आप एन्टायर सर्विसेज़ को ले लीजिये, क्लास फोर्थ से लेकर क्लास वन तक की इन ऑल केटेगरी सारे प्रपंच किये जांय, वह भी टू पर्सेन्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस तरह से टू पर्सेन्ट वेकेन्सीज होती हैं........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : न्यू वेकेन्सीज़ भी होती हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आप ये बातें जवाब के टाइम कह दें। मैं भी जानता हूं।

आज हम सारे राजस्थान की सैलेरीज़ के ऊपर १६ करोड़ रुपये के करीब खर्च करते हैं जिसका टू पर्सेन्ट करीब ३२ लाख होता है। यह भी उस हालत में होता है जब कि हम सारी एन्टायर, सर्विसेज को फ्रीज़ कर दें It is an impossibility. We will have to create new posts, new departments. आपको डेवलपमेन्ट वर्क्स के लिए न ये रिक्रूटमेंट करने होंगे। आप उनको स्टोप नहीं कर सकते। इस बारे में जो सोल्युशन दिया है वह इम्प्रेक्टिकेबल है। १०पर्सेन्ट की कमी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स में, यह इम्पो-

(श्री पी० के० चौधरी)

सिबल चीज़ है। इससे आप जो २५ लाख रुपये की बचत करना चाहते हैं वह होने वाली नहीं Even if I don't consider these 25 lakhs, there is a deficit of 10 lakhs and if I include that one Crore for which he has not made a mention anywhere. इस तरह से १.१० लाख के घाटे का बजट होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्लास फोर और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के लिए कहा गया कि रिड्यूस किया जावेगा। रिड्यूस नहीं किया जाता है। Not a single man will be discharged from employment. एक्सपेन्सेज़ को रोक देना रिडक्शन नहीं कहला सकता। As for injustice to class IV employees, जो मौजूद हैं उनको नहीं निकाला जावेगा। इसलिए यह जो कहना है कि क्लास फोर के साथ अन्याय हो गया, यह जो माननीय सदस्य कहते हैं वह मिसएप्रीहेन्शन है। Not a single man who is in employment today will be retrenched, मैं यह समझता हूं कि वित्तमन्त्री जी की बजट स्पीच से यह खयाल निकालना गलत है।

अब इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात पर आता हूं। लैंण्ड रेवेन्यू के एक्सेस रियलाइजेशन से १० लाख की आमदनी की बात कही। वे कहते हैं सरचार्ज ओन लैंड रेवेन्यू से वे लेंगे। पर साथ साथ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को एबोलिश करने का भी कह दिया है। मैं समझता हूं दोनों बराबर हो जावेंगे, जितना एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स छोड़ने से जावेगा चार पांच लाख रुपया उतना इस सोर्स से वसूल करेंगे। यह दस लाख भी प्राप्त नहीं होगा, यह मेरी निश्चित राय है इस सम्बन्ध में।

अब उपाध्यक्ष महोदय, जो डेट चार्जेज़ हैं रिपेमेन्ट के इस साल उसमें ३.३० लाख का प्रोविजन रक्खा है नेक्स्ट ईयर में, और करेन्ट ईयर में उनको पांच करोड़ देने पड़े। जब कि १९५९ में ३१ मार्च पर ६९ करोड़ का डेट था सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का और ३१ मार्च, ६० में it has gone to 87 crores. We are going to incur another debt of 26 crores. हमारा इस तरह टोटल डेट, इट विल मीट टू ११५ करोड़। अब जब ६९ करोड़ था तब हमने पांच करोड़ की व्यवस्था की। इस साल आकर नेक्स्ट ईयर में जब हमारा ११५ करोड़ पर पहुंच जाता है तो उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैं समझता हूं कि यह इनएडीक्वेट है। 'झख मारकर' अगले साल भी पांच–छः करोड़ देने होंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): यह झख 'मारकर' शब्द अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री उपाध्यक्ष: वे 'झख' का अर्थ नहीं समझे हैं, इसलिए कह गये हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर): 'झख' को बंगाली मछली कहते हैं। मछली मारकर करना पड़ेगा और मछली सबसे प्रिय है बंगालियों के लिये।

(हंसी)

श्री पी. के. चौधरी : यह डेवलपमेंट इकोनोमी के लिये जरूरी है और जो वित्त मन्त्री ने कहा है कि our economy is moving towards a take off. "टेक आफ" का सवाल यह है कि कैपिटल एक्सपेन्डीचर के फील्ड में वह डिसचार्ज है। पिछले साल हमारा कैपिटल एक्सपेन्डीचर २५ करोड़ एस्टीमेटेड था। इस साल कैपिटल एक्सपेन्डीचर २७ करोड़ का है। यह बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का ही ४५ करोड़ है। मतलब हमारा इस साल का टोटल बजट है ७३ करोड़। पिछले साल ६४ का था। पर पिछले साल का रेश्यो बिटवीन कैपिटल एण्ड रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर १२ पर्सेन्ट था। इस साल it is reduced to 8 percent. एक तरफ ८ पर्सेन्ट तक रिड्यूस कर दिया, दूसरी तरफ कहते हैं, " Our economy is fast moving towards take off." मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। कैपिटल एक्सपेन्डीचर को रिड्यूस करते हैं रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को घटाकर। वित्त मंत्री कहते हैं कि it is fast moving towards a take off economy. मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो इस बजट में फ्रोम दी पॉइन्ट ऑफ व्यू ऑफ बजटिंग एक खामी नज़र आती है।

अब इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूं एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पर। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स एबोलिश करने की घोषणा की थी सदन में, तो माननीय सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट लगा दी थी; पर साथ ही नया एक्सेस रियलाइज़ेशन की बात बड़ी धीरे से वित्त मन्त्री कह गये। माननीय सदस्यों ने उसे सुना नहीं, otherwise they would have run with their clubs to you.

जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स हटा दिया, मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिये कि जिन आर्ग्युमेंट्स पर और जिन रिकमन्डेशन्स पर यह किया है वे गलत हैं। वे चीजें मैं आपके सामने साबित करूंगा। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी का जिक्र किया है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है........

एक माननीय सदस्य : टैक्सेशन नहीं, फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी।

श्री पी. के. चौधरी : फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी कह दीजिये। उसने कहा है कि, पेज १२७ में :—" Nevertheless there seems to be little likelihood of a substantial increase of receipts from this source. For this and other reasons, we have suggested elsewhere that the agriculture income tax should be replaced by a graduated surcharge on land revenue. " यहां उनका ग्राउन्ड क्या था ? एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिये इसे एबोलिश कर दिया जावे। उम्मीद क्यों नहीं, इसके लिये ही पैरा १४ में कहा है:

" Agricultural incomes in the higher brackets are diminishing with the progressive resumption of jagirs, as will be seen from the table given below, and the actual receipts have not come upto even Rs. 5 lakhs per year since the introduction of this tax......"

(श्री पी. के. चौधरी)

सिर्फ इस बेसिस पर यह सिफारिश कर दी। " For these reasons we recommend that in place of agricultural income-tax a surcharge on land revenue may be levied. " उन्होंने सरचार्ज और लैंड रेवेन्यू लेकर यह एबोलिश करने को कहा है । पर साथ साथ यह भी कहा । वहीं पैरा ११ में है । इसका मतलब मैं समझा देता हूं । टैक्सेशन कमेटी ने यह सिफारिश की है, Taxation Enquiry Committee has recommended that a regular system of assessment on land used for non-agriculturel purposes, and not that these varied types of assessment which you have got here..... हमारे राजस्थान में लैंड रेवेन्यू के असेसमेन्ट में काफी डिसपेरिटी है ।

It ranges from Rs. 1.02 in Ganganagar to something like Rs. 12/-in Jaipur. इसलिये कहा है कि स्टेन्डर्डाइज़ आफ असैसमेन्ट जब तक नहीं हो तब तक सरचार्ज नहीं लगाना चाहिये । यह टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी और फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी दोनों की भी सिफारिश है ।

जहां तक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश का सवाल है, Taxation Enquiry Committee is categorical in its recommendations about non-abolition of agricultural income tax.

"In other words, we consider that as a source of revenue for State Governments, land revenue should be frozen within the narrow variations of a standardised level of assessment and all further tax contributions from land, in the form of cesses and surcharges on such revenue should be left for the exclusive use of local bodies." यह तो सर्चार्ज के लिये कहा है कि सरचार्ज लोकल बोडीज़ के लिये रिज़र्व कर दीजिये । एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिये उन्होंने कहा है । पैरा सात, पेज २२१ पर: "We would urge that an Agricultural income tax" यहां उन्होंने यह कहा है कि Agriculture income tax should be levied.

' We would urge that an agricultural income tax on the higher agricultural incomes, because of the greater equity. it brings into the system, if not of the revenue it brings to the exchequer, should be adopted by all the States which have not yet done so" उसने साफ कहा है एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से एक्सचैकर में पांच लाख आता है या ६ लाख आता है, इसलिये नहीं उससे जो ग्रटेर इक्विटी आती है: "Agricultural income tax should be levied because of the greater equity it brings." उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि ऐसा कर दो । आपने फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को फुल्ली फोलो नहीं किया । उन्होंने यह बात तो आपसे कही थी कि आप सरचार्ज मत करिये जब तक कि असेसमेन्ट स्टेन्डर्डेडाइज़ नहीं हो जाये । आपने उनकी यह बात तो सुनी नहीं why, under what conditions ? जब स्टेन्डर्डेडाइज़ असेसमेन्ट हो जायेगा उसके बाद में कर सकते हैं before that" । लेकिन जब इस संबंध में

(श्री पी. के. चौधरी)

सरचार्ज और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का सवाल आया था उसके साथ साथ ही टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश में साफ था कि जो इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स जो है वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट लेती है और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो आता है वह स्टेट गवर्नमेन्ट लेती है। तो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के एबोलीशन करने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने तो यूनीफाइड करने के लिए कहा था कि दोनों को यूनीफाइड करके कलेक्ट करिये, and let the State Government have share out of it. उन्होंने यह सिफारिश इसलिए की है कि आज एक व्यक्ति एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं देता है। उस को मान लीजिए कि दस हजार की इनकम होती है और वह एक पाई भी इनकम टैक्स में नही देता है और एक आदमी जो कि दूसरे तरीकों से पैसा कमाता है और उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है तो इस डिस्पेरिटी को हटाने के लिए यह सिफारिश थी कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगना चाहिए और उसको यूनीफिकेशन लाने के लिए ऐसा करना चाहिए। उनकी सिफारिश यही थी कि आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेन्डमेन्ट करवा कर परमिशन लीजिए कि जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स असेस के लिए है उसको जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए और इजाजत लीजिए। अभी सेन्टर में बजट पेश हुआ है, उसमें ३० करोड़ का टैक्स और लगाने का किया है, थर्ड फाइव ईयर प्लान की वजह से। यह फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने कहा है कि अगर जागीरदार नहीं रहे तो आप टैक्स ज्यादा रियलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हायर टैक्स पे करने वाले नहीं रहेंगे। तो क्या राजस्थान में किसान हमेशा तीन हजार ही पाते रहेंगे? An agriculturist having proper equipment and irrigation facilities can earn much more than that. उसकी इनकम दस-बीस हजार तक जा सकती है जैसी कि दूसरे मुल्कों में जाती है। जब उसकी एग्रीकल्चर इनकम इतनी जायेगी तो क्या फिर आप दुबारा उसको इन्ट्रोडयूस करेंगे? जो टैक्स पहले से ही लागू होता है उसका पैसा नहीं आये तो कोई बात नहीं लेकिन एक वातवरण बना रहता है, लेकिन, After two years or five years you will again go to agri cultural incometax. जब आप उसके ऊपर आयेंगे तो उसके आप रेज़िस्ट कर सकेंगे। तो जो आपने इसको एबोलिश करने के लिए कहा है मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता हूं विरोध करता हूं। जहां तक आपने सरचार्ज चालू किया है लैंण्ड रेवेन्यू के ऊपर तो मैं सरचार्ज की फेवर में तो हूं लेकिन यह जो डिस्पेरिटी है इसको दूर करना चाहिए। जब तक सारे राजस्थान में एक नहीं हो जाय तब तक मैं सरचार्ज के भी खिलाफ हूं।

अब उसके बाद मैं उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के ऊपर आता हूं। सेल्स टैक्स का जो आपने किया है उसके लिए सब फाइनेन्शियल एक्सपर्टस ने कहा है कि सेल्स टैक्स में थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन होना चाहिए। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी कहा है, क्योंकि इस साल सेन्ट्रल बजट में भी इनडाइरेक्ट टैक्स लगभग २३–२४ करोड़ का रखा

(श्री पी. के. चौधरी)

है। अब सारे हिन्दुस्तान के लिए २४ करोड़ हो गया तो राजस्थान के हिसाब में लगभग एकोडिंगटू दी पोपुलेशन बेसिस १॥ करोड़ का टैक्स आता है। it will come to about 1½ tcrores to Rajasthan. उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स के जरिये ४५ लाख रुपया लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि करेन्ट ईयर में 2 Crores' incidence of indirect taxes will fall on the people of this State. यह जो दो करोड़ का एडीशनल बर्डन पड़ा उसका डिस्ट्रीब्युशन मैं समझता हूं कि हायर इनकम ग्रुप के ऊपर जाता तो अच्छा रहता। अब मैंने सुना है कि आपने एडीबल ऑइल के ऊपर ७ परसैंट का टैक्स लगाया है, यह मैं समझता हूं कि गलत है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : पहले भी इतना ही था।

श्री पी० के० चौधरी : कितना था पहले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले भी ७ पर्सेंट ही था।

श्री पी० के० चौधरी: पहले इतना था तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। कम से कम जो लोअर इन्कम ग्रुप है उसको जो इफेक्ट करता हो तो उसको तो कम करना चाहिये। अगर नहीं था तो इस समय भी नहीं लगाना चाहिये।

दूसरी बात जो आपने इसके अन्दर की, कोल के लिए भी टैक्स लगाया है वह पहले एग्ज़ेम्पटेड था....

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले था और अब भी उतना ही है।

श्री पी० के० चौधरी : अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने इन्डस्ट्रियल रॉ मेटीरियल के ऊपर टैक्स लगाया है वह नहीं लगाना चाहिए। एक तरफ तो हम टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारी स्माल इन्डस्ट्रीज़ डेवलप करें। लैदर का रॉ मेटीरियल है, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगाते हैं, आइरन स्क्रेप के ऊपर लगाते हैं, पिग आइरन के ऊपर लगाते हैं, तो यह जो सारे टैक्सेज़ हैं वह सारे प्रोडक्टिव कोमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर लगाते हैं तो हमारी इन्ड स्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो सकेंगी। इन सारे टैक्सेज़ का हमारी इन्डस्ट्रीज़ पर असर पड़ता है। कम से कम from the point of view of the take off, economy about which the Finance Minister talks, he should reduce the taxation on industrial raw materials. दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं और उसका वैलकम करता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने पर्चेजेज़ के ऊपर १ पर्सेंट का टैक्स रखा है। पहले एक डिस्क्रिमिनेशन था कि स्टेट गवर्नमेंट के पर्चेजेज़ के ऊपर ७पर्सेंट लोगों को देना पड़ता था और इस तरह से बाहर के फर्म्स से इन्डेन्ट करके सामान मंगाते थे, वह अब लोकल फर्म्स से लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर यह वन पर्सेंट भी क्यों रखा गया ? अल्टीमेटली १ पर्सेंट देंगे तो भी आप ही देंगे, आपका पी०डब्ल्यू० डी० देगा और फाइनेन्स डिपार्टमेंट लेकर उसको वापिस देगी। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या कारण है ? मुझे तो कॉमन मैन की दृष्टि से लगता

(श्री पी. के. चौधरी)

है कि एक खीसे से लेकर दूसरी खीसे में डाल दिया, १ पर्सेंट कुछ नहीं है, it should be free.

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी टाइम कहां हुआ ? I have spoken only for 15 minutes.

श्री उपाध्यक्ष : No, you are not correct. You have completed 35 minutes.

श्री पी० के० चौधरी : Five minutes more.

श्री उपाध्यक्ष : You will conclude it within five minutes.

श्री पी० के० चौधरी : I was talking on taxation. After taxation, you will kindly give me five minutes more. जहां तक पर्चेज़ टैक्स के लगाने का सवाल है वह अन्कॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्युशन के आर्टिकल २८६ में कहा गया है :

"No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place-

(a) outside the State,

स्टेट के बाहर जो पर्चेज होती है या सेल होती हैं इसके ऊपर कोई कर आर्टीकल २८६ आफ दी कॉन्स्टिट्यूशन लेवी नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपके टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने लिखा है : "We have also indicated how a purchase tax on resident dealers in place of a sales tax on non-resident dealers will not meet the objection underlying the incorporation of Article 286 of the Constitution. In the event of our recommendation being accepted it would be imperative that the State do not attempt either to tax non-resident dealers or to introduce a purchase tax even during the interim period." तो टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने पर्चेजेज़ पर टैक्स इम्पोज़ करने का साफ मना कर दिया था। सिद्धान्त नहीं है। उसके पीछे प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है, I am not aware लेकिन जहां तक टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है पर्चेज़ टैक्स लगाना गलत है। जहां तक आर्टीकल २८६ आफ दी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है तो यह पर्चेज़ टैक्स जो लगाते हैं वह वास्तव में कुछ खरीद कर सामान लाते हैं उनके लिए लगाते हैं, तो टैक्सेशन का प्रिन्सिपल क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है, वह तो सेल्स टैक्स बिल आयेगा उस पर बोलूंगा।

अब मैं गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहता हूं। एक तारीफ मैं करना चाहता था और सबसे पहले मैं तारीफ करता हूँ शिक्षा मंत्रीजी की। शिक्षा मंत्री की तारीफ मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से चाहता था कि राजस्थान में हायर एजूकेशन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय। आज हम बजट में देखते हैं, रिओरियेन्टेशन आफ दी एजूकेशन पॉलिसी की शुरुआत हम देखते हैं, आज तक राजस्थान

(श्री पी. के. चौधरी)

का शिक्षा विभाग जो है, वह बेसिक स्कूल और मावली से आने वाले माननीय सदस्य के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में ही उलझा हुआ था, और कोई बात सदन में नहीं सुन पाते थे और we have neglected our higher education. विज़िटिंग प्रोफेसर्स को बुलाने का इन्तज़ाम किया है, और रिसर्च फैलोशिप एस्टेब्लिश करने का इन्तज़ाम किया है, मैं उसका बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा एम्फेसिस दिया जाय । मैं, हमारे माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि विज़िटिंग प्रोफेसर्स को बुलाना बेकार है । बल्कि इन्टर्नेशनल रेप्युटेशन के प्रोफेसर्स हैं, जो साइन्टिस्ट्स हैं वे अपने यहां आते हैं और स्टूडेन्ट्स उनसे मिलते हैं तो they are inspired और वह इन्सपाइरेशन और कॉन्टेक्ट जो है उनके दिमाग में रिसर्च स्टडीज़ और ऐसी हायर स्टडीज़ पर असर पैदा करता है ।

मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर दिया जाय । We are not able to produce scientists of the first grade. आज की दुनियां में हम विकास की बात कहें, लिविंग स्टेन्डर्ड को रेज़ करने की बात कहें, हमारी डिफेन्स की बात कहें, everything depends on highest type of scientific knowledge इसलिए मैं इसको वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि उसमें ज्यादा तरक्की की जाय ।

उसके साथ साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर एक स्टेट में एक नेशनल लेबोरेटरी है । देहली में फिज़ीकल नेशनल लेबोरेटरी है, पूना में केमिकल नेशनल लेबोरेटरी है, कलकत्ता में सेरेमिक नेशनल लेबोरेटरी है । मैं चाहता हूं कि राजस्थान में चूंकि नॉन फेरस मेटल्स काफी मिलते हैं, non-ferrous metals and even atomic metals. हमारा शिक्षा विभाग या हमारी गवर्नमेंट कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को परस्यू करे इस बात के लिए कि राजस्थान में एक नेशनल लेबोरेटरी फार रिसर्च फार नॉन फेरस मेटल्स एस्टेब्लिश की जाय इसी प्लान के दौरान में । और अगर यह नहीं हो सके तो एक चीज जो कि लेना आसान है वह यह है कि यहां पर नेशनल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फार हायर मैथेमेटिक्स जो कि हिन्दुस्तान में किसी भी जगह नहीं है स्थापित की जाय । हायर रिसर्च इन मैथेमेटिक्स के लिए कोई भी इन्स्टिट्यूशन नहीं है, और आज जो साइन्स की एडवान्स्ड स्टेज है आपके all the big scientists in the world, they are mathematicians. नेशनल लेबोरेटरी फार नॉन फेरस मेटल्स की यहां पर की जाय । अगर वह नहीं हो सके तो नेशनल इन्स्टिट्यूट फार रिसर्च इन हायर मैथेमेटिक्स इस स्टेट में की जाय । मैं तो चाहता हूं कि हायर एजूकेशन पर एम्फेसिस मेन्टेन किया जाय ।

इसके साथ साथ मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि आपने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेज़ को रिड्यूस किया है, लैण्ड रिड्यूस रेट पर लीज़ पर देने का तय किया है । उसका मैं स्वागत करता हूँ ।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूँ दूसरी ओर, रिसोर्सेज़ की तरफ । हमें अपने रिसोर्सेज़ का काफी खयाल रखना चाहिए । आज जो हमारी फोरेस्ट की वेल्थ है, मिसाल

(श्री पी. के. चौधरी)

के तौर पर बताना चाहूंगा कि फोरेस्ट जो है वह हमारी इन्कम का सोर्स है । लेकिन फोरेस्ट का बजट अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो रहता है नेट में । फोरेस्ट की इन्कम इस साल ८२ लाख है और बजट एक्सपेन्डीचर जो है वह है ८२.०७ लाख । इस दफा फोरेस्ट बजट इज़ डेफिसिट बाई ७०००) रु० । पिछले साल ७५ लाख की इन्कम और ७६ लाख का था खर्चा । तो उसमें भी ४ लाख का घाटा था । इसके बाद मेरे खयाल से, the budget of the Forest Department is always a deficit budget. अपना फोरेस्ट जो है वह सब से बड़ी वेल्थ है । आज राजस्थान में लगभग १५,००० स्वायर माइल्स जमीन जो है वह फोरेस्ट में है, और हमारा जो प्लानिंग टार्गेट था ८,५०० एकड़ और फोरेस्ट में लेने का । तो हमारा फोरेस्ट एरिया कुल ४५,००० स्क्वायर माइल्स होना चाहिये था । आज इसका फुल युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फुल युटिलाइजेशन ऑफ इट्स रेवेन्यू नहीं होता है । मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिये पूरी रेस्पोन्सिबल है । मिसाल के तौर पर आज जो फोरेस्ट एरिया है उसकी एवरेज इन्कम एनुअल लगभग २००) रु० पर एकड़ पड़ती है ऑक्शन से । राजस्थान का लगभग ३ लाख एकड़ फोरेस्ट एरिया ऐसा है जो जागीरदारों से लिया गया है और आज तक चल रहा है, जैसे पानरवा का आज तक लीज़ पर चल रहा है उसका इन्सीडेंस ऑफ इन्कम पर एकड़ एक आना हमको पड़ता है । पानरवा का जंगल ४६,९८८ एकड़ है । उसकी इनकम पर एकड़ एक आना आती है मौजूदा लीज़ के मुताबिक...

श्री नाथूराम मिर्धा : वह खत्म हो गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : खत्म हो गया यह आपने कह दिया, लेकिन हाई कोर्ट का जजमेंट ११ फरवरी का मेरे पास मौजूद है ; इस जजमेंट ने कब्जा करने को कह दिया है । आप हाई कोर्ट में गये थे और हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है । उसमें हाई कोर्ट ने कहा था आपको ११ फरवरी के डिसीजन में कि within a month you must file a written statement before the trial court at Udaipur. Today is the 30th day after judgment. आज तक रिटन स्टेटमेंट सब्मिट नहीं हुआ है । १६ तारीख को केस चलेगा, ट्रायल होगा । इसमें हाई कोर्ट ने यह बतलाया था कि इनके जजमेंट में सारी बातें हैं । जजमेंट में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ऑफर दिया था उसको विड्रॉ नहीं किया । आपने ३१ अक्टूबर, १९५६ को ऑफर दिया था फोरेस्ट लीज़ लेने के लिये । २६ सितम्बर, १९५७ को स्टे ऑर्डर इश्यू किया था । you have not withdrawn that offer formally. हाईकोर्ट में इस बात को रेज़ किया गया कि आपने विड्रा नहीं किया । उस पर हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर भी पास किया । हाई कोर्ट के सामने केस गया तो इसमें यह डिफेक्ट है कि उसमें रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है । मैं समझता हूं कि यह जो नेग्लिजेन्स हमारी तरफ से की जा रही है उसकी तरफ से सचेत होना चाहिये और दूसरी बात, मैं समझता हूं, यह जो फोरेस्ट का जागीर एरिया है उसको रिकवर कर सकते हैं । अकेले पान-

(श्री पी. के. चौधरी)

रवा से ही हमारी इन्कम १८ लाख है, तो सारे से तो एक करोड़ से भी अधिक इन्कम प्राप्त कर सकते हैं, २००) रु० पर एकड़ मान लें तो भी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इसे एक मिनिट में खत्म करता हूं। अंडर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सम्बन्ध में कहा गया है कि धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में ट्यूब वैल लगाये जा रहे हैं, हालांकि ड्रेनेज-वाटर कमेटी ने कहा था कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास मशीनें वगैरह टाइम पर नहीं पहुंचती हैं इसलिये सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। लेकिन साथ ही ट्यूबवैल लगाना एक इम्पोर्टेन्ट काम है, उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि धौलपुर की तरह जयपुर में ट्यूब वैल होने चाहिये, इसको शायद भूल गये हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में ५०० किलोवाट का टरबोइन्जिन लगाना चाहते हैं। जैसा काम शुरू किया वैसा लग जायगा और उसमें पॉवर सप्लाई जयपुर में होगी और एक सब स्टेशन फुलेरा में डालना चाहते हैं, वह इस साल लग जायगा ऐसी मुझे आशा है।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर घाटे का बजट नहीं रखा और घाटे के बजट को ठीक करने के तरीके भी साथ ही साथ इसमें रख दिये हैं। पर एक बात मुझे यहां पर अर्ज करने की जरूरत पड़ गई है कि जिस तरह से आपने एक चीज़ को हटाया उसको रिप्लेस करने के लिये एक नई प्रोब्लम सामने रख दी। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि जैसे आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को हटाया मैं आपको उसके लिये वाकई बधाई दूंगा। मैं समझता हूं शायद आपने एक ऐसी चीज रखी है जिसका काश्तकारों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और बड़ा भारी हैरेसमेन्ट होता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि आपने एक फिजीकल फीट के हिसाब से एक को छोड़ कर दूसरे को रखा है। कान को सीधा न पकड़ कर उल्टा घुमाकर पकड़ा है, छोड़ा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो हैरेसमेन्ट काश्तकारों को होता था वह कम हो गया है और जो पैसा वकीलों की जेब में जाता था क्योंकि जो काश्तकार हिसाब नहीं रख सकते थे उनको फर्जी हिसाब रखना वे लोग बताते थे और वकील अपने रुपये लेते थे काश्तकारों से, उसके बावजूद भी उनके दिल में हमेशा डर और हौवा बना रहता था और वे समझते थे कि अबकी बार बच गये तो आगे नहीं बच पायेंगे। वकील लोग उन को इस तरह के नये नये तरीके बताते थे जिससे उनका मोरल डिग्रेडेशन होने का खतरा रहता था। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि वकील उनको यह सलाह देते थे कि असली प्रोड्यूस मत बताओ ....

श्री उपाध्यक्ष : Was it practised upon you also ?

श्री अनोपसिंह : हां, मुझे भी यही सलाह दी गई थी, लेकिन मैंने अभी तक हिसाब पेश नहीं किया इसलिये उसका असर मुझ पर नहीं पड़ा। यह तो हर एक वकील

(श्री अनोपसिंह)

जानता है और आप भी जानते हैं कि इस तरह से फर्जी हिसाब बनाकर पेश करना एक तरीका हो गया है ....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वकील ऐसी सलाह नहीं देते ।

श्री अनोपसिंह : आप नहीं देते होंगे क्योंकि आप माननीय सदस्य सदन के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन में सलाह नहीं देते हैं।

श्री अनोपसिंह : सबसे बड़ी बात जो अर्ज करने की है वह यह है कि इसमें काश्तकारों का जो हैरेसमेन्ट होता था वह डैफिनिटली बंद होगा।

अब सवाल यह रहता है कि हम एक गलत चीज़ को हटाकर उसकी जगह क्या ला रहे हैं, यह आगे एक्ट आयेगा तब मालूम होगा ....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : बिल आ गया है।

श्री अनोपसिंह : यदि आ गया है तो उसका वर्णन अभी नहीं किया जाय तो ठीक रहेगा और यदि निवेदन कर दूँ तो छोटे काश्तकारों को शायद इससे फायदा नहीं होगा। ....

श्री नाथूराम मिर्धा : ५० रु० तक माफ है।

श्री अनोपसिंह : ५० रुपये कहीं भी हो सकते हैं। इसमें चाही और बारानी में डिफरेन्स रखा है वह भी समझ में आना मुश्किल होगा। इस बारे में आगे कहा जायगा। अभी समय नहीं लूंगा। लेकिन अभी जो ५ लाख रु० वसूल नहीं हो रहे थे वहां १० लाख रुपये वसूल करना चाहते हैं लेकिन होगा वही जो होना है। जो पहले एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स में करना चाहते थे और वसूल नहीं हुए, सरचार्ज से भी नहीं होने के हैं। फिज़ीकल फीट्स की तरह चाहे कुछ किया जाय लेकिन हैरेसमेन्ट से किसानों को बचाने के लिये मैं आपको बधाई देता हूं ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): मेरा ख्याल है कुल मिलाकर पैसा भी बचेगा।

श्री अनोपसिंह : पैसा तो नहीं बचेगा, लेकिन कम से कम हैरेसमेन्ट से तो बचेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष :In terms of money, weigh. कर लिजिये।

श्री अनोपसिंह : इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है,लेकिन हैरेसमेन्ट से बचे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मानसिक क्लेश से बच जायं यह रुपयों से भी ज्यादा है

श्री अनोपसिंह : इस बारे में मैं फिर अर्ज करूंगा। जैसा कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स रखना जरूरी है। मैं समझता हूं, यदि यह रखना जरूरी है तो इसके साथ साथ जो इम्मोरेलिटी बढ़ती जा रही है वह भी रहना जरूरी है, बचने का जो तरीका अख्त्यार किया जा रहा है वह भी रखना जरूरी है। मैं कहूंगा कि जो सीधे साधे काश्तकार हैं वे हिसाब किताब रखना नहीं जानते हैं, उनके लिये एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक

(श्री अनोपसिंह)

तरह का हौवा है। गवर्नमेन्ट का असेसमेंन्ट करने का जो तरीका है उसको कमिश्नर साहब के साथ और दूसरे अफसर जो कर वसूल करने आते हैं, रेकॉर्ड देखते हैं उनके साथ डिस्कस किया तो पता चला कि एवरेजेज़ पर्टिकुलर एरियाज़ में रखी जाती है उसी तरह से देखते हैं। वे यह देखते हैं कि अमुक आदमी के पास इतने एकड़ जमीन है, जहां तक सीधी बात कर रखी है जिसको चैलेन्ज नहीं कर सकते और चैलेन्ज करें तो प्रूव करने को तैयार नहीं होते ऐसी, बात नहीं होती है। वे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने बीघा जमीन है और एक बीघा जमीन में इतनी उपज होती है इसलिये इतना देना होगा। हम यह मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि आया पर्टिकुलर एरिया में अकाल था या ऐसी कंडीशन थी जिससे बीमारी लग गई या ऐसी कोई नेचुरल चीज़ पैदा हो गई थी जिसकी वजह से अनाज अधिक पैदा नहीं कर सके। इन कंडीशन्स को नहीं देखा जाता, क्योंकि तुम इतना पैदा करते हो इसलिये इतना इन्कम टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह निकालते हैं लेकिन जो गवर्नमेन्ट के फिगर्स हैं, असेसमेन्ट करने का तरीका है और जो एवरेज बना रखा है वह सब चेलेन्जेबल है। मैं इसको सदन के सामने प्रूव करने को तैयार हूं। पटवारियों के रेकॉर्ड के भरोसे जो चीज़ रखी जाती है वह सही नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

We now adjourn to meet tomarrow at 11, A. M.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं-काल ५ बजे, शुक्रवार, दिनांक ११-३-६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई]

———

संक्षिप्त–विवरण

(गुरुवार, १० मार्च, ६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२१४३		
अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड जयपुर द्वारा हाउसिंग सोसाइटीज को जमीन देने हेतु प्रदत्त सर्टिफिकेट।			
पैसेन्जर टैक्स से हुई आमदनी एवं उस पर हुआ खर्चा।			
बांसवाड़ा में मही सागर के बांध की योजना।			
कोटपूतली पंचायत समिति में कृषि विस्तारक अधिकारी भेजना !			
भीम तहसील के खेवटदार हिस्सेदारों में जंगलात के मुनाफे का बंटवारा।			
सेवा सहकारिता (Service Cooperative) का निर्माण।			
एग्रिकल्चर इन्कमटैक्स के अन्तर्गत आमदनी और उस पर प्रशासनिक खर्चा।			
बीकानेर नगर में वर्षा से नुकसान।			
तहसील भीम के वन गोचर अधिकारी।			
बेरिया की बस्ती जयपुर में नल व बिजली की व्यवस्था।			
		जनाना अस्पताल कोटपूतली को आवश्यक सामान देना।	
		सैल्स एम्पोरियम जयपुर।	
		दौसा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में विलम्ब।	
		जैसलमेर जिले में बीज का वितरण।	
		बस्ती सीतारामपुर (जयपुर) की योजना।	
		झालवाड़ जिले में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन।	
		ग्राम पंचायत मेड़, जिला जयपुर के निर्वाचित पंचों को शपथ ग्रहण नहीं कराने के सम्बन्ध में।	
		सरकार द्वारा संचालित डेयरीज पर खर्चा।	
		ग्राम पंचायत बरार के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही।	
		खाद्यान्न लाने ले-जाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध पर पुलिस का हस्तक्षेप।	
		म्युनिसिपल कमिश्नरों की तन-	

Page No.109

स्कम्भ

ख्वाहें सीनियर आर० ए० एस० ग्रेड के अनुसार करना ।

राजस्थान बैंक एम्प्लॉईज़ यूनियन द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर कार्यवाही ।

ग्राम पंचायत साहिबाड, तहसील बैराठ, के पंचों को शपथ-ग्रहण कराने में विलम्ब ।

पंचायत समिति अलसीसर के क्षेत्र में प्रसूतिगृह खोलना ।

दौसा सब डिविज़न के शहरों में जलाने की लकड़ी की व्यवस्था ।

भरतपुर जिले के पहाड़ी तथा सीकरी चिकित्सालयों में बैड्स की व्यवस्था ।

कुशलगढ़ अस्पताल में उपयुक्त व्यवस्था ।

पंचायत गुढ़ाएन्दला, तहसील पाली, द्वारा हाउस टैक्स की वसूली ।

राज्य पर ऋण ।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये:—

स्कम्भ

१. राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

२. राजस्थान एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६० । २२१२

३. राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६० । २२१३

४. राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (सरचार्ज) विधेयक, १९६० ।

आय-व्ययक, १९६०-६१ २२१४

प्रथम अवस्था

आयव्ययक, १९६०- ६१ पर आज सामान्य वाद-विवाद आरम्भ हुआ । इस सम्बन्ध में निम्न-लिखित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :—

१. रावराजा श्री सरदारसिंह
२. श्री चन्दनमल वैद
३. श्री मुक्तिलाल मोदी
४. श्री मूलचन्द डागा
५. श्री लच्छूराम
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री जनार्दनराय नागर
८ श्री मुरलीधर व्यास

६. श्री पी० के० चौधरी

श्री अनोपसिंह बोल रहे थे कि सदन की बैठक ४ बजकर ५८ मिनट पर शुक्रवार दिनांक ११ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ११ मार्च, १९६०
की कार्य सूची

सदन की मेज़ पर रखे गये पत्र

१. राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वार्षिक वित्तीय विवरण, १९६०–६१

२. आय-व्ययक १९६०–६१ पर अग्रेतर वाद-विवाद

————

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क) तारांकित प्रश्न संख्या ८० ए० टी एम० प्रश्न कर्त्ता श्री पी० के० चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा

क्रमांक	नाम जिला	तादाद सेवा सहकारी समितियां जो सन् १९५९ में रजिस्टर्ड हुई ।
१	२	३
१	अलवर	९७
२	भरतपुर	११३
३	जयपुर	६६
४	अजमेर	३०
५	सवाई माधोपुर	१०७
६	टौंक	२४
७	कोटा	३०
८	बूंदी	२३
९	झालावाड़	७
१०	उदयपुर	२१
११	भीलवाड़ा	३४
१२	चित्तौड़	३६
१३	बांसवाड़ा	२२
१४	डूंगरपुर	१८
१५	जोधपुर	७०
१६	पाली	४०
१७	नागौर	६८
१८	जालौर	२४
१९	सिरोही	११

१	२	३
२०	बाड़मेर	४७
२१	जैसलमेर	१
२२	गंगानगर	५६
२३	बीकानेर	३६
२४	चूरू	३५
२५	झुन्झुनू	६६
२६	सीकर	१०६
	योग	१२२४

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१३ का उत्तर देखिये)

जैसलमेर जिले में सन् १९५५-५६ से ५९-६० तक वितरित बीज का वितरण

साल	किस्म बीज	संख्या काश्तकार	बांटा हुआ बीज		
			मन	सेर	छ०
१९५५-५६	गेहूँ	२७	१५०	२०	०
१९५६-५७	—	—	—	—	—
१९५७-५८	गेहूँ आर. एस. ३१-१	१६	३९	३३	०
	बाजरा चाडी	—	१०	०	०
१९५८-५९	गेहूँ एन. पी. ७१८	२१	५०	०	०
१९५९-६०	गेहूं ,, ,,	५	१४	३०	०
	बाजरा चाडी	५५०	६५९	०	०

परिशिष्ट ३

(कृपयां तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये)

RICE RESTRICTIONS ON RAIL BOOKINGS ORDER

Brought into force with effect from 13th November, 1957 Continues to be in force.

Restrictions have been imposed to booking rice by rail from certain stations in Districts Ganganagar, Churu, Sikar, and Alwar.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY (PART II. SECTION 3) DATED THE 13TH NOVEMBER, 1957.

MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER

New Delhi, the 13th November, 1957.

SRO— (NO. 204 (24)/57-PY.II.) :— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodties Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement:—

(1) This order may be called the Rice (Restrictions on Rail bookings) order, 1957.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions:—In this order, unless the context otherwise requires:-

(a) " State Government " means the Government of the State or the administrator of the Union Territory, as the case may be, in which the railway station concerned is situated;

(b) " Transport " means to take into the premise of a railway station for the purpose of despatch by rail;

(c) " Book " means to accept for despatch by rail;

(d) " Rice " include paddy and products of rice and paddy other than rice bran.

3. Restrictions on Rail booking:—

(1) No person shall transport or attempt to transport or abet the transport of rice into any railway station lying on any of the sections specified in the schedule of this order;

(2) No person shall book rice from any railway station lying on any of the sections specified in the Schedule to this order;

Provided that nothing contained herein shall apply to the transport or booking of rice:—

(i) on Government account; or

(ii) under and in accordance with Military credit Notes ; or

(iii) under written permission of the central Government.

4. Power of Inspection, Seizure etc. : Any Police Officer not below the rank of assistant sub-Inspector or any other person authorised in this behalf by the State Government or any other person authorised in this behalf by the State Government or the Central Government may, with a view to securing Compliance with this order or to satisfying himself that this order has been complied with.

(1) Stop and search, or authorise any person to stop and search, any person, motor or any vehicle or conveyance used or capable of being used for transport of rice;

(2) Seize or authorise the seizure of any article in respect of which he suspects that any provision of this order has been, is being or is about to be contravened, along with the packages, converings or receptacles in which such articles is found or the animals, vehicles or other conveyances used in carrying such article and thereafter take or authorised the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings or receptacles or the animals, vehicles or other conveyances so seized in a Court and for their safe custody pending such production.

The Schedule.

All railway stations falling within.;

(1) Anupgarh-Suratgarh Section, Northern Railway.

(2) The Loop between Suratgarh and Hanumangarh via Rai Singh Nagar, Kesri Singhpur, Dholipal and also on Suratgarh-Hanumangarh Section, Northern Railway.

(3) Hanumangarh-Mandi Dabwali, Northern Railway.

(4) Hanumangarh-Delhi Section (meter Gauge) Northern Railway Via Sadulpur/Rewari Junctions.

(5) Sadulpur-Churu Section, Northern Railway.

(6) Sadulpur-Hissar Section, Northern Railway

(7) Loharu-Sikar Section, Western Railway.

(8) Rewari-Reengus Section, Western Railway.

(9) Rewari-Alwar Section, Western Railway.

(10) Delhi-Ghaziabad Section, Northern Railway.

(11) Narala-Delhi Section, Northern Railway.

(12) Bahadurgarh-Delhi Section, Northern Railway and Delhi Cantonment.

(13) Delhi-Kosi Kalan Section, Central Railway.

(14) Delhi-Shahdara-Baraut Section, Shahdra, Saharanpur Light Railway.

C. A. Ramakrishnan

Jt. Secretary to the Govt. of India.

RAJASTHAN GRAM [PROHIBITION OF EXPORT] ORDER, 1958 B.7.

BROUTGH INTO EFFECT ON 24TH MAY, 1958 B.L.

Prohibiting export of gram, Gramdal from District Ganganagar

Amended on 5th December 1958 to the extent that Grams and Gramdal could not be exported outside Bikaner Division.

Rescinded with effect from 21st April, 1959.

THE GAZETTE OF INDIA

EXTRA-ORDINARY.

Part II-Section 3-Sub-Section (i) Published by authority.

MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDERS

New Delhi, the 24th May, 1958.

G. S. R.416.-In exercice of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Orissa Rice (Prohibition of Export) Order, 1957, namely:-

AMENDMENT.

In sub-clause (2) of clause 3 of the said Order item (a) of paragaph (i) shall be omitted and items (b) and (c) therein shall be relettered as items (a) and (b) respectively.

(No.204 (15)/57-PY.II.)

G-S. R. 417:-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. Short title, extent and commencement:- (1) This order may be called the Rajasthan Gram (Prohibition of Export) Order, 1958.

(2) It extends to the Bikaner Division in the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions:--In this order, unless the context otherwise requires:—

(a) "gram" includes split gram and products there-of but does not include 'choori'. or gram bask;

(b) "State Government" means the Government of the State of Rajasthan.

3. Prohibition of export of gram from the Bikaner Division.

(1) No person shall export or attempt to export or abet the export of gram from any place within the Bikaner Division in the State of Rajasthan to any place outside it:

Provided that nothing contained herein shall apply to the export of gram :—

(i) not exceeding five seers in weight in the aggregate by a bonafide traveller as part of his luggage; or

(ii) on government account; or

(iii) under and in accordance with Military Credit Note.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) it shall be lawful for any person to export gram or gramdal from any place within the District of Sri Ganganagar in the Bikaner Division to any place outside the Division under and in accordance with a permit issued in this behalf by the Dy. Commissioner of Shri Ganganagar, subject to the addition that such exports under permits shall be requsted in accordance with as export extra paid by the Central Govt. in this behalf fow time to time.

4. Powers of eniry, search, seizure etc.-Any Police Officer not below the rank of Assistant sub-Inspector and any other person authorised in this behalf by the State Government, may, with a view to securing compliance with this order or to satisfying himself that this order has been complied with:

(1) stop and search, or authorise any person to stop and search, any person, boat. motor or any vehicle or receptacle used or intended to be used for the export of gram;

(2) enter and search and authorise any person to enter and search any place;

(3) seize, or authorise the seizure of any article in respect of which he suspects that any provision of this order has been, is being or is about to be contravened, along with the packages, coverings or receptacles in which such article is found or the animals, vehicles, vessels, boats or onveyance used in carrying such

article and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings receptacles, animals, vehicles, vessels, boats. or conveyances so seized, in a court and for their safe custody pending such production.

Provided that in the exercise of the powers of entry and search under this clause, the authorised Officers shall

(a) pay due regard to the social and religious customs of the occupants of the premises ;and.

(b) Call upon two respectable inhabitants of the locality concerned to attend and witness any such search, prepare a list of all the things taken possession of and deliver to the person or owner of the vehicle, premises, etc. so searched a copy thereof duly signed by the said witness :

Provided further that if any such premises be found locked up or unoccupied or unattended by or on behalf of the owner or occupier the same may, in the presence of two witnesses, be broken open and entered upon for all or any of the aforesaid purposes.

(No. 204 (16)/58-P Y. II)

B. P. Bagchi Jt. Secretary.

RAJASTHAN BAJRA (PROHIBITION OF EXPORT) ORDER 1958

Brought into force on 15th November, 1958.
Rescineded on 21st April, 1959.

Prohibited export of Bajra from Sikar, Churu, and Jhunjhunu Districts.

RAJASTHAN GAZETTE EXTRAORDINARY

Margshirsh 1, Saturday, Shak Samvat 1880-November, 22 1958.

FOOD DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 22, 1958.

No. F. 10 (2) Ro/Food/58/13808.—The following Order of the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture Department of Food is hereby republished.

Vijay Singh.
Deputy Secretary to the Govt.

(First published in the Gazette of India Extraordinary, part II. Section 3, Sub-Section (i) dated Nov. 15th, 1958, Karitika 24, 1880 [Saka].)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER.

New Delhi, the 15th November, 1958.

G. S. R. [No. 204 (81)/58/PY. II].—In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the Following order, namely:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This order may be called the Rajasthan Bajra (Prohibition of Export) Order, 1958.

(2) It extends to the Districts of Jhunjhunu, Churu, and Sikar in the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this order, unless the context otherwise requires:

(a) "Export" means to take or cause to be taken from any place in the specified area to any place outside it;

(b) "Specified Area" means the area comprising the Districts of Jhunjhunu, Churu and Sikar in the State of Rajasthan,

(c) "State Government" means the Government of the State of Rajasthan.

3. Prohibition of export of Bajra.—No person shall export or attempt to export or abet the export of bajra, except under and in accordance with a permit issued in this behalf by the State Government.

Provided that nothing contained herein shall apply to the export of bajra:

(i) not exceeding five seers in weight by a bonafide traveller as part of his luggage, or

(ii) on Government accounts, or

(iii) under and in accordance with Military Credit Notes.

4. Powers of entry, search, seizure etc.—(1) Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any other person authorised in this behalf by the State Government may, with a view to securing compliance with this Order, or to satisfying himself that this Order has been complied with:

(a) Stop and search, or authorise any person to stop and search, any personboat, motor or any vehicle or receptacle used or intended to be used for the export of bajra,

(b) enter and search and authorise any person to enter and search any place,

(c) Seize or authorise the seizure of any article in respect of which he suspects that any provision of that order has been, is being or is about to be contravened, along with the packages, coverings or receptacles in which such article is found or the animals, vehicles, vessels, boats or conveyances used in carrying such article and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of the

packages, coverings, receptacles, animals. vehicles, vessels, boats or conveyances so seized in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of Code of Criminal Procedure, 1898, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

B. P. Bagchi,
Joint Secretary to the Govt. of India

RAJASTHAN FOOD GRAINS (RESTRICTIONS ON BOARDER MOVEMENT) ORDER, 1959.

Brought into force on 9th April, 1959.

Prohibited movement of foodgrains into or from any place within a consider of 10 miles all along the State's Boarder with Pakistan except under a permit.

Also prohibited movement of Wheat in a consider of 5 miles all along the State's Boarder with other States.

On 3rd July, 1959 the order was amended to the effect that while movement could not taken place into or to places within the Corridors but it could take place to any other place.

(a) in case of wheat-within Rajasthan.

(b) in case of other foodgrains-within India.

The Order continues to be in force.

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II SECTION 3-SUB-SECTION (i) DATED 9TH APRIL, 1959/19 CAITRA, 1881 (SAKA)

MINISTRY OF FOOD & AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1959

G. S. R.———(No. 204(RAJ) 1/287/59-PY, II].- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT:—

(1) This Order may be called the Rajasthan Foodgrains (Restrictions on Border Movement) Order, 1959,

(2) In extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. DEFINITIONS:— In this Order, unless the context otherwise requires:—

(a) " external border area " means the area within ten miles belt all along the border of the State of Rajasthan adjoining the territory of West Pakistan.

(b) " internal border area " means the area within the five miles belt all along the border of the State of Rajasthan adjoining the States of Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bombay;

(c) " foodgrains ' means any of the foodgrains specified in the Schedule to this Order;

(d) " State Government " means the Government of the State of Rajasthan.

(e) Wheat includes its products other than wheat brain, bread, biscuits, bakes and pastries.

3. RESTRICTION ON THE MOVEMENT OF WHEAT TO FROM OR WITHIN THE INTERNAL BORDER AREA:--

No person shall transport, attempt to transport or abet the transport of wheat:—

(a) to any place in the internal border area from any place outside that area, or

(b) from any place in the internal border area to any other place in that area,

except under and in accordance with a permit issued by the State Government or any Officer authorised by that Government in this behalf.

4. RESTRICTIONS ON THE MOVEMENT OF WHEAT OR OTHER FOODGRIANS TO/FROM OR WITHIN THE EXTERNAL BORDER AREA:—

No person shall transport, attempt to transport or abet the transport of wheat or other foodgrains,

(a) to any place in the external border area from any place outside that area, or

(b) from any place in the external border area to any other place in the area,

except under and in accordance with a permit issued by the State Government or any Officer authorized by that Government in this behalf.

5. SAVING:-- Nothing contained in clause 3 or clause 4 shall apply to the transport of Wheat or other foodgrains, as the case may be:-

(i) on Government account; or

(ii) under and in accordance with Military Credit Notes; or

(iii) within the same town or village in the internal or external border area, or

(v) not exceeding 20 seers in weight in the aggregate to one time by a bonafide resident of any of the said border areas for domestic consumption; or

(vi) not exceeding 5 seers in weight in the aggregate by a bonafide traveller as part of his luggage.

6. POWERS OF ENTRY, SEARGH, SEIZURE, ETC.-

(i) Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector o any other person authorized in this behalf by the State Government, may, with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with.

(1) stop and search or authorize any person to stop and search any person, boat, motor or any vehicle or receptacle used or intended to be used for the transport of Wheat or other foodgrains;

(2) enter and search and authorize any person to enter and search any place;

(iii) seize or authorize the seizure of Wheat or any other foodgrains in respect of which he suspects that any provision of this Order has been, is being or is about to be contravened, along with the packages, Coverings or receptaclls in which such Wheat or foodgrains are found or the animals vehicles, vassels, boats or conveyances used in carrying such wheat or foodgrains and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles, animals, vehicles, vassels, boats or conveyances so seized, in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898, relating to search and seizure shall so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

7. EFECT OF THE ORDER:— The provisions of this order are in addition to and not in derogation of (i) the Inter-Zonal Wheat Movement Control Order, 1957 and (ii) the Rajasthan Grain [Prohibition of Export] Order, 1958.

THE SCHEDULE

1. Rice and Paddy and their products excluding ricebran and husk.

2. Maize and its products.

3. Jowar and its products.

4. Bajra and its products.

5. Gram and its products.

6. Barley and its products.

Sd/- [B. P. BAGCHI]
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
[FOOD SUPPLIES DEPARTMENT]

NO. F. 10 (120) Ro/Food/59/5555-85 Dated: 13-4-59

Copy forwarded to:—

1 The All Collectors,

2 The All Commissioners,

for information and necessary action.

Sd/- Vijai Singh
Dy. Secretary to the Government

———

Ministry of Food and Agriculture
(Department of Food)

ORDER.

New Delhi, the 14th October, 1958.

G. S. R. 948.- In exercise of the Powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders providing for the matters specified in clause (f), and the matters specified in clauses (b), (j) and (i) in so far as they relate to clause (f), of sub-section (2) of the said section 3, in relation to stocks of gram held in the State of Rajasthan, still be exercisable also by the Collectors of Sri Ganganagar snd Bharatpur within their respective jurisdiction.

B. P. Bagchi,
Joint Secretary

(Published in Gazette of India Extraordinary dated 14th Oct., 1958.)

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, 4th. November, 1958.

ORDER.

G. S. R.- (No. 203) 50 /58/PY II.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby directs that the Pcwers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders providing for the matters specified in clause (f) and for the matters specified in clauses (h), (i) and (j) in so far as they relate to clauses of Sub-Section *(2)* of the said section 3, in relation to stocks of Wheat, Giam and Barley held in the State of Rajasthan, shall be exercisable also by the Collectors of the Districts in that State within their respective jurisdiction.

B. P. Bagchi
Joint Secretary,

(Published in Gazette of India Extraordinary dated 4th Nov., 1958.)

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF FOOD)

ORDER.

New Delhi, the 25th November, 1958.

G. S. R. 1127.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clause (f), and for the matters specified in clauses (h), (i) and (j) in so far as they relate to Olause (f), of sub-section (2) of the said section 3, in relation to stocks of Maize, Bajra, Jowar, Moth, Jowar and any admixture of these foodgrains held in the State of Rajasthan shall be exercisable also by the Collectors of Districts in that State within their respective jurisdiction.

Sd/B. P. Bagchi,
Joint Secretary.

[Published in Gazette of India Extraordinary dated 25th November, 1958 and also republished in Rajasthan Gazette]

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२१४८	अन्तिमसे २	के आदश	के आदेश
२१५८	२०	चला गगा	चला गया
२१६३	२०	जययुर शहर	जयपुर शहर
२१६४	२०	मरम्मतहै	मरम्मत तलब है।
२१७०	अन्तिम से ६	seats hes	seats has
,,	,, ,, ५	the Gazetteo	the Gazette
२१७१	,, ,, ६	moths	months
२१७३	१४	निम्न प्रश्न	निम्न प्रश्न
२१८१-८२	शीर्ष	-१० माच	-१० मार्च
२१८३	१६	को रकार	को सरकार
,,	२२	विरुद्ध — कायवाही	विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही
,,	२३	मेजर श्री तह सिंह	मेजर श्री फतहसिंह
२१८४	३	) क्या यह	(२) क्या यह
,,	४	खच के	खर्च के
,,	अन्तिम से ६	मेजर फहतसिंह	मेजर फतहसिंह
२१८६	१७	प्लस १०६०	प्लस १००)
,,	१६	मिश्रा	मिश्रा २५०)
,,	२१	गजपतसिंह वक्शी	गजपतसिंह बक्शी
२१९२	४	५७ मांग -पत्र	५७ को मांग पत्र
२१९३	२५	लेवर का	लेबर का
२१९४	११	यह जताने	यह बताने
,,	अन्तिम	पंच जिनका	पंच जिनको
२१९५	३	के सच	के सरपंच
,,	१३	। उसक	। उसका
२१९७	७	श्री हरिभाऊ उपाघ्यय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
२२०१	४	श्री समतराम	श्री सम्पतराम
२२०५	१६	the pricipal	the principle
,,	२०	it elstands	it stands
,,	२४	estemates for	estimates for
२२११	अन्तिम से ३	चाल है	चालू है
२२१६	,, ,, ६	देवाता	देवता

(२)

	२	३	४
२२१७	प्रथम	(वित्त मत्री)	(वित्त मन्त्री)
,,	१५	हो जवेंगे	हो जावेंगे
२२२४	२१	ऐऐ व्यक्तियों	ऐसे व्यक्तियों
,,	अन्तिम से ३	आना पच	आना पांच
२२२७	,, ,, ,,	डेमोक्रेसा में ि	डेमोक्रेसी में फिट
२२२९	६	माज व्यवस्था	समाज व्यवस्था
२२३०	६	०० वर्षों	१० वर्षों
२२३१	अन्तिम से २	स्थित ऐसी	स्थिति ऐसी
२२३२	अन्तिम	आय है	आये हैं
२२३३	शीर्ष	(डॉ० बहादुरसिंह)	(श्री चन्दनमल वैद)
२२३४	२	है ओर	है और
२२४६	अन्तिम से ४	ट्न्सपोर्ट ये	ट्रान्सपोर्ट ये
२२४७	शीर्ष	–१६ मार्च	–१० मार्च
२२५५	अन्तिम से २	वह ता	वह तो
२२५७	,, ,, ५	में मारवाड़ा	में मारवाड़
२२६४	१३	हीगा क्योंकि	होगा क्योंकि
,,	२२	सरचाज देना	सरचार्ज देना
२२८२	अन्ति ५	वियार्थी है	विद्यार्थी हैं
२२८९	,, ,, ,,	बोहरों क	बोहरों की
२२९२	२०	दृष्टि से	दृष्टि से
२२९३	१३	,, ,,	,, ,,
,,	१९	नक्शा दृष्टिगोचर	नक्शा दृष्टिगोचर
२२९४	३	उम कामों	उन कामों
,,	२९	मुझे अ देश	मुझे आदेशा
२२९६	१७	उखाड़र	उखाड़ कर
२२९९	प्र थम	सारा मेमीनार	सारा सेमीनार
२३००	अन्तिम से ३	विभग जो	विभाग जो
२३०८	१०	मैं समझता	मैं समझता हूं
२३०९	१३	तब्र संघर्ष	तब संघर्ष
२३१०	७	श्री जर्नादनराय	श्री जनार्दनराय
,,	११व१४	श्री जनर्दनराय	,, ,,
२३११	अन्तिमसे ३	इस दृष्टि	इस दृष्टि
,,	२७	ऐसे स्थिति	ऐसी स्थिति
२३१२	५ व १२	श्री जनर्दनराय	श्री जनार्दनराय

१	२		४
,,	६	श्री जनदिनराय	श्री जनार्दनराय
२३१३	अन्तिम से २	दूसरी और	दूसरी ओर
२३२०	,, ,, ७	देखें तो	देखे तो
२३२१	१२	रुपया का	रुपयों का
२३२४	१८	इसक अति–	इसके अति–
२३२६	अन्तिम से ४	कर दी	कर दिया
२३२७	६	और सौ	ओर सौ
२३२८	अन्तिम	वस्तुआ पर	वस्तुओं पर
२३३६	२३	झक 'मारकर'	"झख मारकर"
२३३१	२	प्रोगेस करते	प्रोग्रेस करते
,,	अन्तिम से २	बोन्डस दिये	बोन्ड्स दिये
२३३२	७	"The Finnace	"The Finance
२३३३	५	पर बेसारी	पर वे सारी
,,	६	this liabiliby	this liability
२३३८	५	ऑग्युमेन्ट्स पर	आग्युमेन्ट्स पर
२३४०	अन्तिम से २	सकते हैं before that"	सकते हैं, Not before that
२३४२	१४	वातवरण बना	वातावरण बना
,,	१६	agri cultuoal	agricultural
२३४३	५	1½ tcrores	1½ Crores
,,	२१	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
२३४५	१८	कॉन्स्टिट्यूशन	कॉन्स्टिट्युशन
,,	२१	of, a Tax	of a tax
२३५३	अन्तिम से ६	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
२३८०	१	vheat includes	wheat includes